जॉन पांडियन

बनाम

तमिलनाडु राज्य, पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रतिनिधित्वित

(2007 की दांडिक अपील सं. 452)

3 दिसम्बर, 2010

(माननीय न्यायमूर्ति श्री वी.एस. सिरपुरकर और माननीय न्यायमूर्ति श्री सायरिएक जोसेफ)

भारतीय दंड विधान, 1860 :

धारा 302 सहपठित धारा 34, धारा 302 सहपठित धारा 109, धाराएँ 34 तथा 120-बी — नरहत्या — दांडिक षड्यंत्र का अभिकथन — अभियोजन का मामला यह था कि ए-1 ने अपनी प्रिय युवती से विवाह करने में असफल रहने के कारण उसके पति की हत्या करने का षड्यंत्र रचा, जिसके लिए ए-9, ए-10 तथा ए-11 को भाड़े के हत्यारों के रूप में नियुक्त किया गया — अभिकथित रूप से ए-10 तथा ए-11 ने मृतक की घात लगाकर प्रतीक्षा की, जिसके अनुसरण में ए-9 ने धारदार हथियार से उस पर गंभीर प्रहार किया — ग्यारह अभियुक्त — दो अभियुक्त, ए-3 तथा ए-8, दोषमुक्त — अन्य अभियुक्तों का दोषसिद्ध किया गया — आक्षेप— इस बीच, ए-1 ने आत्महत्या कर ली — अभिनिर्धारित : प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के सुसंगत प्रत्यक्ष साक्ष्य, जिसकी पुष्टि शिनाख्त परेड तथा परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा हुई थी, के दृष्टिगत ए-9, ए-10 तथा ए-11 की दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है — किन्तु, ए-2, ए-4, ए-5, ए-6 तथा ए-7 द्वारा किए गए कृत्यों को, ए-1 के साथ तथा उसके पश्चात् ए-9, ए-10 तथा ए-11 द्वारा किए गए कृत्यों के साथ मिलाकर देखने पर भी, यह धारित करना संभव नहीं है कि उन्होंने ऐसी परिस्थितियों की श्रृंखला निर्मित की थी, जो ए-2, ए-4, ए-5, ए-6 तथा ए-7 के विरुद्ध षड्यंत्र के अपराध को अनिवार्य रूप से सिद्ध कर देती हो — हत्या के लिए कितनी धनराशि दिए जाने पर सहमति हुई थी तथा कितनी धनराशि वितरित

की गई थी, इस विषय में अभियोजन का मामला अत्यंत भ्रमपूर्ण था — ये सभी परिस्थितियाँ कम-से-कम ए-2, ए-4, ए-5, ए-6 तथा ए-7 के संबंध में षड्यंत्र के अभियोजन कथन को पूर्णतः ध्वस्त कर देती हैं — अतः उस उद्देश्य के लिए उन्हें संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए और वे दोषमुक्त किए जाते हैं।

धारा 302 सहपठित धारा 34 — हत्या — यह अभिकथन कि ए-10 तथा ए-11 ने मृतक को रोक लिया था, जिसके पश्चात् ए-9 ने धारदार हथियार से मृतक पर गंभीर प्रहार किया—तीन प्रत्यक्षदर्शी साक्षी—ए-9, ए-10 तथा ए-11 की दोषसिद्धि — औचित्य — अभिनिर्धारित : औचित्यपूर्ण — तीनों साक्षियों ने घटना का सजीव एवं विस्तृत विवरण दिया, जो परस्पर पूर्णतः संगत था — उन्होंने शिनाख्त परेड में भी अभियुक्त व्यक्तियों की पहचान की, जिससे प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य की पुष्टि हुई — इसके अतिरिक्त, परिस्थितिजन्य साक्ष्य से भी पुष्टि प्राप्त हुई, जैसे ए-9 के कथन पर अपराध में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी तथा उस टैक्सी से मृतक का छायाचित्र बरामद होना, जिसमें ए-9, ए-10 तथा ए-11 घटना से पूर्व यात्रा कर रहे थे — ए-9, ए-10 तथा ए-11 के विरुद्ध साक्ष्य पर्याप्त था — विचारण न्यायालय तथा अपीलीय न्यायालय ने उन्हें दोषसिद्ध करने में सही किया।

धारा 120-बी — षड्यंत्र — सिद्धि — अभिनिर्धारित : षड्यंत्र का प्रत्यक्ष साक्ष्य प्राप्त होना अत्यंत कठिन होता है और अभियोजन को षड्यंत्र सिद्ध करने में सदैव बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है; इसलिए षड्यंत्र का निष्कर्ष परिस्थितियों से निकाला जाना होता है — अभियोजन द्वारा षड्यंत्र स्थापित करने के लिए जिस-जिस परिस्थिति पर अवलंबन किया जाता है, उन प्रत्येक परिस्थितियों का उस षड्यंत्र के साथ संबंध होना सिद्ध किया जाना आवश्यक है — साक्ष्य—षड्यंत्र संबंधी साक्ष्य।

धारा 120-बी तथा धारा 302 सहपठित धारा 109 — हत्या — दांडिक षड्यंत्र — 11

ए-7, जो एक राजनीतिक नेता था, की सह-षड्यंत्रकारी के रूप में दोषसिद्धि — औचित्य — अभिनिर्धारित : औचित्यपूर्ण नहीं — ए-7 के विरुद्ध उपलब्ध साक्ष्य अपर्याप्त था — अभियोजन द्वारा ए-7 की पहचान कराने का कोई प्रयास नहीं किया गया, जबकि उसकी पहचान सरलतापूर्वक कराई जा सकती थी — ए-7 को संदेह का लाभ प्रदान किया गया।

ए-5 की दोषसिद्धि — औचित्य — अभिनिर्धारित : औचित्यपूर्ण नहीं — ए-5 के विरुद्ध ऐसा शायद ही कोई साक्ष्य था, जिसके आधार पर उसे षड्यंत्रकारी कहा जा सके — उसे कभी पहचान के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया— ए-5 की मृतक से कोई शत्रुता नहीं थी — केवल इस कारण कि वह अन्य कुछ अभियुक्तों के साथ यात्रा कर रहा था, षड्यंत्र में उसकी किसी भूमिका को सिद्ध नहीं किया जा सकता — वे यात्राएँ अनेक अन्य कारणों से भी की गई हो सकती थीं — अतः वह दोषमुक्त किए जाने का अधिकारी है।

ए-6 की दोषसिद्धि — औचित्य— अभिनिर्धारित : औचित्यपूर्ण नहीं — केवल इस कारण कि ए-6 के कब्जे से कुछ वस्तुएँ प्राप्त हुई थीं और वह उनके संबंध में कोई स्पष्टीकरण देने में असफल रहा, यह उपधारणा नहीं की जा सकती कि यह सब केवल उस धनराशि के कारण था, जो कथित रूप से उसे षड्यंत्र के सदस्य के रूप में प्राप्त हुई थी— यह साक्ष्य यह धारित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि वह षड्यंत्र का सदस्य था— अतः ए-6 संदेह के लाभ का अधिकारी है।

ए-4 की दोषसिद्धि — औचित्य — अभिनिर्धारित : औचित्यपूर्ण नहीं — किसी भी विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में, केवल इस कारण कि ए-4 अन्य अभियुक्तों के साथ यात्रा कर रहा था और दो होटलों में ठहरा था, यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसा षड्यंत्र को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से किया गया था — अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं लाया गया है, जिससे यह संकेत मिले कि उसके पास से बरामद धनराशि उसे षड्यंत्र के भाग के रूप में दी गई थी — अतः ए-4 को संदेह का लाभ दिया जाता है।

ए-2 — मुख्य अभियुक्त ए-1 का कार्यालय परिचर — उसके पास से बड़ी धनराशि प्राप्त हुई — ए-2 की दोषसिद्धि — औचित्य — अभिनिर्धारित : औचित्यपूर्ण नहीं — ए-2 की पहचान किसी के द्वारा नहीं की गई थी — केवल धनराशि की बरामदगी का कोई महत्व नहीं होगा, जब तक कि अभियोजन कोई ऐसा मामला प्रस्तुत न करे और प्रथमदृष्टया कुछ साक्ष्य न दे कि यह धनराशि उस धन का भाग थी, जो उसे ए-1 से प्राप्त हुई थी और वह भी षड्यंत्र को सफल बनाने के प्रयोजन से — अभियोजन इस भार का निर्वहन करने में असफल रहा —यह संभावित नहीं है कि ए-1 जैसा धनाढ्य और प्रभावशाली व्यक्ति ऐसे संवेदनशील मामले में, जहाँ किसी व्यक्ति की हत्या की परिकल्पना की गई थी, किसी कार्यालय परिचर की सहायता लेता — यह अभियोजन मामले की मूल दुर्बलता है — ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह प्रदर्शित हो कि ए-1 और ए-2 के मध्य मनों की एकता थी अथवा ए-2 षड्यंत्र में भाग लेने के लिए सहमत हुआ था — इसलिए यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि ए-2 एक षड्यंत्रकारी था।

भारत का संविधान, 1950 — अनुच्छेद 136 — दांडिक विचारण — विचारण न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय द्वारा साक्ष्य का मूल्यांकन — विशेष अनुमति याचिका चरण पर साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन — ग्राह्यता — निर्णीत : सामान्यतः, जब साक्ष्य को विचारण न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो, तो सर्वोच्च न्यायालय पुनर्मूल्यांकन का अभ्यास नहीं करता, जब तक यह प्रदर्शित न किया जाए कि साक्ष्य का मूल्यांकन विकृत है, न्यायिक दृष्टि से पूर्णतः अस्वीकार्य है, अथवा इतना त्रुटिपूर्ण है कि सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता उत्पन्न हो, या यह कि विचारण एवं अपीलीय न्यायालय ने किसी अयुक्तियुक्त साक्ष्य पर अवलंबन किया हो अथवा ऐसे साक्ष्य की उपेक्षा की हो जिसे वे विचार करने के लिए बाध्य थे।

साक्ष्य — शिनाख्त परेड का साक्ष्य — अभिनिर्धारित : इसे दुर्बल प्रकार का साक्ष्य मानकर नहीं देखा जाना चाहिए।

अभियोजन के अनुसार, ए-1 ने, अभियोजन साक्षी-3 से विवाह करने में असफल रहने के कारण, अभियोजन साक्षी-3 के पति को समाप्त करने के लिए अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर एक दांडिक षड्यंत्र रचा। ए-1 के कर्मचारी ए-2 ने ए-1 को ए-4, ए-5 तथा ए-6 के साथ संपर्क स्थापित करने में सहायता की। इसके पश्चात् ए-2, ए-4, ए-5 तथा ए-6 ने ए-7 (एक राजनीतिक नेता) से संपर्क स्थापित किया, जिसने आगे ए-9, ए-10 तथा ए-11 को सुपारी हत्यारों के रूप में नियुक्त किया। तत्पश्चात् ए-9, ए-10 तथा ए-11 ने ए-8 द्वारा चलाई जा रही एक कार किराये पर ली और ए-3 के पति पर *वीच्चु अरुवल* (हत्थे वाला तथा मुड़ी हुई तीक्ष्ण धार वाला एक हथियार) से निर्ममतापूर्वक प्रहार किया तथा घटनास्थल पर ही उसकी हत्या कर दी। कथित रूप से इस घटना को अभियोजन साक्षी-14, अभियोजन साक्षी-15 तथा अभियोजन साक्षी-16 ने देखा था। मृतक को उसके शरीर के संवेदनशील अंगों, जैसे कंधे, गर्दन, दाहिने गाल, पश्चकपाल क्षेत्र आदि पर 9 चीरकारी चोटें आई थीं। यह हत्या कोयम्बटूर की एक व्यस्त सड़क पर दिन-दहाड़े की गई थी।

विचारण न्यायालय ने ए-9, ए-10 एवं ए-11 को भा.दं.वि. की धारा 302 सहपठित धारा 34 के अधीन दोषसिद्ध किया। ए-1, ए-2, ए-4, ए-5, ए-6, ए-7, ए-8, ए-9, ए-10 एवं ए-11 को भा.दं.वि. की धारा 120-B के अधीन दोषसिद्ध किया गया। ए-1, ए-2, ए-4, ए-5, ए-6, ए-7 एवं ए-8 को भा.दं.वि. की धारा 302 सहपठित धारा 109 के अपराध हेतु भी दोषसिद्ध किया गया। विचारण न्यायालय ने ए-3 को दोषमुक्त किया। उसके दोषमुक्ति के विरुद्ध राज्य द्वारा कोई अपील दायर नहीं की गई। दोषसिद्ध अभियुक्तों ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलें दायर कीं। ए-8 द्वारा दायर अपील स्वीकार की गई तथा उसे दोषमुक्त कर दिया गया। शेष दोषसिद्धों की अपीलें निरस्त कर दी गईं। इस अपील की लंबितावस्था के दौरान ए-1 ने आत्महत्या कर ली। वर्तमान अपीलें ए-2, ए-4, ए-5, ए-6, ए-7, ए-9, ए-10 एवं ए-11 द्वारा दायर की गई हैं।

अपीलों का निस्तारण करते हुए

न्यायालय ने निर्णय दिया : 1. इस वाद में विशिष्ट रूप से अभियुक्त-अपीलकर्ताओं को दो समूहों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम समूह ए-9, ए-10 एवं ए-11 का है, जिनकी संलिप्तता प्रत्यक्ष नेत्रसाक्ष्य से स्थापित हुई तथा वे अ. सा.-3 के पति की हत्या के षड्यंत्र का भी भाग थे। द्वितीय समूह ए-2, ए-4, ए-5, ए-6 एवं ए-7 का है, जिन्हें षड्यंत्रकारी के रूप में आरोपित किया गया है। तथापि मृतक पर आक्रमण के कृत्य के संबंध में उनके विरुद्ध कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अतः यह न्यायालय इस विषय पर समूहवार विचार करना प्रस्तावित करता है। [कंडिका 19 तथा 20] [1038 सी-एफ]

<u>ए-9, ए-10 एवं ए-11</u>

2.1. सामान्यतः, जब साक्ष्य को विचारण न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो, तो सर्वोच्च न्यायालय साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन के अभ्यास में प्रविष्ट नहीं होता, जब तक यह प्रदर्शित न किया जाए कि विचारण एवं अपीलीय न्यायालय द्वारा किया गया साक्ष्य का मूल्यांकन विकृत है, प्रशिक्षित न्यायिक मस्तिष्क के लिए सर्वथा अस्वीकार्य है अथवा इतना त्रुटिपूर्ण है कि सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता उत्पन्न हो, या यह कि विचारण एवं अपीलीय न्यायालय ने किसी अयुक्तियुक्त साक्ष्य पर अवलंबन किया हो अथवा ऐसे साक्ष्य की उपेक्षा की हो जिसे वे विचार एवं मूल्यांकन करने के लिए बाध्य थे। [कंडिका 20] [1038-जी-एच; 1039-ए-बी]

2.2. वर्तमान वाद में इन तीन अभियुक्तों ए-9, ए-10 एवं ए-11 के विरुद्ध साक्ष्य मुख्यतः अ. सा.-14, अ. सा.-15 एवं अ. सा.-16 के नेत्रसाक्ष्य-विवरण पर आधारित है। तीनों साक्षियों ने घटना का सजीव वर्णन किया है। सभी ने यह कथन किया कि ए-10 एवं ए-11 ने मृतक को रोका तथा ए-9 ने मृतक पर गंभीर प्रहार करना प्रारंभ किया। इन अभियुक्तों द्वारा निभाई गई भूमिका के संबंध में तीनों नेत्रसाक्षियों का साक्ष्य परस्पर सुसंगत है तथा उनके साक्ष्य को त्याज्य ठहराने का कोई कारण दृष्टिगोचर नहीं होता। विचारण न्यायालय एवं

अपीलीय न्यायालय द्वारा उनके साक्ष्य को सत्य मानना उचित है। [कंडिका 21, 27] [1039-सी-डी; 1045-ई-एफ]

2.4. तथापि, इन तीन अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध कुछ अन्य परिस्थितियाँ परिस्थितिजन्य साक्ष्य के रूप में अभिलेख पर लाई गईं। इन परिस्थितियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है *अरुवल* की बरामदगी, जो ए-9 के कथन पर हिंदू श्मशान भूमि से की गई। अभियोजन ने अभिलेख पर यह तथ्य स्थापित किया कि टैक्सी सं. टीएसी 5667, जिसे ए-8 चला रहा था, ऊटी होकर गुज़री थी। अभियोजन ने यह सिद्ध करने हेतु अ. सा.-44 एवं अ. सा.-43 का परीक्षण किया कि उक्त टैक्सी जांच चौकी से होकर गुज़री थी। इस तथ्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। अतः यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि टैक्सी दो बार ऊटी से होकर गुज़री। यह परिस्थिति अधीनस्थ दोनों न्यायालयों द्वारा भी स्वीकार की गई है। फलतः यह सिद्ध है कि उक्त टैक्सी दिनांक 16.8.93 को ऊटी में थी। यह विवादित नहीं किया जा सकता कि यही वह टैक्सी थी जिसका उपयोग तीनों अभियुक्त व्यक्तियों ने तिरुनेलवेली से कोयंबटूर यात्रा करने हेतु किया था। अ. सा.-44 के साक्ष्य से यह भी सिद्ध होता है कि अभियुक्त व्यक्तियों ने दिनांक 16-17/8/93 की रात्रि में ऊटी स्थित होटल आर्थी लॉज में निवास किया। यह मात्र संयोग नहीं हो सकता कि तिरुनेलवेली स्थित अभियुक्त का पूरा नाम एवं पता आर्थी लॉज के अभिलेख में अंकित पाया जाए। इस परिस्थिति को भी विचारण न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया है तथा भिन्न दृष्टिकोण अपनाने का कोई कारण नहीं है। ए-9 के विरुद्ध अन्य महत्वपूर्ण परिस्थिति अ. सा.-50, जो एक वैज्ञानिक अधिकारी था, का साक्ष्य है। उसने एम.ओ.-20, जो मृतक का रंगीन छायाचित्र था और जो तलाशी के दौरान टैक्सी से प्राप्त हुआ था, का परीक्षण किया। उसने एम.ओ.-20 की तुलना एम.ओ.-17, जो अ. सा.-3 का रंगीन छायाचित्र था, से की। उसने यह प्रतिपादित किया कि मद सं. 1 एवं 2, जो एक पुरुष एवं एक महिला के छायाचित्र थे, परस्पर मेल खाते हैं तथा वे एक ही छायाचित्र के कटे हुए भाग हैं; दोनों छायाचित्रों में रंग तत्व समान है,

छायाचित्र का पश्च भाग मेल खाता है, अतः उसने अभिमत दिया कि मद सं. 1 एवं 2 एक ही छायाचित्र के अंश हैं। अ. सा.-3 का छायाचित्र ए-1 के कब्जे से प्राप्त हुआ, जबकि मृतक का छायाचित्र उस टैक्सी से प्राप्त हुआ जिसमें ए-9, ए-10 एवं ए-11 यात्रा कर रहे थे। जब यह सिद्ध हो गया कि छायाचित्र टैक्सी की पिछली सीट के नीचे रखा था, तब टैक्सी तथा उसमें अभियुक्तों की यात्रा का महत्व और अधिक स्पष्ट हो जाता है। [कंडिका 30, 34 एवं 35] [1047-सी; 1049-एच; 1050-ए-सी; 1050-जी-एच; 1051-ए-डी; 1052-सी]

2.5. ए-9, ए-10 एवं ए-11 के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं और विचारण न्यायालय तथा अपीलीय न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 34 की सहायता से, ए-9 के मामले में धारा 302 के अधीन तथा अन्य अभियुक्तों के मामले में भी उक्त अपराध के लिए, उन्हें सही रूप से दोषसिद्ध किया है। [कंडिका 36] [1053 ई-एफ]।

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम बूटा सिंह एवं अन्य, 1979 (1) एस.सी.सी. 31 — अवलंबित।

हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम जीत सिंह, 1999 (4) एस.सी.सी. 370 — संदर्भित।

<u>ए-2, ए-4, ए-5, ए-6, ए-7</u>

3.1. इस वाद में ए-2, ए-4, ए-5, ए-6 एवं ए-7 के विरुद्ध विचारण न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय के समवर्ती निर्णयों के बावजूद, यह न्यायालय साक्ष्य पर पुनः विचार करने के लिए बाध्य हुआ, क्योंकि वह विचारण एवं अपीलीय स्तर पर साक्ष्य के मूल्यांकन से संतुष्ट नहीं है। अधीनस्थ न्यायालयों ने पहले षड्यंत्र के अस्तित्व को मान लिया और उसी आधार पर आगे बढ़े, तथा तत्पश्चात् साक्ष्य के छोटे-छोटे अंशों को ग्रहण कर यह प्रदर्शित करने का प्रयास किया कि वे अंश अभियुक्तों को षड्यंत्र से षड्यंत्रकारियों के रूप में जोड़ते हैं — यह दृष्टिकोण त्रुटिपूर्ण है। [कंडिका 55] [1076-डी-ई]

3.2. षड्यंत्र का साक्ष्य प्राप्त करना अत्यंत कठिन होता है तथा अभियोजन को षड्यंत्र सिद्ध करने में सदैव गंभीर कठिनाई का सामना करना पड़ता है, अतः षड्यंत्र का अनुमान परिस्थितियों से लगाया जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अ. सा.-3 के पति को परिदृश्य

से एवं इस संसार से समाप्त करने हेतु षड्यंत्र था। तथापि पुनः प्रश्न यह है कि क्या ए-7 को स्वयं उस षड्यंत्र से जोड़ने हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। यह समझना आवश्यक है कि यदि उक्कडम से उसके निवास पर किए गए कुछ दूरभाष कॉल तथा ए-2, ए-4, ए-5 एवं ए-6 द्वारा कोयंबटूर से मदुरै तथा चेन्नई से कोयंबटूर की यात्राओं के अतिरिक्त ए-7 से कोई संबंध स्थापित नहीं होता, तो इससे ए-7 को सफलतापूर्वक षड्यंत्र से नहीं जोड़ा जा सकता। अतिरिक्त रूप से, अभियोजन द्वारा ए-7 की पहचान कराने का कोई प्रयास नहीं किया गया, जबकि उसे विधायक छात्रावास के कर्मचारीगण द्वारा सरलतापूर्वक पहचाना जा सकता था। किसी रहस्यमय कारणवश ऐसा नहीं किया गया। ऐसा कोई साक्ष्य भी हो सकता था जिससे यह संकेत मिलता कि उसका ए-9, ए-10 एवं ए-11 से कोई संबंध था; किन्तु इस संबंध में उपलब्ध साक्ष्य भी संतोषजनक से बहुत दूर है। इन परिस्थितियों में, यद्यपि विचारण न्यायालय एवं उच्च न्यायालय ने ए-7 को षड्यंत्रकारी माना है, तथापि उसे ऐसा ठहराना अत्यंत कठिन है। अतः उसे संदेह का लाभ प्रदान किया जाता है। [कंडिका 47] [1066-एच; 1067-ए-ई]

3.3. ए-5 के विरुद्ध ऐसा कोई ठोस साक्ष्य लगभग उपलब्ध नहीं है जिससे उसे षड्यंत्रकारी ठहराया जा सके। यह अभियुक्त, उसके अन्य मित्रों ए-2, ए-4 एवं ए-6 की भाँति, कभी भी पहचान हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। यदि अभियोजन का कथन था कि वह श्री जानकीराम होटल अथवा ब्लू स्टार होटल में ठहरा था, तो उन होटलों के कर्मचारियों से उसकी पहचान कराई जा सकती थी; ऐसा नहीं किया गया। यात्राएँ, यदि मान भी ली जाएँ, तो भी उससे उसका षड्यंत्र से कोई संबंध स्थापित नहीं होता, क्योंकि वे किसी भी उद्देश्य से हो सकती थीं। इसके अतिरिक्त, जिस रेलगाड़ी से उसने यात्रा की, उसके रेलवे कर्मचारियों द्वारा भी उसकी पहचान कराने का कोई प्रयास नहीं किया गया। उसके विरुद्ध अधिकतम यही कहा गया कि ए-2, ए-5 एवं ए-6 प्रायः एस.टी.डी. बूथ पर जाकर दूरभाष कॉल करते थे; इसमें कोई संदेहास्पद बात नहीं है, क्योंकि कॉल करने के अनेकों अन्य कारण भी हो सकते हैं।

अन्य अभियुक्तों के साथ उसका आवागमन मात्र, षड्यंत्र की प्रगति में उसकी किसी भूमिका, वह भी महत्वपूर्ण भूमिका, को प्रदर्शित नहीं करता। ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह संकेत मिले कि अ. सा.-3 के पति की हत्या के तथाकथित षड्यंत्र से उसका कोई संबंध था। मृतक से उसकी कोई शत्रुता भी नहीं थी। अभियुक्तों के साथ की गई यात्राओं को षड्यंत्र की कड़ी अथवा उसके किसी भाग का प्रमाण नहीं कहा जा सकता; उसकी यात्राएँ अन्य अनेक कारणों से भी हो सकती थीं। विचारण न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय का यह निष्कर्ष कि इस साक्ष्य के आधार पर इस अभियुक्त को षड्यंत्र में जोड़ा जा सकता है, इस न्यायालय को स्वीकार्य नहीं है। अभियोजन प्रकरण इस न्यायालय को तनिक भी प्रभावित नहीं करता। अतः ए-5 दोषमुक्ति का अधिकारी है। [कंडिका 48] [1067-एफ-एच; 1068-ए-एच; 1069-ए-बी]

3.4. जहाँ तक ए-6 के प्रकरण का संबंध है, उसके षड्यंत्र में सहभाग को पुनः रेलवे यात्राओं से तथा अ. सा.-20 एवं अ. सा.-21 के साक्ष्य से सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। मात्र कुछ बरामदगियाँ हो जाने से किसी भी प्रकार से अभियुक्त का षड्यंत्र से संबंध स्थापित नहीं होता, और यह कोई विधिसम्मत अनुमान नहीं है कि केवल इस कारण कि अभियुक्त के कब्जे से कुछ वस्तुएँ प्राप्त हुईं जिनका वह स्पष्टीकरण देने में असफल रहा, इसलिए वह समस्त धनराशि तथा स्वर्ण श्रृंखला उसी धन से प्राप्त हुई होगी जो उसे कथित रूप से षड्यंत्र के सदस्य के रूप में ए-2 से प्राप्त हुई थी। यह साक्ष्य उसे षड्यंत्र का सदस्य सिद्ध करने हेतु अपर्याप्त है। इससे अधिकतम उसके विरुद्ध संदेह उत्पन्न हो सकता है, किन्तु वह भी किसी विधिसम्मत आधार के बिना होगा। अतः इस अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाना आवश्यक है। [कंडिका 49] [1069-सी-डी; 1070-ई-जी]

3.5. स्थापित विधि यह है कि षड्यंत्र सिद्ध करने हेतु अभियोजन द्वारा जिस प्रत्येक परिस्थिति पर अवलंबन किया जाता है, उसका उस षड्यंत्र से संबंध सिद्ध होना आवश्यक है। किसी ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में, मात्र इस कारण कि ए-4 अन्य व्यक्तियों के साथ यात्रा कर रहा था तथा उन दो होटलों में ठहरा, यह नहीं कहा जा सकता कि वह षड्यंत्र

को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से था। उसकी पहचान के अभाव में, यदि ये हस्तलेख उसके उपस्थित होने को सिद्ध भी करें, तो भी उससे अधिकतम अभियुक्त के विरुद्ध संदेह उत्पन्न हो सकता है, जो पर्याप्त नहीं है। उसके संबंध में यह कहा गया कि उसने एम.ओ.-11 के अंतर्गत एक टाइटन घड़ी तथा एम.ओ.-12 के अंतर्गत नकद राशि की बरामदगी कराई। तथापि यह नहीं दर्शाया गया कि इन भौतिक वस्तुओं में से किसी का भी षड्यंत्र से किस प्रकार संबंध स्थापित होता है। अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं लाया गया जिससे यह संकेत मिले कि उसके पास रु. 23,000/- नहीं हो सकते थे। बरामदगी का साक्ष्य पुनः दुर्बल प्रकार का साक्ष्य है तथा यह न्यायालय अनेक अवसरों पर केवल बरामदगी के साक्ष्य पर निर्भर रहने से इंकार करता रहा है। अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह प्रदर्शित हो कि उक्त रु. 23,000/- ए-1 द्वारा ए-2 के माध्यम से उसे दिए गए थे। उसके और ए-7 अथवा उस संदर्भ में ए-9, ए-10 एवं ए-11 के बीच कोई संबंध स्थापित नहीं हुआ है। इन समस्त सामग्री के अभाव में, उसे मात्र षड्यंत्रकारी मानकर दोषसिद्ध करना अत्यंत जोखिमपूर्ण होगा। अतः उसे संदेह का लाभ प्रदान किया जाता है। [कंडिका 52] [1073-सी-एच; 1074-ए]

3.6. इसमें कोई संदेह नहीं कि ए-2, ए-1 से संबद्ध था, क्योंकि वह उसका कार्यालय-सहायक था। उसे लक्ष्मी विलास बैंक, तिरुपुर शाखा से रु. 3,00,000/- का चेक भुनाने के लिए कहा गया था। तथापि उसके द्वारा स्वयं के नाम का चेक लेकर उसे भुनाने में इस न्यायालय को कोई संदेहास्पद बात दृष्टिगोचर नहीं होती, क्योंकि कार्यालय-सहायक के रूप में यह उसका कर्तव्य था कि स्वामी द्वारा दिए गए कार्यों का पालन करे। इस अभियुक्त की किसी ने पहचान नहीं की। मात्र धनराशि की बरामदगी का कोई महत्व नहीं होगा, जब तक अभियोजन ऐसा प्रकरण प्रस्तुत कर कुछ *प्रथमदृष्ट्या* साक्ष्य न दे कि यह नकद वही धनराशि थी जो उसे चेक भुनाने के पश्चात् प्राप्त हुई थी। वस्तुतः ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह संकेत मिले कि उसने वह नकद वापस नहीं किया था। यद्यपि इस अभियुक्त को उक्त नकद के संबंध में कोई स्पष्टीकरण देना अपेक्षित था, तथापि यह तभी आवश्यक होता जब

यह प्रदर्शित किया जाता कि उसने यह नकद ए-1 से प्राप्त किया था और वह भी षड्यंत्र की सफलता के उद्देश्य से। अभियोजन इस दायित्व का निर्वहन करने में असफल रहा है। ए-1 एक मिल-स्वामी था और अत्यंत संपन्न व्यक्ति था; उसके पास पर्याप्त साधन उपलब्ध थे। यह स्वीकार करना अत्यंत कठिन है कि ए-1 जैसा प्रभावशाली व्यक्ति, ऐसे संवेदनशील विषय में — जहाँ मृतक के उन्मूलन का विचार किया गया हो — किसी साधारण कार्यालय-सहायक की सहायता लेता। यही अभियोजन प्रकरण की मूल दुर्बलता है। यह भी स्पष्ट है कि यदि यह मान भी लिया जाए कि ए-7 ने ए-9, ए-10 एवं ए-11 की सेवाएँ प्राप्त कराई थीं, तब भी ए-1 के पास ए-7 से संपर्क स्थापित करने अथवा उसकी सेवाएँ प्राप्त करने के अनेक अवसर उपलब्ध थे। ऐसा कुछ भी अभिलेख पर नहीं है जिससे यह प्रदर्शित हो कि ए-1 और ए-2 के मध्य कोई अभिसंधि हुई थी अथवा ए-2 ने षड्यंत्र में भाग लेने पर सहमति दी थी। ऐसी सहमति उसके षड्यंत्र में सहभाग सिद्ध करने के लिए अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त ऐसा भी कुछ नहीं है जिससे यह संकेत मिले कि ए-2 इतना संसाधन-सम्पन्न था कि वह ए-7 की सेवाएँ प्राप्त कर सकता था; वह मात्र एक कार्यालय परिचर था। इसमें कोई संदेह नहीं कि मृतक के उन्मूलन हेतु षड्यंत्र था, किन्तु मात्र षड्यंत्र के अस्तित्व से यह अतिरिक्त निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि ए-2 भी षड्यंत्रकारी था। इसके लिए अभियोजन को कोई ठोस सकारात्मक साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक था, जो इस वाद में वह प्रस्तुत करने में असफल रहा है। [कंडिका 53, 54] [1074-बी-सी; 1075-सी-एच; 1076-ए-सी]

3.7. वर्तमान वाद में यह मानना संभव नहीं है कि ए-2, ए-4, ए-5, ए-6 एवं ए-7 द्वारा मृत ए-1 के साथ किए गए कृत्य तथा तत्पश्चात् ए-9, ए-10 एवं ए-11 द्वारा किए गए कृत्य, ऐसी परिस्थितियों की श्रृंखला बनाते हैं जो इन अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध षड्यंत्र का अपराध अनिवार्य रूप से सिद्ध करे। वास्तव में ए-2, ए-3, ए-4, ए-5 एवं ए-6 द्वारा किया गया कृत्य मात्र इतना था कि वे कोयंबटूर और मदुरै के बीच साथ-साथ यात्रा करते रहे तथा संभवतः अपने प्रथम प्रवास में जानकीराम होटल में ठहरे। इसके पश्चात् यह एक अभावग्रस्त

कड़ी है कि वे तिरुनेलवेली और आगे चेन्नई कैसे पहुँचे। अभियोजन का कथन था कि उन्होंने तत्पश्चात् चेन्नई स्थित विधायक छात्रावास में ए-7 से संपर्क स्थापित कर उससे भेंट की। किन्तु इस संबंध में अभियोजन पूर्णतः विफल रहा। वे यह सिद्ध करने में असफल रहे कि ए-7 वास्तव में विधायक छात्रावास में ठहरा था। विधायक छात्रावास के अभिलेखों में मात्र 'जॉन पांडियन' नाम का उल्लेख होना तब तक निरर्थक है जब तक कि विधायक छात्रावास के किसी व्यक्ति द्वारा ए-7 की पहचान न की जाती। यह निःसंदेह संभव था, किन्तु अन्वेषण एजेंसी द्वारा ऐसा नहीं किया गया। फलतः यह अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी कि ए-2, ए-4, ए-5 एवं ए-6 ने वास्तव में विधायक छात्रावास में ए-7 से भेंट की, सिद्ध नहीं हुई। जब यह कड़ी ही टूट जाती है, तो षड्यंत्र संबंधी समस्त अभियोजन सिद्धांत स्वतः ध्वस्त हो जाता है। यहाँ तक कि यदि यह मान भी लिया जाए कि इन चार व्यक्तियों को ए-1 द्वारा ए-7 से संपर्क स्थापित करने हेतु भेजा गया था, तब भी ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह प्रदर्शित हो कि ए-1 किसी भी प्रकार से ए-7 को जानता था अथवा उससे संपर्क करना चाहता था और इसी कारण उसने ए-2 को भेजा, जिसने ए-4, ए-5 एवं ए-6 की सहायता लेकर ए-7 से संपर्क स्थापित किया। [कंडिका 58] [1080-सी-एच]

3.8. इन अभियुक्त व्यक्तियों के ब्लू स्टार होटल में ठहरने के संबंध में भी स्थिति समान है। जानकीराम होटल तथा ब्लू स्टार होटल के कर्मचारियों से इन चार व्यक्तियों की पहचान कराई जा सकती थी कि वे संबंधित तिथियों पर वास्तव में वहाँ ठहरे थे; किन्तु ऐसा भी नहीं किया गया। जहाँ तक इस तर्क का संबंध है कि इन अभियुक्त व्यक्तियों ने कोयंबटूर से मदुरै तथा चेन्नई से कोयंबटूर तक साथ-साथ यात्रा करने का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, तो ऐसे स्पष्टीकरण का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि प्रथम दृष्टया यह सिद्ध ही नहीं किया गया कि इन व्यक्तियों ने वास्तव में यात्रा की थी। यहाँ तक कि यदि यह मान भी लिया जाए कि उन्होंने साथ-साथ यात्रा की, तो भी उससे अभियोजन को कोई लाभ नहीं होता; उनके यात्रा करने के अनेक अन्य उद्देश्य भी हो सकते थे। मात्र इस तथ्य का स्पष्टीकरण न देना कि

अभियुक्त व्यक्तियों ने उक्त यात्राएँ क्यों कीं, अपने-आप में उनके विरुद्ध कोई साक्ष्य उत्पन्न नहीं करता, यद्यपि उनकी सहभागिता के मूल्यांकन में वह प्रासंगिक हो सकता है। अतिरिक्त रूप से, यदि यह मान भी लिया जाए कि इन अभियुक्त व्यक्तियों से धनराशि बरामद हुई, तो भी अभिलेख पर ऐसा कुछ नहीं है जिससे यह सिद्ध हो कि वह धन ए-1 द्वारा ए-2 को तथा उसके माध्यम से अन्य अभियुक्त व्यक्तियों को दिया गया था। वस्तुतः हत्या के लिए कितनी धनराशि देने पर सहमति हुई थी तथा कितनी धनराशि वितरित की गई, इस विषय में अभियोजन अत्यंत भ्रमित रहा। ये समस्त परिस्थितियाँ कम से कम ए-2, ए-4, ए-5, ए-6 एवं ए-7 के संबंध में षड्यंत्र संबंधी अभियोजन प्रकरण को पूर्णतः ध्वस्त कर देती हैं। [कंडिका 59] [1081-ई-बी-एफ]

3.9. कथित दूरभाष कॉलों के संबंध में अभियोजन पूर्णतः विफल रहा है। इन परिस्थितियों में यह ठहराना अत्यंत कठिन है कि ए-2, ए-4, ए-5, ए-6 एवं ए-7 षड्यंत्रकारी थे। इस प्रयोजनार्थ उन्हें संदेह का लाभ दिया जाना आवश्यक है। निःसंदेह यह सत्य है कि ए-2, जो मात्र एक कार्यालय-सहायक था, को रु. 1,00,000/- की धनराशि अपने साथ लिए हुए पाया गया। अब यह समझ से परे है कि ए-2 रु. 2,00,000/- की धनराशि लेकर क्यों घूमता रहता और उस अवसर पर उसके पास से केवल रु. 1,00,000/- ही कैसे प्राप्त हुआ। यह भी उल्लेखनीय है कि ए-2 ने यह स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया कि उक्त धन उसके पिता का था, जिसे उन्होंने सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में प्राप्त किया था। उसके पास मात्र एक लाख रुपये का होना, षड्यंत्र सिद्धांत को किसी भी प्रकार आगे नहीं बढ़ाता। इस वाद में अभियोजन के मार्ग में एक अन्य कठिनाई भी है, और वह है उच्च न्यायालय द्वारा ए-8, जो टैक्सी चालक था, की दोषमुक्ति। उसी की टैक्सी से मृतक का छायाचित्र तथा रु. 23,000/- की धनराशि बरामद हुई थी। राज्य ने उस दोषमुक्ति को चुनौती देना आवश्यक नहीं समझा, जिसके परिणामस्वरूप षड्यंत्र की एक अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी टूट जाती है। [कंडिका 60] [1081-जी-एच; 1082-ए-डी]

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राज्य बनाम नवजोत संधू उर्फ़ अफ़सान गुरु, 2005 (11) एस.सी.सी. 600; *के.आर. पुरुषोत्तमन बनाम केरल राज्य,* 2005 (12) एस.सी.सी. 631 — **अनुमोदित।**

मेजर ई.जी. बरसे बनाम बंबई राज्य, **ए.आई.आर. 1961 सर्वोच्च न्यायालय 1162**; *केहर सिंह एवं अन्य बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन),* **1988 (3) एस.सी.सी. 609;** *राज्य बनाम नलिनी एवं अन्य,* **1999 (5) एस.सी.सी. 253**; *यशपाल मित्तल बनाम पंजाब राज्य,* **1977 (4) एस.सी.सी. 540;** *हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम कृष्ण लाल प्रधान एवं अन्य,* **1987 (2) एस.सी.सी. 17;** *मो. खालिद बनाम पश्चिम बंगाल राज्य,* **2002 (7) एस.सी.सी. 334**; *मोहम्मद उस्मान मोहम्मद हुसैन मनियार बनाम महाराष्ट्र राज्य,* **1981 (2) एस.सी.सी. 443**; *वी.सी. शुक्ला बनाम राज्य,* **1980 (2) एस.सी.सी. 665;** *ईश्वर सिंह बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, [2004 (11) एस.सी.सी. 585]; वैन रिपर बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका,* (13 एफ.2 डी. 961) **(द्वितीय परिपथ, 1926**); *भगवान स्वरूप लाल बिशन लाल आदि बनाम महाराष्ट्र राज्य,* **ए.आई.आर. 1965 एस.सी. 682**; *महाराष्ट्र राज्य बनाम सोम नाथ थापा,* **जे.टी. 1996 (4) एस.सी. 615**; *अजय अग्रवाल बनाम भारत संघ एवं अन्य,* **1993 (3) एस.सी.सी. 609** — संदर्भित।

अमेरिकन ज्यूरिसप्रूडेंस, **द्वितीय संस्करण, खंड 16, पृष्ठ 129; हाल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ इंग्लैंड — संदर्भित।**

4. निष्कर्षतः, ए-9 एवं ए-10 दोषी ठहराए जाते हैं तथा उन्हें दोषसिद्ध करने वाला अपीलीय न्यायालय का निर्णय पुष्टि किया जाता है। तथापि ए-2, ए-4, ए-5, ए-6 एवं ए-7 द्वारा दायर अपीलें संदेह का लाभ प्रदान करते हुए स्वीकृत की जाती हैं और उन्हें दोषमुक्त किया जाता है। चूँकि ए-1 एवं ए-11 के मृत होने की सूचना है, अतः उनके द्वारा दायर अपीलें निरर्थक घोषित की जाती हैं। [कंडिका 61] [1082-ई-एफ]

नज़ीर संदर्भ

1979 (1) एस.सी.सी. 31	अवलंबन किया गया	कंडिका 28
1999 (4) एस.सी.सी. 370	संदर्भित किया गया	कंडिका 32
ए.आई.आर. 1961 एस.सी. 1762	संदर्भित किया गया	कंडिका 55
1988 (3) एस.सी.सी. 609	संदर्भित किया गया	कंडिका 55
1999 (5) एस.सी.सी. 253	संदर्भित किया गया	कंडिका 55
(13 एफ.2 डी. 961)	संदर्भित किया गया	कंडिका 55
1977 (4) एस.सी.सी. 540	संदर्भित किया गया	कंडिका 55, 57
1987 (2) एस.सी.सी. 17	संदर्भित किया गया	कंडिका 55
2002 (7) एस.सी.सी. 334	संदर्भित किया गया	कंडिका 55
1981 (2) एस.सी.सी. 443	संदर्भित किया गया	कंडिका 55, 57
2005 (11) एस.सी.सी. 600	पुष्ट किया गया	कंडिका 55
1980 (2) एस.सी.सी. 665	संदर्भित किया गया	कंडिका 55, 56
2004 (11) एस.सी.सी. 585	संदर्भित किया गया	कंडिका 56
ए.आई.आर. 1965 एस.सी. 682	संदर्भित किया गया	कंडिका 57
जे.टी. 1996 (4) एस.सी. 615	संदर्भित किया गया	कंडिका 57
1993 (3) एस.सी.सी. 609	संदर्भित किया गया	कंडिका 57
2005 (12) एस.सी.सी. 631	पुष्ट किया गया	कंडिका 57

दांडिक अपीलीय क्षेत्राधिकार : मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांक 04.04.2006 के निर्णय एवं आदेश, जो कि 2003 की दांडिक अपील सं. 121 में पारित हुआ, से उद्भूत।

सह

2007 की दांडिक अपील सं. 453, 544, 503; 2008 की दांडिक अपील सं. 272 तथा 2010 की दांडिक अपील सं. 2285।

शेखर नाफड़े, के. राममूर्ति, वी. कृष्णमूर्ति, पी.एन. रामलिंगम, प्रिसिला पांडियन (एम. विजय भास्कर के लिए), ई.एम.एस. अरम, सेंथिल जगदीशन, वी. रामासुब्रमणियन, वी. मोहना, रवि कुमार तोमर, सजित पी. वारियर, बी.एम. झा, विकास कुमार, श्रीराम जे. थलपति, एस. धनजयन्, प्रोमिला सक्तनि मुरुगन, टी. हरिश कुमार — पक्षकारों की ओर से उपस्थित।

न्यायालय का निर्णय

न्यायमूर्ति वी. एस. सिरपुरकर द्वारा प्रदान किया गया : 1. इस निर्णय द्वारा 2007 की दांडिक अपील सं. 452, 453, 455 एवं 503; 2008 की दांडिक अपील सं. 272 तथा 2007 की विशेष अनुमति याचिका (दांडिक) सं. 1217 का निस्तारण किया जाता है।

2. 2007 की विशेष अनुमति याचिका (दांडिक) सं. 1217 में अनुमति प्रदान की जाती है।

3. ये समस्त अपीलें उन अभियुक्त व्यक्तियों की दोषसिद्धि के विरुद्ध हैं, जिन्हें विचारण न्यायालय तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा भारतीय दंड विधान की धारा 120-बी, धारा 302 सहपठित धारा 109 तथा धारा 302 के अधीन मुख्य रूप से दोषसिद्ध ठहराया गया है।

4. प्रारंभ में विवि उर्फ़ विवेक उर्फ़ विवेकानंदन की हत्या के अपराध के लिए कुल 11 अभियुक्तों का विचारण किया गया। विचारण न्यायालय ने मूल अभियुक्त सं. 9 कुमार पिता- वेल्लैचामी, अभियुक्त सं. 10 पवुनराज उर्फ़ पवुन पिता- पूथियमुथु तथा अभियुक्त सं. 11 प्रिंस कुमार उर्फ़ प्रिंस उर्फ़ बालन पिता- अमलराज को भारतीय दंड विधान की धारा 302 सहपठित धारा 34 के अधीन दोषसिद्ध ठहराया। अभियुक्त सं. 9 कुमार पिता- वेल्लैचामी को मुख्य अपराध हेतु दोषसिद्ध किया गया, जबकि अन्य दो अभियुक्तों को धारा 34 भा.दं.वि. के सहयोग से दोषसिद्ध किया गया। विचारण न्यायालय ने अभियुक्त सं. 3 सुब्रमण्यम उर्फ़ सुब्बु कुट्टी पिता- रामासामी गौंडर को दोषमुक्त किया। उसकी दोषमुक्ति के विरुद्ध राज्य द्वारा कोई अपील दायर नहीं की गई। वेंकटरामन कृष्णन उर्फ़ वेंकटरामन उर्फ़ थम्बु पिता- सूर्य कुमार (अभियुक्त सं. 1), शिवकुमार पिता- मरुथाचलम (अभियुक्त सं. 2), उबैदुल्ला उर्फ़ तमिल सेल्वन पिता- मोहम्मद यूसुफ (अभियुक्त सं. 4), यूसुफ पिता- अब्दुल्ला (अभियुक्त सं. 5), अब्दुल करीम उर्फ़ करीम पिता- हनीफा (अभियुक्त सं. 6), जॉन पांडियन पिता- बेंजामिन (अभियुक्त सं. 7), गणेशन पिता- सुदलैमुथु (अभियुक्त सं. 8), कुमार पिता- वेल्लैचामी (अभियुक्त सं. 9), पवुनराज उर्फ़ पवुन पिता- पूथियमुथु (अभियुक्त सं. 10) तथा प्रिंस कुमार

(अभियुक्त सं. 11) को धारा 120-बी भा.दं.वि. के अपराध हेतु दोषसिद्ध किया गया। वेंकटरामन (अभियुक्त सं. 1), शिवकुमार (अभियुक्त सं. 2), उबैदुल्ला (अभियुक्त सं. 4), यूसुफ (अभियुक्त सं. 5), अब्दुल करीम (अभियुक्त सं. 6), जॉन पांडियन (अभियुक्त सं. 7) तथा गणेशन (अभियुक्त सं. 8) को धारा 302 सहपठित धारा 109 भा.दं.वि. के अपराध हेतु भी दोषसिद्ध किया गया। इन अभियुक्तों में से अभियुक्त सं. 3 को छोड़कर, जिसे दोषमुक्त किया गया था, शेष सभी ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलें दायर कीं। मूल अभियुक्त सं. 8 गणेशन द्वारा दायर अपील अनुज्ञात की गई और उसे दोषमुक्त कर दिया गया। शेष अभियुक्तों की अपीलें निरस्त कर दी गईं तथा उनके विरुद्ध पारित दोषसिद्धि एवं दंडादेश की पुष्टि की गई। तथापि, इस अपील के लंबित रहने के दौरान वेंकटरामन (अभियुक्त सं. 1) ने आत्महत्या कर ली, जबकि अभियुक्त सं. 11 प्रिंस कुमार उर्फ़ प्रिंस का निधन हो गया। अतः वर्तमान अपीलों में अब मूल अभियुक्त सं. 2, 4, 5, 6 एवं 7 तथा अभियुक्त सं. 9, 10 और 11 शेष रहते हैं। सुविधा की दृष्टि से हम अभियुक्तों का उल्लेख उनके मूल अभियुक्त क्रमांकों से करेंगे।

5. यह एक अत्यंत दारुण कथा है, जिसमें प्रेम-त्रिकोण के परिणामस्वरूप मृतक का जघन्य अंत हुआ। हम सर्वप्रथम मृतक विवेक उर्फ़ विवेकानंदन की उस भीषण हत्या का उल्लेख करते हैं, जो दिनांक 17.08.1993 को लगभग प्रातः 10:15 बजे कोयम्बटूर स्थित आर.एस. पुरम क्षेत्र में दिवान बहादुर रोड नामक व्यस्त मार्ग पर, रिची रिच रेस्टोरेंट के समीप घटित हुई। अभियोजन ने निम्न प्रकार की घटनाक्रम-चित्रणा प्रस्तुत की : मृतक विवेक तथा मूल अभियुक्त सं. 1 वेंकटरामन, जिनका परिवार कोयम्बटूर स्थित लक्ष्मी विलास मिल्स का स्वामी था, एक ही महाविद्यालय में अध्ययनरत थे। सुनीता (अ. सा.-3) भी उनके साथ अध्ययन कर रही थी। वेंकटरामन (अभियुक्त सं. 1) का सुनीता के प्रति आकर्षण था। तथापि, सुनीता और विवेक के मध्य प्रेम-संबंध विकसित हो चुका था, जिसका परिणाम अंततः दोनों के विवाह के रूप में हुआ। वस्तुतः उस विवाह के साथ ही समस्त विवाद का अंत हो जाना चाहिए था और दोनों को सुखपूर्वक जीवनयापन हेतु छोड़ दिया जाना चाहिए

था, परंतु दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। अभियोजन के अनुसार, विवाह के पश्चात भी वेंकटरामन (अभियुक्त सं. 1) का सुनीता के प्रति घातक आकर्षण समाप्त नहीं हुआ और वह विवेकानंदन तथा सुनीता का अत्यंत घनिष्ठ मित्र बना रहा; यहाँ तक कि हत्या की घटना के पूर्व दिवस वे अपने अन्य मित्रों के साथ चलचित्र देखने भी गए थे। अभियोजन कथनानुसार वेंकटरामन (ए-1) दंपत्ति के यथासंभव समीप रहने का प्रयास करता रहा तथा उसने उन्हें दूरभाष संयोजन तक उपलब्ध कराया। उसने उनके नवस्थापित गृह के लिए परदे आदि सामग्री क्रय कराने में भी सहायता की। अभियोजन द्वारा यह भी दर्शाने का प्रयास किया गया कि मृतक विवेकानंदन और सुनीता के विवाह के पश्चात अभियुक्त सं. 1 वेंकटरामन का शैरी नामक एक अभियंत्रण महाविद्यालय की छात्रा के साथ अल्पकालिक प्रेम-संबंध स्थापित हुआ। यद्यपि वेंकटरामन (अभियुक्त सं. 1) ने संभवतः उसे हिंदू धर्म में परिवर्तित कर गुप्त रूप से विवाह किया, तथापि शैरी ने वैवाहिक संबंध का निर्वहन नहीं किया और वेंकटरामन का साथ छोड़कर केरल लौट गई तथा तत्पश्चात थॉमस नामक व्यक्ति से विवाह कर मध्य-पूर्व देश में निवास हेतु प्रस्थान कर गई। इन घटनाओं ने वेंकटरामन (ए-1) के हृदय में विद्यमान प्रेम एवं ईर्ष्या की अग्नि को और प्रज्वलित कर दिया। परिणामतः उसने अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के साथ मिलकर मृतक विवेकानंदन को सदा के लिए समाप्त करने का दांडिक षड्यंत्र रचा।

6. यह सुझाव दिया गया था कि शिवकुमार (अभियुक्त सं. 2), जो उसका एक मामूली कर्मचारी था, ने उसे उबैदुल्ला (अभियुक्त-4), यूसुफ़ (अभियुक्त-5) तथा अब्दुल करीम (अभियुक्त-6) से संपर्क स्थापित करने में सहायता की।अभियोजन का आरोप था कि उबैदुल्ला एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता था और वह तमिल सेल्वन नाम से भी जाना जाता था। अभियोजन का यह भी आरोप था कि शिवकुमार (अभियुक्त-2), उबैदुल्ला (अभियुक्त-4), यूसुफ़ (अभियुक्त-5) तथा अब्दुल करीम (अभियुक्त-6) ने जॉन पांडियन (अभियुक्त-7) नामक व्यक्ति से संपर्क स्थापित किया, जो तिरुनेलवेली का निवासी था तथा पोरूर यूनियन द्रविड़र कषगम नामक संगठन का नेता था।

7. यूसुफ (अभियुक्त सं. 5) एवं अब्दुल करीम (अभियुक्त सं. 6) जॉन पांडियन (अभियुक्त सं. 7) को पूर्व से जानते थे; अतः इस उद्देश्य से कि हत्या के लिए भाड़े के हमलावरों की व्यवस्था की जा सके, जॉन पांडियन (अभियुक्त सं. 7) से संपर्क स्थापित किया गया। शिवकुमार (अभियुक्त सं. 2), उबैदुल्ला उर्फ़ तमिल सेल्वन (अभियुक्त सं. 4) तथा यूसुफ (अभियुक्त सं. 5) दिनांक 17.07.1993 को रामेश्वरम् एक्सप्रेस से मदुरै गए और वहाँ से तिरुनेलवेली जाकर श्री जंकीराम लॉज नामक आवास में ठहरे। आरोप है कि वहीं से उन्होंने जॉन पांडियन (अभियुक्त सं. 7) से दूरभाष पर संपर्क करने का प्रयास किया। संपर्क स्थापित न हो पाने तथा यह ज्ञात होने पर कि वह चेन्नई गया हुआ है, वे चेन्नई चले गए। अभियोजन का वाद है कि जॉन पांडियन चेन्नई स्थित विधायक छात्रावास में ठहरा हुआ था और अभियुक्तगण वहीं उससे मिले। अभियोजन के अनुसार जॉन पांडियन (अभियुक्त सं. 7) से भेंट एवं समझौते के उपरांत शिवकुमार (अभियुक्त सं. 2), उबैदुल्ला (अभियुक्त सं. 4), यूसुफ (अभियुक्त सं. 5) तथा अब्दुल करीम (अभियुक्त सं. 6) कोयम्बटूर लौट आए। इन समस्त प्रयासों के क्रम में वेंकटरामन (अभियुक्त सं. 1) ने अपने कार्यालय सहायक शिवकुमार (अभियुक्त सं. 2) के माध्यम से दिनांक 30.07.1993 को तिरुपुर बैंक पर आहरित चेक द्वारा ₹3,00,000/- की राशि निकलवाई। आरोप है कि यह राशि उबैदुल्ला (अभियुक्त सं. 4), यूसुफ (अभियुक्त सं. 5) एवं अब्दुल करीम (अभियुक्त सं. 6) को प्रदान की गई। तत्पश्चात धन प्राप्त होने पर शिवकुमार (अभियुक्त सं. 2), उबैदुल्ला (अभियुक्त सं. 4) तथा यूसुफ (अभियुक्त सं. 5) पुनः तिरुनेलवेली गए और ब्लू स्टार होटल में ठहरे। अभियोजन के अनुसार जॉन पांडियन (अभियुक्त सं. 7) ने कुमार पिता- वेल्लैचामी (अभियुक्त सं. 9), पवुनराज उर्फ़ पवुन (अभियुक्त सं. 10) तथा प्रिंस कुमार उर्फ़ प्रिंस (अभियुक्त सं. 11) की सेवाएँ हत्या हेतु भाड़े के हमलावरों के रूप में उपलब्ध कराईं। ये अभियुक्त दिनांक 02.08.1993 को तिरुनेलवेली से कोयम्बटूर आए और विजय लॉज में ठहरे। आरोप है कि उसी समय शिवकुमार (अभियुक्त सं. 2) ने विवेकानंदन का छायाचित्र कुमार (अभियुक्त सं. 9), पवुनराज

(अभियुक्त सं. 10) तथा प्रिंस कुमार (अभियुक्त सं. 11) को दिया। यह छायाचित्र मूलतः मृतक विवेकानंदन एवं सुनीता के विवाह का संयुक्त छायाचित्र था। अभियोजन के अनुसार वेंकटरामन (अभियुक्त सं. 1) ने उस छायाचित्र को काटकर विवेकानंदन का भाग पृथक कर दिया तथा सुनीता वाला भाग अपने पास रखा, जिसे पश्चात् पुलिस ने जब्त किया। उस दिन कोई घटना नहीं हुई, क्योंकि कोयम्बटूर में दो दिनों तक भारी पुलिस बंदोबस्त था तथा विवेकानंदन भी नगर में उपस्थित नहीं था। तत्पश्चात अब्दुल करीम (अभियुक्त सं. 6) ने कोयम्बटूर के उक्कडम क्षेत्र स्थित एस.टी.डी. बूथ से जॉन पांडियन (अभियुक्त सं. 7) से संपर्क किया। आरोप है कि कुमार (अभियुक्त सं. 9), पवुनराज (अभियुक्त सं. 10) एवं प्रिंस कुमार (अभियुक्त सं. 11) ने गणेशन (अभियुक्त सं. 8) द्वारा चालित वाहन संख्या टी.ए.सी.-5667 किराए पर लिया। ये चारों अभियुक्त ऊटी गए और अर्थी लॉज में ठहरे। दिनांक 17.08.1993 की प्रातः वे ऊटी से प्रस्थान कर कोयम्बटूर आए और उसी दिन लगभग 10:15 बजे कुमार (अभियुक्त सं. 9), पवुनराज (अभियुक्त सं. 10) तथा प्रिंस कुमार (अभियुक्त सं. 11) ने 'अरुवल' नामक धारदार हथियार से मृतक विवेकानंदन पर निर्ममता से प्रहार कर घटनास्थल पर ही उसकी हत्या कर दी। यह घटना सेल्वराज (अ. सा.-14), परमासिवम (अ. सा.-15) तथा रामलिंगम (अ. सा.-16) द्वारा देखी गई। उसी दिन बी-2 पुलिस थाना के नियंत्रण कक्ष को सूचना प्राप्त हुई कि रिची रिच रेस्टोरेंट के समीप एक व्यक्ति पड़ा हुआ है। विवेकानंदन द्वारा संचालित कंपनी के प्रबंधक वल्लीअप्पन तत्काल स्थल पर पहुँचे, स्थिति देखी और परिवाद दर्ज कराया। उसी के आधार पर पुलिस ने अन्वेषण प्रारंभ किया।

8. अन्वेषण अधिकारी थिरु रत्नासबापति (अ. सा.-56) ने अन्वेषण प्रारंभ किया। उन्होंने घटनास्थल पर मृत शरीर के समीप अभियुक्त व्यक्तियों में से किसी एक द्वारा छोड़ी गई एक चप्पल पाई।

9. अपराध के अन्वेषणार्थ अन्वेषण अधिकारी ने पुलिस अधिकारियों को विभिन्न दलों में विभाजित कर अभियुक्तों, घटना तथा उसके हेतु के संबंध में जानकारी एकत्र करने हेतु

तैनात किया। आगामी 4-5 दिनों के दौरान उन्होंने अनेक साक्षियों, जिनमें कुछ प्रत्यक्षदर्शी साक्षी भी सम्मिलित थे, के कथन लेखबद्ध किए। वेंकटरामन (अभियुक्त सं. 1) का कहीं पता नहीं चल रहा था। थिरु रत्नासबापति (अ. सा.-56) ने मृतक विवेकानंदन के मित्रों, संबंधियों, दुकानदारों तथा अन्य संभावित साक्षियों के कथन अंकित कर घटना के समस्त संभावित पहलुओं की जांच की तथा कुछ दस्तावेज भी जब्त किए। दिनांक 29.08.1993 को लगभग 2:15 अपराह्न, जब वह प्रधान आरक्षी 509 एवं अन्य पुलिस दल के साथ चेल्लामुथु फ्रूट कमीशन मंडी के निकट करुप्पा गौंडर स्ट्रीट पर उपस्थित थे, तभी उन्होंने अभियुक्त सं. 2 शिवकुमार को हाथ में कपड़े का थैला लिए उत्तर दिशा की ओर जाते हुए देखा। उसे तत्काल गिरफ्तार किया गया और उसके थैले से ₹1,00,000/- की राशि बरामद हुई। उसने यह भी स्वीकार किया कि वेंकटरामन (अभियुक्त सं. 1) द्वारा दी गई राशि में से कुछ व्यय करने के पश्चात शेष ₹21,000/- उसने छिपाकर रखे हैं और उन्हें बरामद कराने के लिए सहमति व्यक्त की। शिवकुमार (अभियुक्त सं. 2) की गिरफ्तारी से अब्दुल करीम (अभियुक्त सं. 6) एवं उबैदुल्ला (अभियुक्त सं. 4) की गिरफ्तारी हुई। उन्होंने भी धनराशि एवं अन्य आपत्तिजनक वस्तुओं का प्रकटीकरण करने की तत्परता दिखाई। अब्दुल करीम (अभियुक्त सं. 6) ने कथित कमीशन राशि से क्रय की गई दो स्वर्ण मुद्राओं की चेन तथा एक स्कूटर के प्रकटीकरण पर सहमति दी। शिवकुमार (अभियुक्त सं. 2) पुलिस दल को अपने निवास पर ले गया, जहाँ से एक पॉलिथीन थैली में रखी ₹21,000/- की राशि जब्त की गई। गिरफ्तार अभियुक्त सं. 4 उबैदुल्ला ने भी पुलिस दल को अपने घर ले जाकर ₹23,000/- की राशि एवं एक टाइटन घड़ी बरामद कराई। उसने अब्दुल करीम के घर से एक स्वर्ण श्रृंखला तथा श्री विघ्नेश ज्वेलरी की रसीद का भी प्रकटीकरण किया। लगभग 6:30 बजे पुलिस दल वेंकटरामन (अभियुक्त सं. 1) के निवास पर पहुँचा, जहाँ उसे गिरफ्तार किया गया। उसने सुनीता का छायाचित्र तथा उसके लिए खरीदे गए हीरे के कर्णफूल, जिन्हें उसने छिपा रखा था, बरामद कराने की सहमति दी। वह अपने पिता के साथ पुलिस दल को अपने नव-निर्मित मकान पर ले गया

और सुरक्षित लॉकर में रखे श्वेत प्लास्टिक बैग से सुनीता का रंगीन छायाचित्र (जो विवेकानंदन के छायाचित्र का युग्म भाग था) तथा हीरे के कर्णफूल निकालकर दिए। तत्पश्चात अब्दुल करीम (अभियुक्त सं. 6) पुलिस दल को उडुमलपेट-धारापुरम रोड स्थित सुदर्शन लॉज ले गया, जहाँ से गणेशन (अभियुक्त सं. 8) को गिरफ्तार किया गया। हमलावरों द्वारा प्रयुक्त वाहन संख्या टी.ए.सी.-5667 उसी समय सुदर्शन लॉज के उत्तरी भाग में धारापुरम रोड के किनारे खड़ा मिला। वाहन की तलाशी लेने पर पिछली सीट के नीचे से ₹13,000/- की राशि तथा गुलाबी आवरण में रखा मृतक का छायाचित्र कटिंग प्राप्त हुआ। वाहन में एक यात्रा-पत्रक भी मिला, जिसे जब्त किया गया। लॉज के अभिलेख से ज्ञात हुआ कि किसी व्यक्ति ने 'पांडियन, पलंगनाथम, मदुरै' नामक मिथ्या नाम-पते से प्रविष्टि की थी। अब्दुल करीम (अभियुक्त सं. 6) द्वारा उस एस.टी.डी. बूथ की भी पहचान कराई गई, जहाँ से जॉन पांडियन (अभियुक्त सं. 7) को दूरभाष किए जाते थे; वह बूथ संख्या 30893 था। अन्वेषण अधिकारी ने एस.टी.डी. कॉल रजिस्टर रोल जब्त किया, जिससे यह पुष्टि हुई कि तिरुनेलवेली स्थित दूरभाष संख्या 72324 (जो जॉन पांडियन का था) पर 06.08.1993, 09.08.1993, 11.08.1993, 13.08.1993, 16.08.1993, 19.08.1993 आदि तिथियों पर विभिन्न अवधि के कुल लगभग दस कॉल किए गए थे। यूसुफ (अभियुक्त सं. 5) ने स्वेच्छा से आत्मसमर्पण किया। ऑटो चालक परमन् उर्फ़ परमासिवम् (अ. सा.-15), जो प्रत्यक्षदर्शी साक्षी था, का पता लगाया गया और उसका कथन लेखबद्ध किया गया। विजयलक्ष्मी मिल्स, जिसके स्वामी वेंकटरामन (अभियुक्त सं. 1) थे, के अभिलेख जब्त किए गए। चेन्नई स्थित विधायक छात्रावास के अभिलेख भी जब्त किए गए। तत्पश्चात ज्ञात हुआ कि पवुनराज (अभियुक्त सं. 10) एवं प्रिंस कुमार (अभियुक्त सं. 11) ने न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष आत्मसमर्पण किया है; उन्हें अभिरक्षा में लिया गया। चेक पुस्तिकाएँ तथा दिनांक 13.07.1993 का चेक भी जब्त किया गया। शिवकुमार (अभियुक्त सं. 2), उबैदुल्ला (अभियुक्त सं. 4), यूसुफ (अभियुक्त सं. 5) एवं अब्दुल करीम (अभियुक्त सं. 6) की यात्रा से संबंधित रेल आरक्षण अभिलेख अन्वेषण

अधिकारी द्वारा प्राप्त कर जब्त किए गए। विजयलक्ष्मी लॉज के अभिलेख भी प्राप्त किए गए। अन्वेषण अधिकारी ने शिवकुमार (अभियुक्त सं. 2), उबैदुल्ला (अभियुक्त सं. 4), पवुनराज (अभियुक्त सं. 10) तथा प्रिंस कुमार (अभियुक्त सं. 11) की हस्तलिपि नमूने प्राप्त किए तथा बैंक अभिलेख आदि भी संकलित किए। पवुनराज (अभियुक्त सं. 10) की गिरफ्तारी के पश्चात उसने ₹2,000/- की राशि बरामद कराने की सहमति दी और उक्त राशि बरामद कराई। इसी प्रकार प्रिंस कुमार (अभियुक्त सं. 11) ने ₹5,000/- की राशि तथा अन्नाची जॉन पांडियन (अभियुक्त सं. 7) का छायाचित्र बरामद कराने की सहमति दी। यह कुमार (अभियुक्त सं. 9), पवुनराज (अभियुक्त सं. 10) एवं प्रिंस कुमार (अभियुक्त सं. 11) का जॉन पांडियन (अभियुक्त सं. 7) से संबंध स्थापित करने वाला साक्ष्य था। प्रिंस कुमार (अभियुक्त सं. 11) पुलिस दल को अन्ना नगर स्थित अपने घर ले गया, जहाँ से ₹5,000/- तथा 12 ग्राम वज़न की एक स्वर्ण चेन बरामद हुई। पवुनराज (अभियुक्त सं. 10) द्वारा बरामद की गई राशि 'विजयलक्ष्मी मिल्स' अंकित आवरण में रखी हुई थी। उबैदुल्ला (अभियुक्त सं. 4) के कथन की सत्यता की जांच हेतु अन्वेषण किया गया तथा जंकीराम लॉज के अभिलेख भी जब्त किए गए। तिरुनेलवेली स्थित ब्लू स्टार लॉज के अभिलेख भी प्राप्त कर जब्त किए गए। वाहन स्वामी से भी संपर्क किया गया। जॉन पांडियन (अभियुक्त सं. 7) ने न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष आत्मसमर्पण किया। उससे पूर्व अन्वेषण अधिकारी ने कोयम्बटूर जिला द्रविड़र कझगम तथा पोरूर यूनियन द्रविड़र कझगम की कार्यवृत्त पुस्तिकाएँ भी जब्त की थीं। जॉन पांडियन के निवास का भी निरीक्षण किया गया और यह पाया गया कि दूरभाष संख्या 72324 उसी घर में स्थापित थी। दिनांक 28.10.1993 को पवुनराज (अभियुक्त सं. 10) एवं प्रिंस कुमार (अभियुक्त सं. 11) के संबंध में शिनाख्त परेड आयोजित कराई गई, जिसमें साक्षी सेल्वराज (अ. सा.-14), परमन् उर्फ़ परमासिवम् (अ. सा.-15) तथा रामलिंगम (अ. सा.-16) ने भाग लिया।

10. अभियुक्त सं. 9, कुमार को बाद में गिरफ्तार किया गया। उसने उस *अरुवाल* (धारदार हथियार) की बरामदगी कराने पर सहमति दी, जिससे उसने हत्या की थी। कुमार (अभियुक्त-9) के संबंध में शिनाख्त परेड दिनांक 1.11.1993 को आयोजित की गई। जब्त भौतिक वस्तुओं को न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला में रासायनिक विश्लेषक परीक्षण हेतु भेजा गया और अन्वेषण पूर्ण होने के उपरांत 1.8.1995 को आरोप-पत्र दाखिल किया गया। आरोप निर्धारित किए गए तथा अभियोजन की ओर से कुल 56 साक्षियों का परीक्षण किया गया। अभियुक्तगण ने अपना दोष अस्वीकार किया और अंततः, जैसा कि ऊपर उल्लेखित है, दोषसिद्ध किए गए। उनकी अपीलें निरस्त हो जाने पर, ये वाद अब इन अपीलों में हमारे समक्ष हैं।

11. अभियुक्त सं. 9, 10 एवं 11, अर्थात् क्रमशः कुमार, पावुनराज तथा प्रिंस कुमार की ओर से उपस्थित सुश्री वी. मोहन ने विस्तारपूर्वक तर्क प्रस्तुत करते हुए यह इंगित किया कि उनकी पहचान से संबंधित साक्ष्य तथा तथाकथित प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। उन्होंने यह इंगित किया कि तिरुनेलवेली के निवासी होने के कारण इन अभियुक्तों का मृतक के प्रति कोई वैमनस्य होने का कोई कारण नहीं था। उन्होंने यह भी इंगित किया कि इन अभियुक्तों की ओर से कोई उद्देश्य भी नहीं था। उनका आगे का कथन यह था कि एक प्रत्यक्षदर्शी को छोड़कर अन्य तथाकथित प्रत्यक्षदर्शी साक्षी काफी विलंब के पश्चात अपने कथन के अभिलेखन हेतु उपलब्ध हुए, अतः वे विश्वसनीय नहीं हैं। उनका यह भी तर्क था कि स्वाभाविक साक्षियों को छोड़कर तीन अस्वाभाविक साक्षियों को प्रस्तुत किए जाने का कोई कारण नहीं था। उनका आगे का कथन था कि शिनाख्त परेड में साक्षियों का साक्ष्य भी संतोषजनक नहीं था तथा संपूर्ण कार्यवाही एक प्रहसन मात्र थी। उन्होंने आगे यह भी प्रतिपादित किया कि इन अभियुक्तों के विरुद्ध कोई साक्ष्य, प्रत्यक्ष साक्ष्य तो दूर, उपलब्ध नहीं है। जहाँ तक परिस्थितिजन्य साक्ष्य का प्रश्न है, उन्होंने इंगित किया कि अभियोजन द्वारा इन अभियुक्तों को अपराध से जोड़ने का प्रयास निरर्थक है। तथाकथित बरामदगियाँ तथा

गणेशन (ए-8) द्वारा उपलब्ध कराए गए वाहन से यात्रा या होटलों में उनके ठहरने से संबंधित साक्ष्य भी किसी परिणाम का नहीं है। उन्होंने दोषमुक्ति की प्रार्थना की।

12. अभियुक्त सिवकुमार (ए-2) एवं अब्दुल करीम (ए-6) की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सैंथिल दगदीसन ने अत्यंत परिश्रमपूर्वक हमें साक्ष्य का अवलोकन कराते हुए यह तर्क दिया कि इन अभियुक्तों को केवल तथाकथित परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर ही अभियोजन में सम्मिलित किया गया है। उन्होंने इंगित किया कि अभियोजन किसी भी प्रकार की दांडिक षड्यंत्र को सिद्ध करने में पूर्णतः विफल रहा है तथा उक्त षड्यंत्र में इन अभियुक्तों की कोई भूमिका या संबद्धता भी स्थापित नहीं कर सका। विद्वान अधिवक्ता ने यह इंगित किया कि अभियुक्तों से पर्याप्त धनराशि की कथित बरामदगी का सिद्धांत मात्र एक मिथक है और तथाकथित बरामदगियाँ प्रहसनात्मक हैं। उन्होंने आगे इंगित किया कि एक संपन्न एवं धनी व्यक्ति वेंकटरामन (ए-1) द्वारा अपने कार्यालय परिचर की सहायता से जॉन पांडियन (ए-7) से संपर्क कर मृतक की हत्या हेतु षड्यंत्र करने का कोई कारण नहीं था। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क किया कि षड्यंत्र से संबंधित अभियोजन की संपूर्ण कहानी अत्यंत दुर्बल आधार पर टिकी हुई थी और ध्वस्त हो चुकी है। अधिवक्ता ने यह भी तर्क किया कि अभियुक्त सं. 2, सिवकुमार द्वारा उसके निवास से कथित रूप से बरामद धनराशि के संबंध में यथोचित स्पष्टीकरण दिया गया था, तथापि अधीनस्थ न्यायालयों ने संपूर्ण प्रकरण को पूर्वाग्रहपूर्ण दृष्टि से देखा।

13. अभियुक्त उबैदुल्ला (ए-4) की ओर से उपस्थित श्री ई.एम.एस. अनम ने यह तर्क दिया कि इस सिद्धांत के समर्थन में कुछ भी नहीं है कि उबैदुल्ला को तमिल सेल्वन के नाम से भी जाना जाता था। विद्वान अधिवक्ता ने इंगित किया कि उसका कुमार (ए-9), पावुनराज (ए-10) तथा प्रिंस कुमार (ए-11) से संपर्क में रहने का कोई कारण नहीं था। उन्होंने आगे तर्क किया कि उसके हस्तलेखन से संबंधित साक्ष्य भी पूर्णतः दुर्बल है। उन्होंने यह भी तर्क

किया कि इस अभियुक्त के कभी चेन्नई जाने का भी कोई साक्ष्य नहीं है। उन्होंने यह भी संकेत किया कि कथित बरामदगी एक प्रहसन मात्र थी।

14. अभियुक्त यूसुफ (ए-5) की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रवि कुमार तामर ने यह इंगित किया कि इस अभियुक्त से किसी प्रकार की कोई बरामदगी हुई ही नहीं है तथा इस अभियुक्त के विरुद्ध नाममात्र का भी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, सिवाय इसके कि उसका नाम आरक्षण चार्टों एवं आरक्षण पर्चियों में उल्लिखित है, वह भी भिन्न प्रकार से।

15. अभियुक्त जॉन पांडियन (ए-7) की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शेखर नफाडे ने पुनः प्रतिपादित किया कि उसके विरुद्ध सर्वथा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। उन्होंने इंगित किया कि वेंकटरामन (ए-1) और जॉन पांडियन (ए-7) अथवा सिवकुमार (ए-2), उबैदुल्ला (ए-4), यूसुफ (ए-5) एवं अब्दुल करीम (ए-6) और जॉन पांडियन (ए-7) के मध्य कोई संबंध स्थापित नहीं किया गया है। यह इंगित किया गया कि जॉन पांडियन एक सुप्रसिद्ध राजनीतिक व्यक्तित्व था, अतः किसी विशिष्ट दूरभाष बूथ से किए गए दूरभाष कॉल मात्र को अपने आप में अपराधसिद्धि सूचक परिस्थिति नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार कुमार (ए-9) के साथ उसका छायाचित्र पाया जाना भी किसी प्रकार का परिणामकारी नहीं है। यह भी इंगित किया गया कि यह स्थापित करने हेतु कोई नाममात्र का भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि यह अभियुक्त चेन्नई स्थित एम.एल.ए. छात्रावास में ठहरा था तथा वहाँ अन्य अभियुक्तों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि षड्यंत्र था तथा यह अभियुक्त उसका सक्रिय सदस्य था, कहीं अधिक प्रबल साक्ष्य अपेक्षित था।

16. इसके विपरीत, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के. राममूर्ति ने तर्क दिया कि यह उत्कृष्ट अन्वेषण का उदाहरण है, जिसमें अन्वेषण अधिकारी ने कोई कसर शेष नहीं छोड़ी। विद्वान अधिवक्ता ने अत्यंत प्रयासपूर्वक यह इंगित किया कि अभियुक्तगण एक निश्चित उद्देश्य के साथ संचालित हुए थे।श्री राममूर्ति ने यह तर्क दिया कि अभियुक्तों के लिए साक्ष्य के

पुनर्मूल्यांकन पर आग्रह करना अनुमत नहीं है। उन्होंने आगे यह भी तर्क दिया कि प्रथम, तीन अभियुक्तों, अर्थात् कुमार (ए-9), पावुनराज (ए-10) तथा प्रिंस कुमार (ए-11) की पहचान संबंधी साक्ष्य पूर्णतः विश्वसनीय है तथा दंडाधिकारी अथवा उन साक्षियों, जिन्होंने अभियुक्तों की पहचान की थी, का नाममात्र का भी प्रति-परीक्षण नहीं किया गया, और उक्त साक्ष्य को अधीनस्थ दोनों न्यायालयों द्वारा विधिसम्मत रूप से स्वीकार किया गया।

17. श्री राममूर्ति ने अत्यंत परिश्रमपूर्वक हमें अभियुक्तगण के विरुद्ध साक्ष्य का अवलोकन कराया और इंगित किया कि सिवकुमार (ए-2) जैसे व्यक्ति के पास एक लाख रुपये से अधिक की राशि का पाया जाना अपेक्षित नहीं था तथा उसके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण प्रत्यक्षतः असत्य था। अन्य अभियुक्तों के संबंध में भी स्थिति समान थी। जहाँ तक प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों का संबंध है, विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि एक प्रत्यक्षदर्शी का कथन उसी दिन अभिलेखित किया गया था और उसे दिन के उजाले में घटना देखने का अवसर प्राप्त हुआ था, तथा साक्षियों ने शिनाख्त परेड में कुमार (ए-9), पावुनराज (ए-10) तथा प्रिंस कुमार (ए-11) की सही पहचान की थी। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार अभियुक्तों के छायाचित्र कभी प्रकाशित नहीं किए गए थे। उन्होंने तर्क किया कि यह तथ्य कि कुमार (ए-9), पावुनराज (ए-10) तथा प्रिंस कुमार (ए-11) तिरुनेलवेली से आकर मृतक पर प्राणघातक आक्रमण करते हैं, यह दर्शाता है कि षड्यंत्र था। विद्वान अधिवक्ता ने अत्यंत विस्तार से इस संपूर्ण सिद्धांत के प्रेम-प्रसंग की ओर संकेत किया और इंगित किया कि प्रथम अभियुक्त वेंकटरामन (ए-1) के मन में उत्पन्न आसक्ति ही इस संपूर्ण त्रासदी का कारण बनी। षड्यंत्र सिद्धांत के संबंध में विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि सिवकुमार (ए-2), उबैदुल्ला (ए-4), यूसुफ (ए-5) तथा अब्दुल करीम (ए-6) की संदेहास्पद गतिविधियों के संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। उन्होंने इंगित किया कि प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा षड्यंत्र सिद्ध करना अत्यंत कठिन होता है और इसलिए अभियोजन द्वारा सिद्ध परिस्थितियों का समेकित परीक्षण कर दांडिक षड्यंत्र के अस्तित्व पर निष्कर्ष निकालना होगा, जो विचारण न्यायालय

तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा सही रूप से निकाला गया है। जहाँ तक जॉन पांडियन (ए-7) का संबंध है, विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वही मुख्य सूत्रधार था और उसकी संलिप्तता स्पष्ट है, क्योंकि वही ऐसा व्यक्ति था जो कुमार (ए-9), पावुनराज (ए-10) तथा प्रिंस कुमार (ए-11) को ज्ञात था। श्री राममूर्ति ने यह भी इंगित किया कि इन अभियुक्तों द्वारा दं.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत अपने परीक्षण में असत्य स्पष्टीकरण दिया गया था और वही इस बात का संकेत करता है कि अभियुक्तगण इस प्रकरण में संलिप्त थे।

18. इन परस्पर प्रतिद्वंद्वी दावों के आधार पर अब हमें इस विषय का परीक्षण करना है कि अभियुक्तगण की दोषसिद्धि न्यायोचित है या नहीं।

19. इस वाद में विशिष्ट रूप से अभियुक्त–अपीलकर्ताओं को दो समूहों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम समूह कुमार (ए-9), पावुनराज (ए-10) तथा प्रिंस कुमार (ए-11) का है [प्रिंस कुमार (ए-11) अब जीवित नहीं है और उसके द्वारा दायर अपील लुप्त हो गई है], जो प्रत्यक्ष नेत्रसाक्ष्य द्वारा अभियुक्त बनाए गए थे तथा विवेकानंदन की हत्या के षड्यंत्र का भी भाग थे। द्वितीय समूह सिवकुमार (ए-2), उबैदुल्ला (ए-4), यूसुफ (ए-5), अब्दुल करीम (ए-6) तथा जॉन पांडियन (ए-7) का है, जिन्हें षड्यंत्रकारी के रूप में आरोपित किया गया है। तथापि, मृतक पर आक्रमण के कृत्य के संबंध में इनके विरुद्ध कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। इस प्रकार दोनों समूहों में केवल इतना अंतर है कि जहाँ विवेकानंदन पर आक्रमण के संबंध में प्रथम समूह के विरुद्ध प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों का प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध है, वहीं द्वितीय समूह के संबंध में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है और अभियोजन को उनके विरुद्ध षड्यंत्र के परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर रहना होगा।

20. अतः हम इस विषय का परीक्षण समूहवार करने का प्रस्ताव करते हैं। कुमार (ए-9) तथा पावुनराज (ए-10) की दोषसिद्धि प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य के साथ-साथ इस अपराध में उनकी संलिप्तता से संबंधित अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर करेगी। तथापि, यह विवादित नहीं किया जा सकता कि यदि प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों का साक्ष्य पूर्णतः

स्वीकार्य हो, जैसा कि विचारण न्यायालय तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा धारित किया गया है, तो वही अपने आप में उनकी दोषसिद्धि का आधार बन सकता है। सामान्यतः, जब साक्ष्य को विचारण न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो, तब यह न्यायालय पुनर्मूल्यांकन के अभ्यास में नहीं जाता, जब तक यह प्रदर्शित न किया जाए कि विचारण एवं अपीलीय न्यायालय द्वारा साक्ष्य का मूल्यांकन विकृत है, किसी प्रशिक्षित न्यायिक मस्तिष्क के लिए सर्वथा अस्वीकार्य है, या इतना त्रुटिपूर्ण है कि इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता उत्पन्न हो; अथवा यह कि विचारण एवं अपीलीय न्यायालय ने किसी अप्रमाण्य साक्ष्य पर निर्भर किया है या ऐसे साक्ष्य को विचार से बाहर कर दिया है, जिसे उन्हें विचारित एवं मूल्यांकित करना आवश्यक था। हमने साक्ष्य तथा विचारण एवं अपीलीय न्यायालयों के निर्णयों का अत्यंत समीप से अवलोकन किया है, जिससे यह संतोष प्राप्त हो सके कि विचारण एवं अपीलीय न्यायालयों ने उनका यथोचित मूल्यांकन कर दोषसिद्धि का निर्णय अभिलिखित किया है।

21. अब हम सर्वप्रथम कुमार (ए-9) तथा पावुनराज (ए-10) के प्रकरण पर विचार करेंगे। प्रिंस कुमार (ए-11) के अब दिवंगत हो जाने के कारण उसकी संलिप्तता पर टिप्पणी करना आवश्यक नहीं है, तथापि कुमार (ए-9) एवं पावुनराज (ए-10) के प्रकरण पर विचार करते समय उसका विचार आवश्यक होगा। इन तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध साक्ष्य मुख्यतः सेल्वराज (अ.सा.-14), परमासिवम (अ.सा.-15) तथा रामलिंगम (अ.सा.-16) के प्रत्यक्षदर्शी विवरण से संबंधित है। अभियोजन ने इस साक्ष्य का समर्थन करने हेतु उस दंडाधिकारी का साक्ष्य प्रस्तुत किया, जिसने साक्षियों रामलिंगम (अ. सा.-16), सेल्वराज (अ.सा.-14), शन्मुगसुंदरम, नागरजन, परमासिवम (अ.सा.-15), एम.पी.एस. नारायणन तथा राजन द्वारा पावुनराज (ए-10) एवं प्रिंस कुमार (ए-11) की पहचान हेतु शिनाख्त परेड आयोजित की थी। इन साक्षियों में से, जिन्हें उक्त दोनों अभियुक्तों की पहचान के लिए कहा गया था, अभियोजन ने केवल सेल्वराज (अ.सा.-14), परमासिवम (अ.सा.-15) तथा रामलिंगम (अ. सा.-16) का

ही परीक्षण किया। अभियोजन ने शन्मुगसुंदरम, नागरजन, एम.पी.एस. नारायणन तथा राजन का परीक्षण नहीं किया। यह शिनाख्त परेड दिनांक 15.09.1993 को केंद्रीय कारागार, कोयंबटूर में आयोजित की गई थी। द्वितीय शिनाख्त परेड दिनांक 28.10.1993 को उन्हीं सात साक्षियों द्वारा कुमार (ए-9) की पहचान हेतु आयोजित की गई। राजशेखरन (अ. सा.-54) ने महाजर तैयार किए, जिनमें यह दर्शाया गया कि रामलिंगम (अ. सा.-16) ने पावुनराज (ए-10) एवं प्रिंस कुमार (ए-11) की सही पहचान की थी। उसने दोनों अभियुक्तों की दो बार सही पहचान की। साक्षियों के साक्ष्य तथा महाजरों से यह भी प्रदर्शित होता है कि सेल्वराज (अ. सा.-14) ने प्रिंस कुमार (ए-11) एवं पावुनराज (ए-10) की दो बार सही पहचान की। इसी प्रकार परमासिवम (अ. सा.-15) ने भी पूर्वोक्त दोनों साक्षियों की भाँति पावुनराज (ए-10) एवं प्रिंस कुमार (ए-11) की दो बार पहचान की। उक्त महाजर प्रदर्श-पी-84 के रूप में सिद्ध किया गया। इस साक्षी ने उसी स्थान पर दिनांक 28.10.1993 को कुमार (ए-9) के संबंध में भी शिनाख्त परेड आयोजित की। इस साक्षी ने कथन दिया कि रामलिंगम (अ.सा.-16) ने कुमार (ए-9) की दो बार सही पहचान की। उसने आगे कथन दिया कि सेल्वराज (अ. सा.-14) ने भी कुमार (ए-9) की दो बार सही पहचान की। उसने यह भी कथन दिया कि परमासिवम (अ. सा.-15), कुमार (ए-9) की पहचान नहीं कर सका। प्रदर्श-पी-85 दिनांक 28.10.1993 को आयोजित द्वितीय शिनाख्त परेड का महाजर है। साक्षी ने यह भी पुनः कथन किया कि दो बार पहचान की आवश्यकता इसलिए हुई क्योंकि प्रथम पहचान के पश्चात अभियुक्तों को वस्त्र परिवर्तन का अवसर दिया गया था।

22. अभियोजन ने राजशेखरन (अभियोजन साक्षी-54) की साक्ष्य तथा प्रदर्श-पी-84 एवं प्रदर्श-पी-85 पर अत्यधिक अवलंबन किया। अभियोजन द्वारा अवलंबन किया गया तीसरा परिस्थितिजन्य तथ्य यह है कि कुमार (अभियुक्त-9) के कथन पर पोल्लाची स्थित उदुमलपेट मार्ग के किनारे स्थित हिन्दू श्मशान-भूमि से अरुवल (म.अ.-1) की बरामदगी हुई। इस संबंध

में अभियोजन ने रत्नासभापति (अभियोजन साक्षी-56), जो अन्वेषण अधिकारी थे, तथा आनन्द (अभियोजन साक्षी-41) की साक्ष्य पर अवलंबन किया।

23. अभियोजन द्वारा अवलंबित अगली परिस्थिति यह थी कि टैक्सी सं. टी.ए.सी. 5667 को कुमार (ए-9), पावुनराज (ए-10) तथा प्रिंस कुमार (ए-11) द्वारा लिया गया था, जिसका उपयोग उन्होंने तिरुनेलवेली से ऊटी तथा ऊटी से कोयंबटूर और पुनः उदुमलपेट होते हुए यात्रा करने में किया। अभियोजन ने सिद्धार्थ (अ. सा.-43) के साक्ष्य द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि उक्त टैक्सी दिनांक 16-17.08.1993 को मेट्टुपालयम रोड स्थित बरलियार जाँच-नाका से ऊटी होकर गुजरी थी, और इस प्रकार अभियोजन यह सिद्ध करना चाहता था कि ये तीनों अभियुक्त गणेशन (ए-8) (जो उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में दोषमुक्त किया जा चुका है) के साथ ऊटी में थे तथा उक्त टैक्सी ने दिनांक 16.08.1993 को प्रदर्श-पी-61 एवं प्रदर्श-पी-62 के माध्यम से टोल का भुगतान किया था। अभियोजन ने यह सिद्ध करने हेतु सैंथिल (अ. सा.-44) के साक्ष्य पर भी अवलंबन किया कि अभियुक्तगण दिनांक 16.08.1993 की रात्रि में ऊटी स्थित आर्थी लॉज नामक होटल में ठहरे थे। रजिस्टर के पृष्ठ सं. 1013, प्रविष्टि सं. 112, प्रदर्श-पी-63, जिसमें कुमार (ए-9) एवं दो अन्य के नाम अंकित थे, को इस साक्षी द्वारा सिद्ध करने का प्रयास किया गया।

24. परिवाद तथा प्रथम सूचना प्रतिवेदन, क्रमशः प्रदर्श-पी-102 एवं प्रदर्श-पी-103, के आधार पर तीनों अभियुक्तों द्वारा निभाई गई भूमिकाओं का भी संकेत करने का प्रयास किया गया। उनमें से दो ने मृतक विवेकानंदन को घेर लिया तथा तीसरे ने उस पर आक्रमण किया। इससे यह सिद्धांत समर्थित होता है कि विवेकानंदन पर कुल तीन व्यक्तियों द्वारा आक्रमण किया गया था। अभियोजन द्वारा अवलंबित अगली परिस्थिति रणजीत चेक (अ. सा.-50) के साक्ष्य की है, जो वैज्ञानिक अधिकारी था और जिसने कथन दिया कि कुमार (ए-9) द्वारा छोड़ा गया जूता-चिह्न, कुमार (ए-9) के पदचिह्नों से मेल खाता है। आगे, पावुनराज (ए-10) के प्रदर्श-पी-54 में अभिलिखित स्वीकृतिपरक कथन तथा प्रिंस कुमार (ए-11) के

प्रदर्श-पी-55 में कथन के आधार पर दो अभियुक्तों को जोड़ने का प्रयास किया गया। यह भी संकेत किया गया कि इन बरामदगियों में से एक में प्राप्त धनराशि ऐसे लिफाफे में रखी हुई थी, जिस पर "विजय लक्ष्मी मिल्स लिमिटेड" मुद्रित था। एक अन्य अवलंबित परिस्थिति यह थी कि टैक्सी सं. टी.ए.सी. 5667, जिसमें तीनों अभियुक्तों द्वारा व्यापक यात्रा किए जाने का आरोप है, की पिछली सीट के नीचे ₹13,000/- के साथ विवेकानंदन का कटा हुआ छायाचित्र पाया गया। प्राप्त यात्रा-पत्रक पर भी अवलंबन किया गया। ये सभी परिस्थितियाँ कुमार (ए-9), पावुनराज (ए-10) तथा प्रिंस कुमार (ए-11) के विरुद्ध अवलंबित की गई हैं। अतः हमें उन परिस्थितियों का भी विचार करना होगा, जिन पर विचारण न्यायालय तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा अवलंबन किया गया है।

25. इस बात में कोई विवाद नहीं हो सकता कि विवेकानन्दन (मृतक) की मृत्यु मानव वध का परिणाम थी। जिस स्थान पर उस पर आक्रमण किया गया था, उसी स्थान पर उसकी मृत्यु हो गई थी और उसके शरीर के संवेदनशील अंगों, जैसे उसके कंधे, गर्दन, दाहिने गाल, पश्चकपाल क्षेत्र आदि पर कुल 9 चीरकारी चोटें पाई गई थीं। आक्रमणकारियों के आशय का अनुमान चोटों की प्रकृति से लगाया जा सकता है। प्रयुक्त हथियार मौलिक वस्तु-1 वीच्चु अरुवल था, जो एक ऐसा हथियार है जिसमें एक हत्था तथा मुड़ी हुई तीक्ष्ण धार वाला फल लगा होता है।

26. पुनः, यह हत्या कोयंबटूर की व्यस्त सड़क पर प्रातः 10 बजे से 11 बजे के मध्य, जब पर्याप्त धूप थी, घटित हुई और इस प्रकार प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों को घटना देखने का पूर्ण अवसर प्राप्त था। प्रदर्श-पी-102 वह परिवाद है, जो वल्लियप्पन द्वारा दिया गया था, जो कि वही कंपनी का प्रबंधक था, जिसका संचालन विवेकानंदन कर रहा था। यह परिवाद 11 बजे दिया गया। अन्वेषण अधिकारी द्वारा तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण कर अपराध पंजीकृत किए जाने के उपरांत ही रामलिंगम (अ. सा.-16) पुलिस के लिए उपलब्ध हुआ। उसका कथन वल्लियप्पन द्वारा परिवाद दिए जाने के पश्चात ही अभिलिखित किया गया। अतः इस दृष्टि से,

कम से कम रामलिंगम (अ. सा.-16) के संबंध में कोई कठिनाई नहीं हो सकती। विचारण न्यायालय तथा अपीलीय न्यायालय ने बचाव पक्ष की उस आलोचना पर विचार किया है कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने घटनास्थल परिवर्तित कर दिया, क्योंकि साक्षियों ने घटना को 'टाइटन वॉच शॉप' के निकट घटित बताया, न कि 'टाइटन शोरूम' के निकट, जबकि वास्तविक स्थिति यही थी। अपीलीय न्यायालय ने अपने विस्तृत निर्णय में ऑटो-रिक्शा स्टैंड तथा कुछ दुकानों के स्थान संबंधी कुछ अल्प एवं नगण्य विरोधाभासों पर भी विचार किया और यह धारित किया कि घटना 'रिची-रिच' नामक रेस्टोरेंट के निकट घटित हुई थी। निरीक्षण महाजर से भी वही स्थान इंगित होता है। इस आधार पर यह निष्कर्ष अभिलिखित किया गया कि बचाव पक्ष का यह तर्क कि घटनास्थल परिवर्तित किया गया, अस्वीकार किया जाता है। उक्त तर्क हमारे समक्ष भी प्रस्तुत किया गया। तथापि, हमें ऐसा कुछ नहीं प्रतीत होता जिससे यह माना जाए कि अभियोजन साक्षियों, विशेषतः सेल्वराज (अ. सा.-14), परमासिवम (अ. सा.-15) तथा रामलिंगम (अ. सा.-16) ने घटनास्थल परिवर्तित किया। वस्तुतः, घटनास्थल परिवर्तित कर उन्हें कोई लाभ भी नहीं होता। इन साक्षियों के संबंध में एक सामान्य टिप्पणी की जा सकती है कि ये सभी पूर्णतः निष्पक्ष साक्षी थे। उनका अभियुक्तों से कोई वैमनस्य नहीं था और न ही वे अभियुक्तों में ऐसी कोई रुचि रखते थे कि दोषसिद्धि प्राप्त करने हेतु असत्य कथन करें। अपीलार्थी की विद्वान अधिवक्ता सुश्री वी. मोहन ने तर्क किया कि ये तीनों प्रत्यक्षदर्शी साक्षी आकस्मिक साक्षी थे। हम इससे सहमत नहीं हैं। रामलिंगम (अ. सा.-16) के लिए घटनास्थल के निकट होना स्वाभाविक था, क्योंकि उसका कार्यस्थल, अर्थात् पृथ्वी ज्वेलर्स, वहीं निकट था। यह नहीं भुलाया जा सकता कि उसी ने वल्लियप्पन को मृतक की हत्या की सूचना दी थी। अन्य दो प्रत्यक्षदर्शियों के संबंध में भी कुछ टिप्पणी की जा सकती है, जिन्होंने अपने साक्ष्य में कहा कि वे उस स्थान पर प्रायः आया करते थे। सेल्वराज (अ. सा.-14) ने विशेषतः कहा कि वह भू-संपत्ति व्यवसाय करता था और अपने दो अन्य मित्रों, अर्थात् शन्मुगसुंदरम एवं नागरज, के साथ प्रातः 9 बजे वहाँ एकत्रित होता था

और 11 बजे तक वहीं रहता था। यह साक्षी मृतक विवेकानंदन को पहचानता भी था। इसी प्रकार परमासिवम (अ. सा.-15) ऑटो चलाता था और अपना ऑटो टॉप नॉच शू शॉप के निकट खड़ा करता था। यह सर्वविदित तथ्य है कि ऑटो चालक प्रायः किसी निश्चित स्थान से अपना दिन आरंभ करते हैं और वहीं से अपने क्षेत्र में ऑटो चलाते हैं। इस साक्षी ने कहा कि वह डी.बी. रोड से ऑटो चलाता था, जहाँ घटना घटित हुई। अतः साक्षियों का उस स्थान पर उपस्थित होना, जैसा उन्होंने कहा, अस्वाभाविक नहीं है। सुश्री मोहन, विद्वान अधिवक्ता ने यह इंगित करने का प्रयास किया कि ये साक्षी आकस्मिक साक्षी थे और इसलिए हमें उनके साक्ष्य को त्याज्य मानना चाहिए। यह संभव नहीं है। अधीनस्थ दोनों न्यायालयों ने उनके साक्ष्य पर उन्हें विश्वसनीय साक्षी मानते हुए अवलंबन किया है। ऐसे प्रकरणों में यह न्यायालय सामान्यतः साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन के अभ्यास में अत्यंत धीमा रहता है। जब तक अधीनस्थ दोनों न्यायालयों द्वारा किया गया मूल्यांकन विकृत, असंधारणीय अथवा मूलतः निरर्थक न पाया जाए, यह न्यायालय साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन के अभ्यास में नहीं जाता। हमने साक्ष्य का अत्यंत सावधानीपूर्वक अवलोकन किया है और हमें ऐसा कुछ नहीं मिला। अतः इन साक्षियों को आकस्मिक साक्षी नहीं कहा जा सकता।

27. इन साक्षियों के विरुद्ध की गई एक अन्य आलोचना यह थी कि सेल्वराज (अभियोजन साक्षी-14) तथा परमशिवम् (अभियोजन साक्षी-15) के कथन तत्काल अभिलिखित नहीं किए गए थे। जहाँ सेल्वराज (अभियोजन साक्षी-14) का कथन 20.8.1993 को अभिलिखित किया गया था, वहीं परमशिवम् (अभियोजन साक्षी-15) लगभग 15 दिन पश्चात् अपना कथन देने के लिए उपलब्ध हुआ था। यह सत्य है कि दांडिक न्यायालय यह अपेक्षा करते हैं कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के कथन तत्काल अथवा यथासंभव न्यूनतम विलम्ब से अभिलिखित किए जाएँ। कथन का शीघ्र अभिलेखन ऐसे साक्षियों की साक्ष्य को विश्वसनीयता प्रदान करता है। किन्तु साक्ष्य के मूल्यांकन का यह कोई निरपेक्ष नियम नहीं है कि जहाँ कथन विलम्ब से अभिलिखित किया गया हो, वहाँ साक्षी मिथ्या साक्षी अथवा गढ़ा

हुआ साक्षी ही माना जाए। यह प्रश्न उस साक्षी की साक्ष्य की गुणवत्ता पर निर्भर करेगा। सेल्वराज (अभियोजन साक्षी-14) ने यह स्पष्टीकरण दिया है कि वह भयभीत था और इसलिए 2-3 दिनों तक घटनास्थल पर नहीं आया। यह पूर्णतः स्वाभाविक है। अन्वेषण अधिकारी रत्नासभापति (अभियोजन साक्षी-56) की साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि उन्होंने रामलिंगम (अभियोजन साक्षी-16) का कथन लगभग तत्काल, पंचनामा-जांच के पश्चात् अभिलिखित कर लिया था। जहाँ तक सेल्वराज (अभियोजन साक्षी-14) का संबंध है, यदि वह भयवश सामने नहीं आया, तो उसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है। इस देश में लोग साक्षी बनने के इच्छुक नहीं होते और पुलिस की पूछताछ से बचने का प्रयास करते हैं। संभवतः इसी कारण इस साक्षी ने भी ऐसा किया होगा। इसी प्रकार अन्य साक्षी परमशिवम् (अभियोजन साक्षी-15) भी 15 दिनों तक पुलिस के पास जाने अथवा पुलिस के लिए उपलब्ध होने से बचता रहा। यद्यपि 15 दिनों की अवधि अपेक्षाकृत अधिक लंबी है, तथापि केवल इसी आधार पर उसकी साक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं माना जाना चाहिए। विचारण न्यायालय तथा अपीलीय न्यायालय इस स्थिति के प्रति सजग थे और उन्होंने इस पहलू पर विचार किया है। हमारा ध्यान रामलिंगम (अभियोजन साक्षी-16) द्वारा दिए गए उस कथन की ओर आकर्षित किया गया, जिसमें उसने यह कहा था कि इन दोनों साक्षियों के कथन भी 17.8.1993 को अभिलिखित किए गए थे, जबकि यह सही नहीं था। इस परिस्थिति पर अपीलीय न्यायालय ने विचार किया है और हमारे मत में उचित रूप से किया है। अतः हमें उस पहलू पर आगे विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इस साक्ष्य की इस आधार पर तीव्र आलोचना की गई कि तीनों साक्षियों ने एक-दूसरे का विरोध किया है। हम ऐसा नहीं मानते। तीनों साक्षियों ने घटना का सजीव एवं विस्तृत वर्णन किया है। सभी ने यह कहा है कि प्रथम दो अभियुक्त, अर्थात् पवुनराज उर्फ़ पवुन (अभियुक्त-10) तथा प्रिंस कुमार उर्फ़ प्रिंस (अभियुक्त-11) ने मृतक को रोका और तृतीय अभियुक्त कुमार वेल्लैचामी (अभियुक्त-9) ने मृतक पर गंभीर रूप से प्रहार करना प्रारम्भ किया। जहाँ तक इन अभियुक्तों द्वारा निभाई गई भूमिका का संबंध है, तीनों प्रत्यक्षदर्शी

साक्षियों की साक्ष्य परस्पर सामंजस्यपूर्ण है और उनकी साक्ष्य को अस्वीकार करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता। हमारे मत में विचारण न्यायालय तथा अपीलीय न्यायालय ने उनकी साक्ष्य को सत्य एवं विश्वसनीय मानकर स्वीकार करने में सही दृष्टिकोण अपनाया है। आक्रमण किए जाने के तथ्य तथा उसके किए जाने के तरीके के संबंध में प्रतिपरीक्षण में एक शब्द भी नहीं पूछा गया है। अतः हम सुश्री महाना के इस तर्क से प्रभावित नहीं हैं कि इन तीनों साक्षियों की साक्ष्य को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। हम इस तर्क की सराहना करते हैं कि परमशिवम् (अभियोजन साक्षी-15) का कथन लगभग 15 दिनों के पश्चात् अभिलिखित किया गया था; तथापि उसकी साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत होती है। उसने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि वह स्थान छोड़कर चला गया था और अपना ऑटो चलाने के लिए 15 दिनों तक वापस नहीं आया। यदि वह 15 दिनों तक पुलिस से बचता रहा, तो उसमें कुछ भी असामान्य नहीं है। जब हम इस तथ्य का उसकी साक्ष्य की गुणवत्ता के संदर्भ में परीक्षण करते हैं, तो यह कहा जा सकता है कि यह साक्षी सत्यनिष्ठ प्रतीत होता है और उसके कथन के अभिलेखन में हुए विलम्ब की उपेक्षा करते हुए अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उस पर अवलंबन किया जाना उचित था। जहाँ तक रामलिंगम (अभियोजन साक्षी-16) का संबंध है, उसकी साक्ष्य अक्षुण्ण बनी रही और पूर्ववर्ती दोनों साक्षियों की भाँति उसका भी लगभग कोई प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया।

28. तीनों प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य का यह तथ्य द्वारा पुष्टिकरण होता है कि उन्होंने शिनाख्त परेड में अभियुक्तों की पहचान की। वेल्लैचामी के पुत्र कुमार (ए-9) को एक साक्षी, अर्थात् परमासिवम (अ. सा.-15) द्वारा पहचान न किए जाने को छोड़कर, अन्य दो प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने तीनों अभियुक्तों की पहचान कर ली। हमने शिनाख्त परेड आयोजित करने वाले दंडाधिकारी राजशेखरन (अ. सा.-54) के साक्ष्य का अत्यंत सावधानीपूर्वक अवलोकन किया है। राजशेखरन (अ. सा.-54) ने कथन दिया कि प्रथम शिनाख्त परेड में केवल पावुनराज उर्फ़ पावुन (ए-10) तथा प्रिंस कुमार उर्फ़ प्रिंस (ए-11) उपलब्ध थे। उसने

इन दोनों अभियुक्तों के संबंध में प्रथम शिनाख्त परेड दिनांक 15.09.1993, अर्थात् घटना के एक माह के भीतर, आयोजित की। उस परेड में इन दोनों अभियुक्तों की तीनों साक्षियों द्वारा दो-दो बार पहचान की गई। उसने उन अन्य साक्षियों को भी सम्मिलित किया था, जिन्हें पुलिस द्वारा प्रत्यक्षदर्शी बताया गया था; तथापि यह स्पष्ट हुआ कि केवल यही तीन साक्षी ही पावुनराज उर्फ़ पावुन (ए-10) तथा प्रिंस कुमार उर्फ़ प्रिंस (ए-11) की दो-दो बार पहचान कर सके। हम इस तथ्य से प्रभावित हैं कि वस्त्र परिवर्तन के पश्चात जब अभियुक्तों को पुनः पहचान हेतु प्रस्तुत किया गया, तब भी तीनों प्रत्यक्षदर्शियों ने उनकी सही पहचान की। द्वितीय शिनाख्त परेड दिनांक 28.10.1993 को आयोजित की गई, क्योंकि तब तक वेल्लैचामी के पुत्र कुमार (ए-9) उपलब्ध नहीं हुआ था। एक साक्षी, अर्थात् परमासिवम (अ. सा.-15) को छोड़कर, दोनों प्रत्यक्षदर्शी सेल्वराज (अ. सा.-14) तथा रामलिंगम (अ. सा.-16) ने कुमार (ए-9) की दो-दो बार पहचान की। हमने इस साक्ष्य का अत्यंत निकट से परीक्षण किया है। साक्ष्य को अस्वीकार करने योग्य कोई भी बात इंगित नहीं की जा सकी। हमारे मत में विचारण न्यायालय तथा अपीलीय न्यायालय ने शिनाख्त परेड के साक्ष्य को उचित रूप से स्वीकार किया है, जिसका प्रभाव तीनों प्रत्यक्षदर्शियों के साक्ष्य का पुष्टिकरण करना है। यह कहा गया कि एक प्रत्यक्षदर्शी कुमार (ए-9) की पहचान करने में असफल रहा, किंतु मात्र इसी आधार पर कुमार (ए-9) की सहभागिता को संदेहास्पद नहीं माना जा सकता, क्योंकि अन्य दो साक्षियों सेल्वराज (अ. सा.-14) तथा रामलिंगम (अ. सा.-16) ने उसे आक्रमणकर्ता के रूप में पहचान लिया। राज्य बनाम बूटा सिंह एवं अन्य *[1979 (1) एस.सी.सी. 31]* में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार शिनाख्त परेड के साक्ष्य को दुर्बल प्रकार का साक्ष्य नहीं माना जाना चाहिए। हमें नहीं प्रतीत होता कि इन तीनों प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य में कोई दोष है।

29. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री मोहन ने तत्पश्चात यह तर्क किया कि परिवाद में विवेकानंदन (मृतक) पर आक्रमण करने वाले व्यक्ति का वर्णन एक

लंबे, मध्यम आयु के व्यक्ति के रूप में किया गया था और उसी आयु वर्ग के दुबले शरीर के दो व्यक्ति उसके साथ थे। प्रथम, परिवादकर्ता वल्लियप्पन, जो प्राथमिकी का निर्माता था, के साक्ष्य के अभाव में इस तर्क का समुचित मूल्यांकन संभव नहीं है। तीनों साक्षियों के प्रति-परीक्षण में, विशेषतः रामलिंगम (अ. सा.-16) के प्रति-परीक्षण में, ऐसा कुछ भी अभिलेखित नहीं कराया गया कि उन्होंने आक्रमणकारियों का ऐसा वर्णन वल्लियप्पन को दिया था और उसी आधार पर उसने प्रतिवेदन किया था। सुश्री मोहन ने अत्यंत आग्रहपूर्वक यह तर्क किया कि यह निर्विवाद स्थिति है कि उक्त वर्णन किसी भी अभियुक्त पर लागू नहीं होता। हम नहीं मानते कि वल्लियप्पन द्वारा दिया गया वर्णन उन तीनों प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकता है, जिन्होंने अभियुक्तों को देखने का पूर्ण अवसर पाया था और जिन्होंने शिनाख्त परेड में अभियुक्तों की सही पहचान की थी। सुश्री मोहन ने यह भी तर्क किया कि अभियुक्तों को पूर्व में साक्षियों को दिखाया गया था और साक्षियों को यह भी गैर-जिम्मेदाराना सुझाव दिए गए कि उन्होंने अभियुक्तों के छायाचित्र समाचार-पत्रों में देखे थे। बचाव पक्ष ने ऐसा कोई समाचार-पत्र अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया, जिसमें अभियुक्तों के छायाचित्र प्रकाशित हुए हों। इसके विपरीत, हम पाते हैं कि राजशेखरन (अ. सा.-54) ने दोनों यह शिनाख्त परेड निष्कलंक रूप से संपन्न की और अपने प्रति-परीक्षण का अत्यंत सुदृढ़ता से सामना किया। वास्तव में, शिनाख्त परेड के साक्ष्य से पुष्ट प्रत्यक्षदर्शी विवरण कुमार (ए-9), पावुनराज उर्फ़ पावुन (ए-10) तथा प्रिंस कुमार उर्फ़ प्रिंस (ए-11) के भाग्य को निश्चित करने हेतु पर्याप्त से भी अधिक है।

30. तथापि, तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध कुछ अन्य परिस्थितियाँ भी परिस्थितिजन्य साक्ष्य के रूप में अभिलेख पर लाई गईं। इन परिस्थितियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कुमार (ए-9) के कथन पर पोल्लाची के उदुमलपेट रोड के समीप हिंदू श्मशान-भूमि से *अरुवाल* की बरामदगी है। इस बरामदगी को आनंद (अ. सा.-41) तथा अ. सा.-56, अन्वेषण अधिकारी, के साक्ष्य द्वारा सिद्ध करने का प्रयास किया गया। आनंद (अ. सा.-41) ने कथन दिया कि

जब वह सिने तिरुञानसम्बदम के साथ उदुमलपेट रोड के निकट बस-स्टॉप पर खड़ा था, तब एक पुलिस वैन आकर रुकी। उस वैन से एक निरीक्षक, कुछ पुलिसकर्मी तथा अन्य व्यक्ति उतरे। उक्त व्यक्ति नवम अभियुक्त कुमार था। निरीक्षक ने आनंद (अ. सा.-41) से कहा कि नवम अभियुक्त कुमार एक वस्तु निकालकर प्रस्तुत करने वाला है, जिसके लिए उसे साक्षी के रूप में अपेक्षित है। उसने आगे कथन दिया कि नवम अभियुक्त उन्हें सभी को पोल्लाची स्थित उदुमलपेट रोड के समीप हिंदू श्मशान-भूमि पर ले गया और उस श्मशान-भूमि के उत्तरी कोने में लगभग 50 फुट की दूरी पर काँटेदार झाड़ी से वीचु *अरुवाल* निकालकर प्रस्तुत किया।

31. रथिनसबापति (अ. सा.-56) ने इस संस्करण का समर्थन किया तथा पुनः कहा कि कुमार (ए-9) ने न्यायिक दंडाधिकारी संख्या-6, मदुरै के समक्ष आत्मसमर्पण किया था और इसलिए उसने दिनांक 21.09.1993 को उसकी शिनाख्त परेड आयोजित कराने हेतु न्यायिक दंडाधिकारी को आवेदन दिया। उसने दिनांक 29.10.1993 को आयोजित शिनाख्त परेड का भी उल्लेख किया। कुमार (ए-9) ने इस साक्षी के समक्ष स्वैच्छिक संस्वीकृति कथन दिया, जिसमें उसने कहा कि यदि उसे ले जाया जाए तो वह *अरुवाल* बरामद करा देगा। जिन साक्षियों जयरामन (अ. सा.-40) तथा सी.पी. राजन के समक्ष यह कथन किया गया था, वे दुर्भाग्यवश किसी कार्यवश चले गए, इसलिए उसने केवल उनके कथनों को अभिलिखित किया। उसके अनुसार, तत्पश्चात कुमार (ए-9) उन्हें पोल्लाची स्थित उदुमलपेट रोड के समीप हिंदू श्मशान-भूमि पर ले गया और वहाँ उपस्थित अन्य दो व्यक्तियों तिरुञानसम्बदम तथा आनंद (अ. सा.-41) की उपस्थिति में श्मशान-भूमि के उत्तर-पूर्व कोने में सड़क से लगभग 50 फुट दूरी पर स्थित काँटेदार झाड़ी से रक्तरंजित *अरुवाल* निकालकर प्रस्तुत किया। उक्त संस्वीकृति कथन को प्रदर्श-पी-56 के रूप में अभिलेख पर लाया गया है, जबकि जप्ति महाजर को प्रदर्श-पी-57 के रूप में सिद्ध किया गया है।

32. इस बरामदगी के संबंध में सुश्री मोहन द्वारा यह कहकर अत्यंत गंभीर आपत्ति की गई कि जहाँ संस्वीकृति कथन दो भिन्न साक्षियों, अर्थात् जयरामन एवं सी.पी. राजन, के समक्ष किया गया बताया गया है, वहीं वास्तविक बरामदगी के समय दो अन्य साक्षियों को उपस्थित रखा गया। हमने जयरामन (अ. सा.-40) के साक्ष्य का अवलोकन किया है, जिसने अपने समक्ष संस्वीकृति कथन किए जाने के विषय में कहा है। वास्तव में प्रदर्श-पी-56 तथा इस साक्षी का साक्ष्य स्पष्टतः दर्शाते हैं कि संस्वीकृति कथन कुमार (ए-9) द्वारा किया गया था। उसने सी.पी. राजन की उपस्थिति का भी उल्लेख किया है। इस साक्षी का बचाव पक्ष द्वारा विस्तृत प्रति-परीक्षण किया गया, तथापि प्रति-परीक्षण में कुछ भी प्रतिकूल प्रकाश में नहीं आया। उक्त कथन का अभिलेखन स्वयं निरीक्षक द्वारा दिनांक 29.10.1993 को किया गया था। हमें इस साक्षी अथवा आनंद (अ. सा.-41) के साक्ष्य में कोई भी संदिग्ध तत्व प्रतीत नहीं होता। आनंद (अ. सा.-41) भी अपने प्रति-परीक्षण में दृढ़ रहा। पूर्वोक्तानुसार, विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि दो भिन्न साक्षी-समूहों का उपयोग — एक संस्वीकृति कथन हेतु तथा दूसरा जप्ति महाजर हेतु — नहीं किया जा सकता था। ऐसा कोई नियम नहीं है कि संस्वीकृति कथन तथा उसके अनुसरण में की गई बरामदगी — दोनों के लिए वही साक्षी-समूह प्रयुक्त किया जाए। निःसंदेह, यदि वही साक्षी-समूह प्रयुक्त होता तो बरामदगी अधिक ग्राह्य एवं विश्वसनीय होती, क्योंकि संस्वीकृति सुनने वाले साक्षियों को यह देखने का अवसर मिलता कि कथित संस्वीकृति के अनुरूप ही बरामदगी हुई है। परंतु जहाँ साक्षी अन्यथा भी विश्वसनीय पाए जाते हैं, वहाँ मात्र इस आधार पर बरामदगी को अस्वीकार करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। यह भी विस्मृत नहीं किया जा सकता कि इस वाद में अ. सा.-56 एक सामान्य साक्षी था, जो संस्वीकृति कथन के समय तथा तत्पश्चात *अरुवाल* की बरामदगी — दोनों अवसरों पर उपस्थित था। निरीक्षक ने यह संतोषजनक स्पष्टीकरण दिया कि उसने पूर्ववर्ती साक्षी-युग्म, अर्थात् जयरामन (अ.सा.-40) एवं सी.पी. राजन, को साथ क्यों नहीं लिया — उसके अनुसार वे दोनों किसी कार्यवश चले गए थे। इस वाद की परिस्थितियों में

हमें यह असामान्य नहीं प्रतीत होता। *हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम जीत सिंह [1999 (4) एस.सी.सी. 370]* में इस न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि यदि कोई साक्षी उपस्थित न भी हो और संस्वीकृति केवल अन्वेषण अधिकारी के समक्ष की गई हो, तब भी बरामदगी को स्वीकार किया जा सकता है। वर्तमान वाद में तो ऐसी स्थिति भी नहीं है; संस्वीकृति कथन एक साक्षी के समक्ष किया गया, जिसने साक्ष्य-पेटिका में उपस्थित होकर प्रति-परीक्षण का सामना किया। अतः यह विवादित नहीं किया जा सकता कि संस्वीकृति कथन किया गया था, न ही यह विवादित किया जा सकता है कि कुमार (ए-9) ने अंततः श्मशान-भूमि से वीचु *अरुवाल* बरामद कराया।

33. तत्पश्चात विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क किया कि यह एक खुला स्थान था और कोई भी व्यक्ति वहाँ काँटेदार झाड़ी के नीचे वीचु *अरुवाल* रख सकता था। यह संभावना अत्यंत दूरस्थ प्रतीत होती है। कोई भी व्यक्ति साधारणतः काँटेदार झाड़ी के नीचे रखे गए वीचु *अरुवाल* को इस प्रकार प्रस्तुत नहीं कर सकता। यह बरामदगी विश्वसनीय प्रतीत होती है। इसे दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने स्वीकार किया है और हमें इसे अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं दिखता। इसके अतिरिक्त, यह शस्त्र न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफ.एस.एल.) को भेजा गया था और उस पर मानव रक्त पाया गया। यद्यपि रक्त-समूह का निर्धारण नहीं हो सका, क्योंकि परिणाम अनिर्णायक थे, तथापि अभियुक्त को यह स्पष्टीकरण देना अपेक्षित था कि इस शस्त्र पर मानव रक्त कैसे आया। उसने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। अतः यह बरामदगी अभियोजन के प्रकरण को अत्यंत दृढ़ता से पुष्ट करती है।

34. इससे हम अभियुक्त संख्या-9, कुमार, के विरुद्ध अन्य परिस्थितियों पर आते हैं। अभियोजन ने अभिलेख पर यह स्थापित किया है कि टैक्सी संख्या टी.ए.सी. 5667, जिसे गणेशन (ए-8) चला रहा था, ऊटी से होकर गुज़री थी। अभियोजन ने यह सिद्ध करने हेतु सेंथिल (अ. सा.-44) तथा सिद्धार्थ (अ. सा.-43) का साक्ष्य प्रस्तुत किया कि उक्त टैक्सी चेक-पोस्ट से होकर गुज़री। इस तथ्य को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं है। अतः यह

तथ्य स्वीकार किया जाना चाहिए कि उक्त टैक्सी ऊटी से दो बार होकर गुज़री। इस परिस्थिति को दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने स्वीकार किया है। अतः यह सिद्ध है कि दिनांक 16.08.1993 को उक्त टैक्सी ऊटी में थी। यह भी निर्विवाद है कि यही टैक्सी तीनों अभियुक्तों द्वारा तिरुनेलवेली से कोयंबटूर यात्रा हेतु प्रयुक्त की गई थी। सेंथिल (अ. सा.-44) का साक्ष्य यह सिद्ध करने हेतु प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण दिनांक 16-17.08.1993 की रात्रि को आर्थी लॉज, ऊटी में ठहरे थे। इस परिस्थिति को अतिथि-पंजी के पृष्ठ 112 की प्रविष्टि संख्या 1013 द्वारा सिद्ध करने का प्रयास किया गया। साक्षी ने कहा कि अतिथि दिनांक 16.08.1993 को लगभग 7:00 बजे संध्या आए थे। तिरुनेलवेली से आए एक व्यक्ति ने अपना नाम कुमार पुत्र वेल्लैचामी (ए-9) बताया। उसने यह भी कहा कि उक्त कुमार के साथ तीन अन्य व्यक्ति थे, जो कक्ष में गए और दिनांक 17.08.1993 को प्रातः 6:00 बजे चले गए। दुर्भाग्यवश अभियोजन के लिए, यद्यपि अन्वेषण एजेंसी ने पंजी प्राप्त कर लिया था, साक्षी किसी भी अभियुक्त, विशेषतः कुमार (ए-9) की पहचान नहीं कर सका। यह परिस्थिति अपेक्षाकृत दुर्बल अवश्य है, किंतु यह अभियोजन कथन के अनुरूप इस बात का संकेत अवश्य देती है कि कुमार (ए-9) दो अन्य अभियुक्तों के साथ ऊटी में ठहरा था। यह आलोचना की गई कि साक्षी ने न्यायालय में भी किसी अभियुक्त की पहचान नहीं की। वस्तुतः यदि साक्षी अभियुक्तों की पहचान कर पाता तो यह आश्चर्यजनक होता, क्योंकि उसने अभियुक्तों को केवल अल्प समय के लिए देखा था, जब उन्होंने अपना नाम-पता तिरुनेलवेली का बताया था। तथापि यह मात्र संयोग नहीं हो सकता कि अभियुक्त का पूरा नाम तथा तिरुनेलवेली का पता आर्थी लॉज के अभिलेख में अंकित हो। इस परिस्थिति को भी विचारण न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय ने स्वीकार किया है और हमें भिन्न दृष्टिकोण अपनाने का कोई कारण नहीं दिखता।

35. कुमार (ए-9) के विरुद्ध एक अन्य परिस्थिति रंजीत चेक (अ. सा.-50), जो एक वैज्ञानिक अधिकारी था, के साक्ष्य के रूप में है। उसने अपने साक्ष्य में कहा कि वह भौतिकी विभाग में वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में कार्यरत था। उसने म. वस्तु-20 का परीक्षण किया,

जो मृतक विवेकानंदन का एक रंगीन छायाचित्र था, जो टैक्सी की तलाशी में प्राप्त हुआ था। उसने म. वस्तु-20 का मिलान म. वस्तु-17 से किया, जो विवेकानंदन की दुर्भाग्यपूर्ण विधवा सुनिता का रंगीन छायाचित्र था। उसने कहा कि मद संख्या-1 एवं 2, जो एक पुरुष एवं एक स्त्री के छायाचित्र थे, परस्पर मेल खाते हैं तथा दोनों एक ही छायाचित्र के कटे हुए अंश हैं; दोनों छायाचित्रों का रंग-घटक समान है, उनके पृष्ठभाग भी मेल खाते हैं, और इसलिए उसने अभिमत दिया कि मद संख्या-1 एवं 2 एक ही छायाचित्र के भाग हैं। यह स्मरणीय है कि सुनिता का छायाचित्र वेंकटरामन (ए-1) के कब्जे से प्राप्त हुआ था, जबकि मृतक विवेकानंदन का छायाचित्र उस टैक्सी से प्राप्त हुआ था, जिसमें कुमार (ए-9), पावुनराज (ए-10) तथा प्रिंस कुमार (ए-11) यात्रा कर रहे थे। उसने यह भी कहा कि मद संख्या-3 में प्राप्त पदचिह्न, मद संख्या-5 में प्राप्त जूते के पदचिह्न से मेल खाता है। *पदचिह्नों के परीक्षण पर उसने पाया कि मद संख्या-3 का पदचिह्न मद संख्या-5 में पाए गए पदचिह्न से मेल खाता है*। यह स्मरणीय है कि उक्त जूता घटना-स्थल पर छूट गया था और उसी दिन अन्वेषण अधिकारी द्वारा जप्त किया गया था। अतः उसने निम्न बिंदुओं पर अपना निष्कर्ष अभिव्यक्त किया:–

"1. सामान्य माप

2. उँगलियों का आकार

3. उँगलियों के अधोभाग का आकार एवं परिमाण"

अतः उसने अभिमत दिया कि मद संख्या-3 में प्राप्त बाएँ पैर का पदचिह्न तथा मद संख्या-5 के जूते में प्राप्त बाएँ पैर का पदचिह्न एक ही बाएँ पैर द्वारा निर्मित है। इसी प्रकार दाएँ पैर का पदचिह्न भी मद संख्या-4 एवं 6 में परस्पर मेल खाता पाया गया। उसने इस संबंध में प्रतिवेदन (प्रदर्श-पी-73) निर्गत किया। हमने प्रदर्श-पी-74 एवं प्रदर्श-पी-75 का भी अवलोकन किया है, साथ ही दाएँ एवं बाएँ दोनों पैरों के संबंध में स्थापित साम्य-बिंदुओं का भी। ऐसा प्रतीत होता है कि इस साक्षी का कोई प्रभावी प्रति-परीक्षण नहीं किया गया, न ही उसके द्वारा वर्णित प्रमुख विशेषताओं पर उससे प्रति-परीक्षण किया गया। हमें इस तकनीकी

साक्ष्य को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं दिखता। यह सिद्ध हुआ कि उक्त जूता कुमार (ए-9) द्वारा ही छोड़ा गया था, क्योंकि वह उसके पैरों से मेल खाता था; अतः हम इस साक्ष्य को भी स्वीकार करते हैं। यह परिस्थिति सीधे कुमार (ए-9) को घटना से संबद्ध करती है। अभियोजन का यह कथन था कि अभियुक्तगण टैक्सी संख्या टी.ए.सी. 5667 से यात्रा कर रहे थे। जब यह सिद्ध हो गया कि उक्त टैक्सी की पिछली सीट के नीचे छायाचित्र पाया गया था, तब टैक्सी तथा अभियुक्तों के उसी में यात्रा करने की प्रासंगिकता और भी अधिक प्रबल हो जाती है।

36. जहाँ तक अन्य दो अभियुक्तों का संबंध है, ए-11 प्रिंस कुमार के प्रकरण पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका निधन हो चुका है और उसकी अपील निष्प्रभावी हो गई है। जहाँ तक पावुनराज (ए-10) का संबंध है, प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा शिनाख्त परेड में उसकी पहचान किए जाने के अतिरिक्त, उसके द्वारा अपने घर की छत से ₹5000/- की राशि बरामद कराए जाने का कथन किया गया, जो कथित रूप से एक ऐसे लिफाफे में रखी थी जिस पर *"विजय लक्ष्मी मिल्स लिमिटेड"* मुद्रित था। उसी लिफाफे में जॉन पांडियन का एक छायाचित्र भी था। अपने साक्ष्य में रथिनसबापति (अ. सा.-56) ने कहा कि उसने अभियुक्त पावुनराज को गिरफ़्तार कर उससे पूछताछ की और पूछताछ के दौरान उसने सायं 5:30 बजे स्वैच्छिक संस्वीकृति कथन दिया, जिसमें उसने कहा कि उसने ₹2000/- तथा एक स्वर्ण श्रृंखला छिपाई है और उसे ले जाने पर वह उन्हें बरामद करा देगा। इसी प्रकार अन्वेषण अधिकारी ने प्रिंस कुमार (ए-11) के संस्वीकृति कथन का भी उल्लेख किया कि यदि उसे ले जाया जाए तो वह ₹5000/- की राशि तथा अन्नाची जॉन पांडियन (ए-7) का छायाचित्र छिपाए स्थान को दिखाएगा। परंतु हुआ यह कि जब दिनांक 17.09.1993 को अभियुक्तों को ले जाया गया तो स्थिति ठीक उलटी पाई गई—प्रिंस कुमार (ए-11) द्वारा ₹2000/- तथा लगभग 12 ग्राम वज़न की स्वर्ण श्रृंखला की बरामदगी बताई गई, जबकि पावुनराज (ए-10) द्वारा ₹5000/- एवं जॉन पांडियन का छायाचित्र युक्त लिफाफा

बरामद कराया गया बताया गया। यह स्पष्टतः एक त्रुटि (मिश्रण) है। जब हम प्रदर्श-पी-113 एवं प्रदर्श-पी-114 का अवलोकन करते हैं तो प्रतीत होता है कि प्रदर्श-पी-113 उस घर से ₹2000/- एवं स्वर्ण श्रृंखला की बरामदगी दर्शाता है, जो अमलराज का घर था। प्रदर्श-पी-113 को प्रदर्श-पी-54 (जो पावुनराज का संस्वीकृति कथन माना गया) से जोड़ने का प्रयास किया गया, जबकि प्रदर्श-पी-55 को प्रदर्श-पी-114 से जोड़ा गया, जो कथित रूप से प्रिंस कुमार (ए-11) का संस्वीकृति कथन था। परंतु अ. सा.-56 के साक्ष्य का अवलोकन करने पर स्पष्ट मिश्रण प्रतीत होता है—उसके अनुसार पावुनराज ने ₹2000/- एवं स्वर्ण श्रृंखला की बात कही थी, जो वास्तव में प्रिंस कुमार से बरामद दर्शाई गई; और प्रिंस कुमार ने ₹5000/- एवं जॉन पांडियन का छायाचित्र दिखाने की बात कही थी, जो पावुनराज से बरामद दर्शाया गया। यह स्पष्ट मिश्रण हमें इन दोनों बरामदगियों को अस्वीकार करने के लिए बाध्य करता है। वस्तुतः ₹4000/- अथवा स्वर्ण श्रृंखला की बरामदगी का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि उन्हें अपराध से संबद्ध नहीं कहा जा सकता। इस मिश्रण की पृष्ठभूमि में जयरामन (अ. सा.-40) का साक्ष्य भी अभियोजन की सहायता नहीं करता। तथापि, जैसा कि पूर्व में कहा गया है, कुमार (ए-9), पावुनराज उर्फ़ पावुन (ए-10) तथा प्रिंस कुमार उर्फ़ प्रिंस (ए-11) के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है और विचारण न्यायालय तथा अपीलीय न्यायालय ने भारतीय दंड विधान की धारा 302 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत उनकी दोषसिद्धि सही रूप से अभिलिखित की है।

37. इससे हम सिवकुमार (ए-2), उबैदुल्ला (ए-4), यूसुफ (ए-5), अब्दुल करीम (ए-6) तथा जॉन पांडियन (ए-7) के प्रकरण पर आते हैं। जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, उच्च न्यायालय ने गणेशन (ए-8) को दोषमुक्त कर दिया है, जिसे विचारण न्यायालय ने दोषसिद्ध किया था। राज्य सरकार ने उसकी दोषमुक्ति को चुनौती नहीं दी, जिससे उपर्युक्त अन्य अभियुक्त व्यक्ति ही शेष रह जाते हैं। इन सभी अभियुक्त व्यक्तियों को षड्यंत्रकारी के रूप में दोषसिद्ध किया गया है। प्रारंभ में, जब यह अपील दायर की गई थी, तब वेंकटरामन (ए-

1), जिसे दोषसिद्ध किया गया था, ने भी अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए अपील दायर की थी। उसे भी षड्यंत्रकारी के रूप में आरोपित किया गया था। चूँकि इन अपीलों की लंबितावस्था के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है, इसलिए उसके प्रकरण पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है और उसकी अपील निष्फल होने के कारण निस्तारित मानी जाएगी। हमारे समक्ष उसकी मृत्यु के पश्चात भी उसकी अपील जारी रखने का कोई निवेदन नहीं है और इस प्रकार उसकी अपील, जो दांडिक अपील संख्या 454/2007 है, निष्फल मानी जानी चाहिए; तथापि अभियोजन के प्रकरण के अनुसार षड्यंत्र में वेंकटरामन (ए-1) एक प्रमुख भूमिका में था। अभियोजन ने कथन किया कि विवेकानंदन (मृतक) के उन्मूलन का विचार उसके मन में सुनिता (अ.सा.-3) से विवाह करने में असमर्थता के कारण उत्पन्न हुआ होगा। इस प्रकार उसे मुख्य षड्यंत्रकारी के रूप में चित्रित किया गया है, जिसने अपनी दुष्प्रेरित इच्छाओं की पूर्ति हेतु सिवकुमार (ए-2), उबैदुल्ला (ए-4), यूसुफ (ए-5), अब्दुल करीम (ए-6) तथा जॉन पांडियन (ए-7) को सम्मिलित किया। अभियोजन का प्रकरण है कि उसने जॉन पांडियन (ए-7) से संपर्क किया, जो कथित रूप से एक राजनीतिक दल का शक्तिशाली नेता था और तिरुनेलवेली का निवासी था। षड्यंत्र की शर्तों के अनुसार अंततः जॉन पांडियन (ए-7) ने भाड़े के हत्यारों, अर्थात् कुमार वेल्लैचामी (ए-9), पावुनराज उर्फ़ पावुन (ए-10) तथा प्रिंस कुमार उर्फ़ प्रिंस (ए-11) की व्यवस्था की और इसी प्रकार अंततः विवेकानंदन (मृतक) को इस संसार से समाप्त करने की योजना बनाई गई। अतः यह आवश्यक होगा कि यह पाया जाए कि इस प्रकार का कोई षड्यंत्र वास्तव में था या नहीं। यह भी आगे प्रयत्न किया जाएगा कि क्या वर्तमान अपीलार्थी सिवकुमार (ए-2), उबैदुल्ला (ए-4), यूसुफ (ए-5), अब्दुल करीम (ए-6) तथा जॉन पांडियन (ए-7) षड्यंत्रकारी थे और क्या अभियोजन उन्हें इस रूप में सिद्ध करने में सफल हुआ है। विशाल मात्रा में साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है और सभी छोरों को जोड़ने का प्रयास किया गया है ताकि प्रथम, षड्यंत्र के अस्तित्व को तथा

द्वितीय, इन अपीलार्थियों सहित वेंकटरामन (ए-1) को षड्यंत्रकारी के रूप में स्थापित किया जा सके।

38. षड्यंत्र के अस्तित्व के समर्थन में सर्वाधिक प्रबल परिस्थिति यह प्रतीत होती है कि विवेकानंदन (मृतक) के लिए पूर्णतः अपरिचित तीन व्यक्तियों ने पालायमकोट्टई/तिरुनेलवेली से इतनी दूर आकर बिना किसी कारण के विवेकानंदन (मृतक) पर प्राणघातक आक्रमण किया। वास्तव में एकमात्र संभावित निष्कर्ष यह है कि तीनों आक्रमणकारी भाड़े पर लिए गए थे। अन्वेषण के उपरांत भी कुमार वेल्लैचामी (ए-9), पावुनराज उर्फ़ पावुन (ए-10) तथा प्रिंस कुमार उर्फ़ प्रिंस (ए-11) का एक ओर और विवेकानंदन (मृतक) का दूसरी ओर कोई संबंध स्थापित नहीं हुआ। वह उनसे परिचित नहीं था। उसका उनसे कोई लेना-देना नहीं था और न ही कोई वैमनस्य, कोई कारण या औचित्य था कि ये तीनों आक्रमणकारी पालायमकोट्टई/तिरुनेलवेली से इतनी दूर आकर विवेकानंदन (मृतक) पर प्राणघातक आक्रमण करते। अतः यह अवश्य कोई योजना रही होगी, जिसके क्रियान्वयन हेतु तीनों आक्रमणकारियों ने वह कृत्य किया जो उनके विरुद्ध आरोपित है। परंतु केवल इतना पर्याप्त नहीं होगा। भा.दं.वि. की धारा 120-बी के अंतर्गत षड्यंत्र का आरोप मूल अभियुक्त वेंकटरामन (ए-1), (ए-2), सुब्रमण्यम (ए-3), उबैदुल्ला (ए-4), यूसुफ (ए-5), अब्दुल करीम (ए-6) तथा जॉन पांडियन (ए-7) के विरुद्ध तथा मूल अभियुक्त कुमार वेल्लैचामी (ए-9), पावुनराज उर्फ़ पावुन (ए-10) तथा प्रिंस कुमार उर्फ़ प्रिंस (ए-11) के विरुद्ध विवेकानंदन (मृतक) की हत्या के पीछे के उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए आरोपित किया गया था, जिसने इन अभियुक्त व्यक्तियों को हत्या कराने के लिए षड्यंत्र में सम्मिलित किया। अभियोजन ने प्रथम समूह में कृष्णराजु कलिंगरायर (अ. सा.-1), अभिराम विष्णु (अ. सा.-2), सुनिता (अ. सा.-3), राम गणेश (अ. सा.-5), सिवकुमार (अ. सा.-6), एलंगो (अ. सा.-7) तथा कृष्णराज (अ. सा.-10) का परीक्षण किया। इनमें से कृष्णराजु कलिंगरायर (अ. सा.-1) एवं अभिराम विष्णु (अ. सा.-2) क्रमशः विवेकानंदन (मृतक) के पिता एवं भाई हैं, जबकि

सुनिता (अ. सा.-3) उसकी पत्नी है। कृष्णराजु कलिंगरायर (अ. सा.-1) ने विवेकानंदन (मृतक) के अन्य साक्षियों के साथ संबंध एवं मित्रता के विषय में कहा। पिता ने यह भी कहा कि विवेकानंदन (मृतक) एवं सुनिता (अ. सा.-3) एक-दूसरे से प्रेम करते थे और उन्होंने विवाह किया। अभिराम विष्णु (अ. सा.-2) का साक्ष्य भी इसी प्रकार का है। सुनिता (अ. सा.-3) ने मित्रता की निकटता तथा विवेकानंदन (मृतक) के साथ अपने प्रेम संबंध के विषय में कहा। उसने विवेकानंदन के अन्य मित्रों, जिनमें वेंकटरामन (ए-1) भी सम्मिलित था, का उल्लेख किया। उसने वेंकटरामन के एक युवती शेरी के साथ कथित संबंध का भी उल्लेख किया। उसने यह भी कहा कि शेरी के उसे छोड़कर विदेश चले जाने के कारण वेंकटरामन (ए-1) स्वयं को अकेला अनुभव करता था और वह उदास एवं निराश रहता था। उसने तिरुवनंतपुरम से शेरी को वापस लाने के उसके अत्यंत प्रयासों का भी उल्लेख किया। उसने वेंकटरामन (ए-1) और उस युवती के मध्य एक विवाह-विच्छेद वाद का भी उल्लेख किया। उसने यह भी कहा कि जब वह अपने पति के साथ नए घर में गई तो वेंकटरामन ने सहायता की और अपनी कंपनी का दूरभाष क्रमांक 211558 उपयोग हेतु दिया। उसने परोक्ष रूप से कहा कि वेंकटरामन (ए-1) उसके प्रति आकृष्ट रहता था। उसने यह भी कहा कि वेंकटरामन (ए-1) ने उसे विवाह प्रस्ताव दिया था, जबकि वह जानता था कि वह विवेकानंदन (मृतक) से विवाह करने वाली है। अपने मुख्य परीक्षण में ही उसने पुलिस द्वारा पूछताछ का भी उल्लेख किया। उसने कहा कि उसे ज्ञात नहीं कि पुलिस ने उनके विवाह एल्बम को देखा था या नहीं, यद्यपि उसने स्वीकार किया कि पुलिस ने वह एल्बम माँगा था। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने वह अपने श्वसुर को दे दिया था। आश्चर्य की बात है कि कृष्णराजु कलिंगरायर (अ. सा.-1), विवेकानंदन (मृतक) के पिता, तथा अभिराम विष्णु (अ. सा.-2), उसके भाई, का छायाचित्र के प्रश्न पर बहुत कम या कोई प्रति-परीक्षण नहीं हुआ। इस चरण पर यह स्मरणीय है कि जो छायाचित्र पुलिस को गणेशन (ए-8) द्वारा चलाई जा रही टैक्सी से मिला था, वह सुनिता (अ. सा.-3) एवं विवेकानंदन (मृतक) के विवाह-छायाचित्र का कटा

हुआ भाग था और उसी आधार पर बचाव पक्ष ने अभियोजन के साथ यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि सुनिता (अ. सा.-3) एवं विवेकानंदन (मृतक) का संयुक्त छायाचित्र दो भागों में काटा गया था। जहाँ सिवकुमार (ए-2) के पास सुनिता (अ. सा.-3) का छायाचित्र था, वहीं विवेकानंदन (मृतक) का छायाचित्र गणेशन (ए-8) के साथ टैक्सी में पाया गया। अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता श्री सेंथिल जगदीशन द्वारा यह सुझाव देने का प्रयास किया गया कि विवाह-छायाचित्र सुनिता (अ. सा.-3) द्वारा उपलब्ध कराया गया था और पुलिस ने ही उसे दो भागों में काटकर गणेशन (ए-8) की टैक्सी में रख दिया। यह सिद्धांत तत्काल असफल हो जाता है, क्योंकि छायाचित्र का अन्य भाग वेंकटरामन (ए-1) के घर से जप्त किया गया बताया गया है। यदि पुलिस ने विवाह-एल्बम से छायाचित्र लिया होता, तो वह उसका अन्य आधा भाग वेंकटरामन (ए-1) के घर में स्थापित नहीं कर सकती थी।

39. अन्य साक्षी वीरेन्द्रकुमार गुप्ता (अ. सा.-4) तथा राम गणेश (अ. सा.-5) हैं। उसने इस तथ्य का उल्लेख किया कि सुनिता (अ. सा.-3) एवं विवेकानंदन (मृतक) के विवाह के निर्णय के कारण वेंकटरामन (ए-1) कुछ विचलित हो गया था। उसने यह भी कहा कि विवाह के पश्चात भी वेंकटरामन (ए-1) विवेकानंदन (मृतक) एवं सुनिता (अ. सा.-3) के साथ घनिष्ठ रूप से आता-जाता रहता था। उसके प्रति-परीक्षण में ऐसा कुछ नहीं है जिससे यह निष्प्रभावी किया जा सके कि विवेकानंदन (मृतक) एवं सुनिता (अ. सा.-3) के प्रस्तावित विवाह के विषय में सुनकर वेंकटरामन (ए-1) विचलित हो गया था। सिवकुमार (अ. सा.-6) भी दम्पति का एक मित्र है और उसने वेंकटरामन (ए-1) के दम्पति के साथ निकट रहने तथा उनके साथ घूमने-फिरने के विषय में कहा। एलंगो (अ. सा.-7) एक अन्य साक्षी है जो दम्पति का मित्र था। उसने एक विशिष्ट तथ्य का उल्लेख किया कि हत्या के तुरंत बाद वह, सुनिता (अ. सा.-3) तथा वेंकटरामन (ए-1) घटना-स्थल पर थे और उसने वेंकटरामन (ए-1) से कहा कि सुनिता (अ. सा.-3) को ले जाने के लिए वाहन भेजे, जिस पर वेंकटरामन (ए-1) ने कहा कि लोग गलत समझेंगे। वेंकटरामन (ए-1) को ऐसा अनुभव करने का कोई कारण

नहीं था। इस कथन को प्रति-परीक्षण में खंडित नहीं किया जा सका, यद्यपि इस विषय पर विशिष्ट प्रश्न किए गए। वेंकटाचलम (अ. सा.-9) परदे के कपड़ों (टेपेस्ट्री) का व्यवसाय करता था। उसने कहा कि वेंकटरामन (ए-1), विवेकानंदन (मृतक) तथा उसकी पत्नी (सुनिता) परदे के कपड़े चुनने के लिए उसके शोरूम आए थे। उसने कहा कि बिल का भुगतान वेंकटरामन (ए-1) ने भागों में किया, यद्यपि लगभग 2-3 माह पश्चात। वेंकटरामन (ए-1) द्वारा परदों का भुगतान करने का कारण स्पष्ट है। संभवतः वेंकटरामन (ए-1) सुनिता (अ. सा.-3) को प्रभावित करना चाहता था। इस महत्वपूर्ण पक्ष पर कोई प्रति-परीक्षण नहीं है। इस समूह का अंतिम साक्षी जकरिया (अ. सा.-10) है, जो वेंकटरामन (ए-1) का सहपाठी था। उसने अन्य साक्षियों के समान ही कथन किया। इस साक्षी ने वेंकटरामन (ए-1) के साथ हुई वार्तालापों का भी उल्लेख किया। उसने कहा कि उन वार्तालापों में वेंकटरामन (ए-1) कहा करता था कि विवि (विवेकानंदन) भाग्यशाली होगा कि उसे सुनिता (अ. सा.-3) जैसी लड़की मिली है और यदि विवि (विवेकानंदन) न होता तो वह स्वयं प्रयास कर सुनिता (अ. सा.-3) से विवाह करता। उसने वेंकटरामन (ए-1) और शेरी के प्रेम संबंध का तथा उसके उसे छोड़कर अपने समुदाय के व्यक्ति से विवाह कर लेने का भी उल्लेख किया। साक्षी ने यह भी कहा कि वेंकटरामन (ए-1) तिरुवनंतपुरम गया और वहाँ के एक चर्च के पादरी को अपना विवाह प्रमाणपत्र दिखाया, जिस पर पादरी ने कहा कि वह केवल विवाह समझौता है, अर्थात् वह वैध विवाह प्रमाणपत्र नहीं है। साक्षी ने आगे कहा कि ऐसा अभिलेख निर्मित किया गया मानो विवाह उसके तिरुपुर स्थित निवास पर हुआ हो, जिसमें विवेकानंदन (मृतक) ने प्रथम साक्षी के रूप में तथा उसने स्वयं द्वितीय साक्षी के रूप में हस्ताक्षर किए। उसके साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि वह वेंकटरामन (ए-1) तथा मृतक दोनों के अत्यंत निकट था। उसके प्रति-परीक्षण से यह भी प्रकट हुआ कि वह तथा विवेकानंदन (मृतक) वेंकटरामन (ए-1) को उदास न होने तथा विवाह कर लेने की सलाह देते थे, जिस पर वेंकटरामन (ए-1) कहता था कि उसके जीवन में कोई नई लड़की नहीं है। उसने यह भी कहा कि विवेकानंदन (मृतक) के

विवाह से पूर्व वेंकटरामन (ए-1) कहा करता था कि यदि विवि (विवेकानंदन) न होता तो वह स्वयं सुनिता (अ. सा.-3) से विवाह करने का प्रयास करता। इसमें कोई विवाद नहीं हो सकता कि यह साक्षी विवेकानंदन (मृतक) तथा वेंकटरामन (ए-1) दोनों के अत्यंत निकट था, इतना कि उसने वेंकटरामन (ए-1) एवं शेरी के विवाह का संकेत देने हेतु अभिलेख तक तैयार किया। उसके प्रति-परीक्षण से यह भी प्रकट हुआ कि उसके द्वारा वेंकटरामन (ए-1) एवं शेरी के विवाह संबंधी दस्तावेज तैयार करने से पूर्व ही उनका विवाह हो चुका था। यह भी प्रकट हुआ कि वेंकटरामन (ए-1) ने उसे बताया था कि दस्तावेज इस प्रकार तैयार किए गए मानो विवाह उसके निवास पर हुआ हो। यह सब साक्षी एवं वेंकटरामन (ए-1) के मध्य संबंध की निकटता को सिद्ध करता है। अतः इसमें कोई विवाद नहीं कि वेंकटरामन (ए-1) सुनिता (अ. सा.-3) के प्रति अत्यधिक आसक्त था। उसने सुनिता (अ. सा.-3) को विवाह प्रस्ताव भी दिया था, परंतु उसका प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ; इसके स्थान पर सुनिता (अ. सा.-3) ने विवेकानंदन (मृतक) से विवाह कर लिया, जिसके पश्चात वेंकटरामन (ए-1) निराश एवं व्यथित रहने लगा, यहाँ तक कि उसने कहा कि यदि विवि (विवेकानंदन) न होता तो वह सुनिता (अ. सा.-3) से विवाह करने का प्रयास करता। समस्त साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि वेंकटरामन (ए-1) विशेषतः शेरी द्वारा उसे छोड़कर अपने समुदाय के व्यक्ति से विवाह कर विदेश चले जाने के पश्चात अत्यंत निराश एवं हताश था। अभियोजन द्वारा यथोचित रूप से यह निष्कर्ष निकाला गया कि वेंकटरामन (ए-1) विक्षुब्ध भावनात्मक स्थिति में था। विवेकानंदन (मृतक) की अकारण हत्या को इस साक्ष्य के साथ पढ़ने पर यह संकेत मिलता है कि सुनिता (अ. सा.-3) के प्रति वेंकटरामन (ए-1) की यह आकांक्षा विवेकानंदन (मृतक) के उन्मूलन के उद्देश्य के पीछे प्रेरक शक्ति थी।

40. इस अभियुक्त के विरुद्ध अन्य परिस्थिति हत्या के पश्चात उसका संदेहास्पद आचरण था। कृष्णमूर्ति (अ. सा.-24) के साक्ष्य के अनुसार उसने दिनांक 16.07.1993 से 30.07.1993 तक लक्ष्मी विलास बैंक, तिरुपुर में ₹3.97 लाख की राशि जमा रखी थी।

अभियोजन ने यह कहने का प्रयास किया कि यह राशि जानबूझकर रखी गई थी। तिरुपुर शाखा के इसी खाते से ₹3 लाख का चेक संख्या 162883 दिनांक 30.07.1993 भुनाया गया। उस पर वेंकटरामन (ए-1) के हस्ताक्षर थे। वह स्वयं चेक था और उसे सिवकुमार (ए-2) लेकर आया था। सिवकुमार की पहचान कृष्णमूर्ति (अ.सा.-24) द्वारा की गई। चेक को प्रदर्श-पी-24 के रूप में सिद्ध किया गया। सिवकुमार के हस्ताक्षर प्रदर्श-पी-25 पर सिद्ध किए गए। अतः यह आरोप लगाया गया कि वेंकटरामन (ए-1) ने ₹3 लाख की राशि एक सामान्य कार्यालय परिचर सिवकुमार को स्वयं चेक पर हस्ताक्षर कर दी। अभियोजन का कथन है कि हत्या के पश्चात सिवकुमार की गिरफ्तारी के समय उसके पास एक लाख रुपये से अधिक की पर्याप्त राशि पाई गई। हम इस पर विचार उस समय करेंगे जब हम सिवकुमार (ए-2) के प्रकरण पर विचार करेंगे। वर्तमान में यह दर्शाना पर्याप्त है कि वेंकटरामन (ए-1), जो मिल का स्वामी था, ने सिवकुमार (ए-2) जैसे एक सामान्य कार्यालय परिचर के माध्यम से एक चेक भुनवाया। एक अन्य साक्ष्य यह था कि एलंगो (अ.सा.-7) ने इस अभियुक्त को सुझाव दिया था कि वह सुनिता को अपनी कार से ले जाने हेतु वाहन भेजे, जिस पर अभियुक्त ने कहा कि लोग सुनिता को उसकी कार में देखकर गलत समझेंगे। इसके पश्चात वह किसी अन्य वाहन में बैठकर चला गया। अभियोजन ने यह सुझाव किया कि इससे वेंकटरामन (ए-1) की मनोदशा का संकेत मिलता है।

41. अंततः मनोज कुमार (अ. सा.-27) का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। वह वेंकटरामन (ए-1) तथा समस्त समूह का मित्र था। उसने साक्ष्य दिया कि दिनांक 17.08.1993 को उसे विवेकानंदन की हत्या का पता चला। उसने उसके अंतिम संस्कार में भी भाग लिया और कुरिची स्थित अपने ससुराल में ठहरा। तीन दिन बाद उसका निरीक्षक द्वारा परीक्षण किया गया। उसका कथन है कि रात्रि 12 बजे वेंकटरामन (ए-1) ने उसके निवास पर दूरभाष किया, उस समय वेंकटरामन (ए-1) अत्यंत उत्तेजित था और उसने शिकायत की कि स्वयं को सुनिता बताने वाली एक युवती ने उसे दूरभाष कर अंग्रेज़ी में गाली दी और कहा कि उसी ने

विवेकानंदन की हत्या की है, तत्पश्चात उसने फोन काट दिया। वेंकटरामन (ए-1) ने इस साक्षी से अनुरोध किया कि वह सुनिता को दूरभाष कर पूछे कि क्या उसने उसे फोन किया था। साक्षी ने आधी रात में दूरभाष करने में असमर्थता व्यक्त की और प्रातः सुनिता से बात करने का आश्वासन दिया। अंततः उसने वेंकटरामन (ए-1) को आश्वासन दिया कि अगले दिन इस विषय में पूछताछ की जाएगी। इस साक्षी का कथन है कि लगभग आधे घंटे पश्चात वेंकटरामन (ए-1) स्वयं उसके घर आया और उस समय वह पीला तथा पसीने से तर था और उसने उससे पुनः कहा कि वह सुनिता को दूरभाष कर पूछे। मनोज कुमार ने पुनः उसे समझाया कि रात्रि में कोई संपर्क न किया जाए। प्रति-परीक्षण में यह तथ्य आया कि जब विवेकानंदन ने सुनिता से विवाह का निर्णय लिया था तब वेंकटरामन अत्यंत व्यथित हो गया था। कुछ लघु लोपों की ओर संकेत किया गया कि उसने पुलिस परीक्षण में "व्यथित" शब्द का प्रयोग नहीं किया था। उसने प्रति-परीक्षण में स्वीकार किया कि पुलिस निरीक्षक द्वारा परीक्षण के अगले दिन वेंकटरामन ने उसे दूरभाष किया। यह साक्षी की त्रुटि है, क्योंकि मुख्य परीक्षण में उसका कथन था कि उसी रात्रि वेंकटरामन ने उसे दूरभाष किया था। जैसा भी हो, यह समस्त परिस्थिति दर्शाती है कि वेंकटरामन (ए-1) अत्यंत व्यग्र था। यह विरोधाभास कि दूरभाष उसी रात्रि किया गया या तीन दिन बाद, कोई महत्व नहीं रखता। यह सुझाव देने हेतु कोई प्रति-परीक्षण नहीं हुआ कि कोई दूरभाष वार्ता या इस साक्षी से वेंकटरामन की भेंट नहीं हुई। अतः हम इस साक्षी के साक्ष्य को इस सीमा तक स्वीकार करते हैं कि वेंकटरामन (ए-1) ने सुनिता को दूरभाष कर पूछने पर बल दिया था कि क्या उसने उसे फोन किया था तथा वह इतना व्यग्र था कि आधी रात में साक्षी मनोज कुमार (अ. सा.-27) के पास गया। यह समस्त तथ्य इस सिद्धांत का समर्थन करता है कि वेंकटरामन (ए-1) संपूर्ण घटना से अत्यंत निकटता से संबंधित था। तथापि प्रश्न यह अभी भी रहेगा कि क्या वेंकटरामन (ए-1) ने सिवकुमार (ए-2), उबैदुल्ला (ए-4), यूसुफ (ए-5), अब्दुल करीम (ए-6) तथा जॉन पांडियन (ए-7) के साथ मिलकर विवेकानंदन को समाप्त करने का षड्यंत्र किया था।

42. अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध प्रकरण पर विचार करने से पूर्व जॉन पांडियन (ए-7) द्वारा निभाई गई भूमिका का अवलोकन करना उपयुक्त होगा। अभियोजन के कथनानुसार वेंकटरामन (ए-1) के अतिरिक्त वही मुख्य कड़ी था। अभियोजन का कथन है कि वेंकटरामन (ए-1) ने सिवकुमार (ए-2), उबैदुल्ला (ए-4), यूसुफ (ए-5), अब्दुल करीम (ए-6) के माध्यम से तथा विशेषतः उबैदुल्ला (ए-4), यूसुफ (ए-5), अब्दुल करीम (ए-6) में से किसी एक के माध्यम से, जो जॉन पांडियन (ए-7) को जानता था, उससे संपर्क किया। अभियोजन का यह भी कथन प्रतीत होता है कि इन तीन अभियुक्तों के माध्यम से सिवकुमार (ए-2) ने भी जॉन पांडियन (ए-7) से संपर्क किया और इसी के फलस्वरूप जॉन पांडियन (ए-7) ने अंततः भाड़े के हत्यारों कुमार (ए-9), पावुनराज (ए-10) तथा प्रिंस कुमार (ए-11) की व्यवस्था की। हमने जॉन पांडियन (ए-7) के विरुद्ध साक्ष्य का अत्यंत निकटता से परीक्षण किया है। अभियोजन का प्रकरण यह है कि यद्यपि सिवकुमार (ए-2), उबैदुल्ला (ए-4), यूसुफ (ए-5), अब्दुल करीम (ए-6) मदुरै तथा संभवतः आगे तिरुनेलवेली तक गए, परंतु वे जॉन पांडियन (ए-7) से संपर्क नहीं कर सके और उन्हें ज्ञात हुआ कि वह पहले ही चेन्नई चला गया है; अतः वे संभवतः उससे संपर्क करने हेतु चेन्नई गए। गोंसालुएज़ (अ. सा.-20) रेलवे अधिकारी है। उसने प्रदर्श-पी-14 तथा प्रदर्श-पी-15 सिद्ध किए। प्रदर्श-पी-14 रेलवे आरक्षण निवेदन प्रपत्र है तथा प्रदर्श-पी-15 एस-2 कोच का आरक्षण चार्ट है। सिरिल राज (अ. सा.-21) ने प्रदर्श-पी-16 तथा प्रदर्श-पी-17 सिद्ध किए। प्रदर्श-पी-16 रेलवे आरक्षण आवेदन है तथा प्रदर्श-पी-17 एस-1 कोच का आरक्षण चार्ट है। प्रदर्श-पी-15 से यह स्पष्ट है कि शयनयान श्रेणी के आरक्षण चार्ट के अनुसार दिनांक 17.07.1993 को तमिल सेल्वन, अब्दुल करीम, सिवकुमार तथा यूसुफ कोयम्बटूर से मदुरै गए। आरक्षण पर्ची से भी यह स्पष्ट होता है कि ये चारों—अब्दुल करीम, यूसुफ, सिवकुमार तथा तमिल सेल्वन — यात्रा किए थे। अन्य अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि दिनांक 19.07.1993 को यही चार व्यक्ति मद्रास सेंट्रल से कोयम्बटूर गए। इससे अभियोजन ने यह आरोप लगाया कि ये चारों पहले मदुरै गए और संभवतः वहाँ से

तिरुनेलवेली गए तथा *ब्लू स्टार* नामक होटल में ठहरे। इन दोनों साक्षियों का प्रति-परीक्षण किया गया, परंतु उनके प्रति-परीक्षण से कुछ भी प्रतिकूल प्राप्त नहीं हुआ। तथापि साक्षी किसी भी अभियुक्त की पहचान नहीं कर सका। उसने यहाँ तक कहा कि वह उस लिपिक को भी नहीं जानता जिसने आरक्षण प्रपत्र भरा था। रेलवे आवेदन प्रतीत होता है कि ए-2 सिवकुमार द्वारा हस्ताक्षरित था।

43. आर. श्रीनिवासन (अभियोजन साक्षी-42) हस्तलेखन विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने प्रदर्श-पी-14 को सिद्ध किया। इस साक्षी ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि रेल टिकट आरक्षण प्रपत्र (प्रदर्श-पी-14), 30.7.1993 दिनांकित चेक (प्रदर्श-पी-25) पर किया गया हस्ताक्षर, जो लक्ष्मी विलास बैंक के खाते पर आहरित था (प्रदर्श-पी-24), तथा 19.7.1993 दिनांकित रेल टिकट आरक्षण प्रपत्र (प्रदर्श-पी-16), इसके अतिरिक्त तिरुनेलवेली स्थित जानकीरमन होटल का उपस्थिति पंजिका (प्रदर्श-पी-20), आगे 18.7.1993 को होटल द्वारा जारी नकद रसीद सं. 35354 की कार्बन प्रति (प्रदर्श-पी-21), तथा 1.8.1993 दिनांकित ब्लू स्टार होटल, तिरुनेलवेली से संबंधित पृष्ठ 48 की उपस्थिति पंजिका (प्रदर्श-पी-26), जो प्रदर्श-पी-27 के माध्यम से प्रस्तुत की गई थी, इन सभी पर अंकित हस्ताक्षरों का उसने परीक्षण किया था। उसके अनुसार, ये सभी हस्ताक्षर शिवकुमार (अभियुक्त-2) द्वारा किए गए थे। उसने यह भी दावा किया कि उसने अन्य दस्तावेजों का परीक्षण किया, जिनमें प्रदर्श-पी-29, अर्थात् कोयम्बटूर स्थित न्यू विजय लॉज की उपस्थिति पंजिका, जिस पर कथित रूप से जॉन पांडियन (अभियुक्त-7) के हस्ताक्षर थे, तथा आर्थी लॉज, ऊटी और सुदर्शन लॉज, उदुमलपेट की उपस्थिति पंजिकाएँ सम्मिलित थीं। इन दस्तावेजों पर भी कथित रूप से जॉन पांडियन (अभियुक्त-7) के हस्ताक्षर अंकित थे। उसके अनुसार, उसने इन सभी दस्तावेजों की तुलना शिवकुमार के नमूना हस्ताक्षरों तथा तमिल सेल्वन उर्फ़ उबैदुल्ला के हस्ताक्षरों से की। उबैदुल्ला के हस्ताक्षर कोयम्बटूर द्रविड़ कषगम युवा शाखा की कार्यवृत्त-पुस्तिका के पृष्ठों में पाए गए थे। अपनी साक्ष्य में उसने वेंकटरामन (अभियुक्त-1) के नमूना हस्ताक्षरों तथा

पवुनराज के नमूना हस्ताक्षरों का भी परीक्षण किया।अपनी साक्ष्य में उसने यह दावा किया कि प्रदर्श-पी-14 के रूप में चिह्नित हस्ताक्षर, प्रदर्श-पी-24 के रूप में चिह्नित आरक्षण पर्ची, चेक तथा एस-1 से एस-7 और ए-1 के रूप में चिह्नित हस्तलेखन शिवकुमार (अभियुक्त-2) द्वारा लिखे गए थे। एस-1 से एस-4 शिवकुमार के मानक हस्ताक्षरों से संबंधित थे। तथापि, उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि क्यू-1, जो कि आरक्षण पर्ची प्रदर्श-पी-14 थी, को भी उसी व्यक्ति द्वारा लिखे जाने की संभावना थी। इसी प्रकार, तमिल सेल्वन के संबंध में भी उसने यह राय व्यक्त की कि एस-8 से एस-14 के रूप में चिह्नित हस्तलेखन तथा बी-1 से बी-8 के रूप में चिह्नित हस्ताक्षर, साथ ही क्यू-5, क्यू-8, क्यू-9, क्यू-11 तथा क्यू-12 के रूप में चिह्नित हस्ताक्षर उसी के द्वारा लिखे गए थे। उसने यह संभावना भी व्यक्त की कि क्यू-4, क्यू-6, क्यू-7 तथा क्यू-10 भी उसी व्यक्ति द्वारा लिखे गए थे। यह देखा जाएगा कि क्यू-5, क्यू-6 तथा क्यू-8 तिरुनेलवेली स्थित जानकीरमन होटल से संबंधित हैं, जबकि क्यू-10 तिरुनेलवेली स्थित ब्लू स्टार होटल से संबंधित है। पुनः, क्यू-12 रसीद सं. 72250 की कार्बन प्रति (प्रदर्श-पी-27) पर किए गए हस्ताक्षर हैं, जबकि क्यू-13 30.7.1993 दिनांकित चेक सं. 162883 पर किए गए हस्ताक्षर हैं, जिनके संबंध में यह सिद्ध किया गया है कि वे उसके हस्तलेखन में थे। उसने जॉन पांडियन (अभियुक्त-7) अथवा उसके कथित हस्तलेखन के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दी है।

44. इस पृष्ठभूमि में जब हम के. पी. राजन (अभियोजन साक्षी-18) की साक्ष्य तथा उनके द्वारा सिद्ध किए गए दस्तावेजों, अर्थात् प्रदर्श-पी-8, पी-9, पी-10, पी-11 तथा पी-12, का अवलोकन करते हैं, तो पाते हैं कि प्रदर्श-पी-11 तथा प्रदर्श-पी-12 18.7.1993 दिनांकित आगंतुक-पुस्तिका के चिह्नित अंशों से संबंधित हैं, जिनमें यह दर्शाया गया है कि वह विधायक के कक्ष में ठहरा हुआ था। प्रदर्श-पी-11 तथा प्रदर्श-पी-12 में ऐसे नाम भी प्रदर्शित हैं जिनकी रसीदें क्रमशः 27.7.1993 तथा 24.7.1993 की तिथियों से संबंधित थीं। अपनी साक्ष्य में उसने यह दावा किया कि वर्ष 1993 में वह विधायक छात्रावास में संयुक्त सचिव के रूप में

कार्यरत था। उसने प्रदर्श-पी-8 तथा प्रदर्श-पी-9 के आधार पर कहा कि कक्ष सं. 40 पाँच दिनों के लिए एस. भास्कर नामक व्यक्ति को आवंटित किया गया था, जो थिरु एस. के. यू. तमिळरासन, विधायक का अतिथि था। उसने प्रदर्श-पी-9, जो कि आगंतुक पंजिका है, के आधार पर यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि विसु नामक व्यक्ति जॉन पांडियन से मिलने आया था, जबकि एम. कुमार नामक व्यक्ति 27.7.1993 को जॉन पांडियन से मिलने आया था। पुनः, 27.7.1993 को पी. मणि नामक व्यक्ति भी जॉन पांडियन से मिलने आया था। प्रतिपरीक्षण में उसने स्वीकार किया कि पंजिका में की गई प्रविष्टियों के संबंध में उसे प्रत्यक्ष जानकारी नहीं थी। जो भी हो, इस साक्षी ने न तो पूर्व में कभी जॉन पांडियन की पहचान की थी, क्योंकि जॉन पांडियन के संबंध में कोई शिनाख्त परेड आयोजित नहीं की गई थी, और न ही उसने न्यायालय में उसकी पहचान की। हम यह मानने की स्थिति में नहीं हैं कि मात्र जॉन पांडियन नाम के उल्लेख के आधार पर उसे जॉन पांडियन (अभियुक्त-7) से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि किसी भी साक्षी ने उसकी पहचान नहीं की है। यदि जॉन पांडियन से मिलने आने वाले व्यक्तियों की प्रविष्टियाँ थीं भी, तो उनमें से कोई भी शिवकुमार (अभियुक्त-2), उबैदुल्ला (अभियुक्त-4), यूसुफ़ (अभियुक्त-5) अथवा अब्दुल करीम (अभियुक्त-6) से संबंधित नहीं थी, जबकि अभियोजन का यही मामला था। अन्वेषण अभिकरण ने कम-से-कम उस प्रासंगिक अवधि में विधायक निवास में कार्यरत स्वागतकर्मियों के माध्यम से जॉन पांडियन की पहचान कराने के लिए भी कुछ नहीं किया। यह कहा गया है कि आगंतुक को चौकीदार ने देखा था। ऐसा कोई चौकीदार न तो परीक्षित किया गया और न ही उसके माध्यम से जॉन पांडियन की पहचान कराई गई। यह साक्षी इस संबंध में पूर्णतः अनभिज्ञ रहा कि ड्यूटी पर कौन-सा चौकीदार तैनात था। उन अभिलेखों को भी अभिगृहीत नहीं किया गया था।अतः इस साक्षी की मौखिक साक्ष्य अथवा प्रदर्श-पी-8 से प्रदर्श-पी-12 की विषयवस्तु जॉन पांडियन को इस मामले से नहीं जोड़ती है। इसलिए यह उपधारित नहीं किया जा सकता कि शिवकुमार (अभियुक्त-2), उबैदुल्ला (अभियुक्त-4), यूसुफ़ (अभियुक्त-5) अथवा अब्दुल

करीम (अभियुक्त-6) कभी विधायक छात्रावास में जॉन पांडियन के पास गए थे अथवा उससे मिले थे। केवल इस कारण कि यह सिद्ध हुआ है कि वे मदुरै से मद्रास तक रेलगाड़ी द्वारा यात्रा किए थे, ऐसा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। अभियोजन यह इंगित करना चाहता था कि अभियुक्त-5 तथा अभियुक्त-6 पी.एम.के. दल से संबंधित थे और उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपने परीक्षण में इस तथ्य को स्वीकार किया था। यूसुफ़ (अभियुक्त-5) तथा अब्दुल करीम (अभियुक्त-6) द्वारा यह स्वीकार किया गया था कि वे जॉन पांडियन (अभियुक्त-7) को जानते थे, क्योंकि अभियुक्त-7 पी.एम.के. के राज्य युवा प्रकोष्ठ का सचिव था। यह भी इंगित करने का प्रयास किया गया कि दोषमुक्त गणेशन (अभियुक्त-8), जॉन पांडियन (अभियुक्त-7) का विश्वस्त व्यक्ति था और इसी कारण वह उस समय पुलिस थाने गया था जब गणेशन (अभियुक्त-8) को गिरफ्तार किया गया था। इसी प्रकार यह भी इंगित किया गया कि कुमार (अभियुक्त-9), जॉन पांडियन (अभियुक्त-7) का व्यक्ति था और दोनों एक-दूसरे को जानते थे। इन सभी परिस्थितियों में अभियोजन ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्तों द्वारा दिए गए उत्तरों पर अवलंबन किया। इस संबंध में विधि अत्यंत स्पष्ट है। अभियुक्त के परीक्षण को इस प्रकार खंडित नहीं किया जा सकता कि केवल उसके दोषारोपक भाग पर अवलंबन किया जाए और दोषमुक्तिकारक भाग की उपेक्षा कर दी जाए। अभियुक्त के परीक्षण को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए। केवल इस आधार पर कि यूसुफ़ (अभियुक्त-5) तथा अब्दुल करीम (अभियुक्त-6) ने यह कहा कि वे जॉन पांडियन (अभियुक्त-7) को जानते थे, अथवा कुमार (अभियुक्त-9) तथा पवुनराज (अभियुक्त-10), अभियुक्त-7 को जानते थे, जॉन पांडियन (अभियुक्त-7) को इस अपराध से जोड़ना अत्यंत कठिन है। भले ही यह मान लिया जाए कि शिवकुमार (अभियुक्त-2), उबैदुल्ला (अभियुक्त-4), यूसुफ़ (अभियुक्त-5) तथा अब्दुल करीम (अभियुक्त-6) जानकीराम होटल अथवा ब्लू स्टार होटल में ठहरे थे, और भले ही यह भी मान लिया जाए कि उन्होंने तिरुनेलवेली से मद्रास तक यात्रा की थी, तथा आगे यह भी मान लिया जाए कि जॉन पांडियन (अभियुक्त-7)

दोषमुक्त अभियुक्त गणेशन (अभियुक्त-8) को छुड़ाने के लिए गया था, जब उसे वाहन संख्या टी.ए.सी.-5667 से संबंधित प्रदर्श-पी-34 के कारण कार के गुम हो जाने के मामले में हिरासत में लिया गया था, तब भी यह सब जॉन पांडियन (अभियुक्त-7) को अन्य अभियुक्तों के साथ प्रभावी रूप से जोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। शिवकुमार (अभियुक्त-2), उबैदुल्ला (अभियुक्त-4), यूसुफ़ (अभियुक्त-5), अब्दुल करीम (अभियुक्त-6) एक ओर तथा जॉन पांडियन (अभियुक्त-7) दूसरी ओर, इनके बीच किसी प्रकार के संबंध का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। एकमात्र अन्य साक्ष्य, जिस पर अत्यधिक अवलंबन किया गया, मोहम्मद रफ़ी (अभियोजन साक्षी-39) की साक्ष्य थी, जो एक दूरभाष परिचालक था। उसने दावा किया कि वह उक्कडम में दूरभाष बूथ सं. 30893 संचालित करता था। उसका यह भी दावा था कि उसके पास संगणकीकृत बिलिंग प्रणाली थी। उसने 31.7.1993 से अपने बूथ से किए गए दूरभाष कॉलों का अभिलेख सिद्ध किया तथा प्रदर्श-पी-53 को सिद्ध किया। अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि यह साक्षी किसी भी अभियुक्त की पहचान तक नहीं कर सका। जब हम प्रदर्श-पी-53 का अवलोकन करते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि उसके बूथ से तिरुनेलवेली के दूरभाष सं. 72324 पर कुछ कॉल किए गए थे। मात्र इस तथ्य से न तो शिवकुमार (अभियुक्त-2), उबैदुल्ला (अभियुक्त-4), यूसुफ़ (अभियुक्त-5) तथा अब्दुल करीम (अभियुक्त-6) को स्वतंत्र रूप से जोड़ा जा सकता है और न ही उनका जॉन पांडियन (अभियुक्त-7) से कोई संबंध स्थापित होता है। आखिरकार, जॉन पांडियन (अभियुक्त-7) के बारे में यह दावा किया गया था कि वह एक राजनीतिक दल से संबंधित था। केवल इस कारण कि उसके घर पर कुछ दूरभाष कॉल किए गए थे, यह स्थापित नहीं हो जाता कि वे कॉल केवल शिवकुमार (अभियुक्त-2), उबैदुल्ला (अभियुक्त-4), यूसुफ़ (अभियुक्त-5) तथा अब्दुल करीम (अभियुक्त-6) ने ही किए थे अथवा वे कॉल कथित षड्यंत्र के संबंध में किए गए थे।

45. अन्य दो साक्षी, अर्थात् शन्मुगसुंदरम (अ. सा.-30) तथा साबीर (अ. सा.-34) को अभियोजन द्वारा सिवकुमार (ए-2) और उबैदुल्ला (ए-4) की जॉन पांडियन (ए-7) से हुई

कथित वार्ताओं के संबंध में परीक्षित किया गया। शन्मुगसुंदरम (अ. सा.-30) उक्कडम के बिग मार्केट में बोरे खरीदने-बेचने का व्यवसाय करता था। उसने सिवकुमार (ए-2), यूसुफ (ए-5) तथा अब्दुल करीम (ए-6) की पहचान की। उसने यह भी कहा कि कुनियमुथुर से द्रविड़ कषगम का एक नेता आया करता था, जिसका नाम सिवकुमार था, और वे आपस में किसी विषय पर बातचीत करते थे। उसने कहा कि वे प्रायः एस.टी.डी. कियोस्क पर जाते और दूरभाष करते थे तथा यह भी कहा कि उसने सुना था कि विजयालक्ष्मी मिल्स के स्वामी और आर.एस.पुरम में वित्त व्यवसाय चलाने वाले किसी व्यक्ति [संभवतः मृतक] के बीच कुछ विवाद था। उसने स्पष्ट रूप से इस बात से इंकार किया कि उसका पुलिस निरीक्षक द्वारा परीक्षण किया गया था। अपने प्रति-परीक्षण में उसने स्वीकार किया कि वह एक हत्या वाद में अभियुक्त रहा है और जब पुलिस निरीक्षक ने उसका परीक्षण किया तब वह हिंदू मुन्नानी का सदस्य था। उसने यह भी स्वीकार किया कि हिंदू मुन्नानी और द्रविड़ कषगम की नीतियाँ परस्पर भिन्न थीं। उसके पास यह सिद्ध करने के लिए कोई दस्तावेज़ी प्रमाण नहीं था कि वह मुल्थुविनायकगर स्ट्रीट का निवासी था अथवा गृह सं. 52 में रहता था। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसके पास क्रय-विक्रय का कोई लेखा-जोखा नहीं था। समग्रतः, इस साक्षी का साक्ष्य किसी प्रकार भी विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता।

46. अन्य साक्ष्य साबीर (अ. सा.-34) का है। वह उक्कडम में आम के फलों की दुकान चलाता था। उसने कहा कि उसे इस वाद के संबंध में कुछ भी ज्ञात नहीं है। उसने करीम (अ. सा.-6) तथा यूसुफ (अ. सा.-5) की पहचान की, जो उसके यहाँ फल खरीदने आते थे। उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया। उसके प्रति-परीक्षण में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे अभियोजन के कथन को विश्वसनीयता प्राप्त हो। अतः यदि यह मान भी लिया जाए कि उक्कडम दूरभाष कियोस्क से जॉन पांडियन (ए-7) के दूरभाष क्रमांक पर कुछ कॉल किए गए थे, तो भी इससे यह सिद्ध नहीं होता कि वे कॉल केवल सिवकुमार (ए-2), उबैदुल्ला (ए-4), यूसुफ (ए-5), अब्दुल करीम (ए-6) द्वारा ही किए गए थे। अतः समस्त साक्ष्य का

अवलोकन करने पर यह जॉन पांडियन (ए-7) को अभियुक्तों से संबद्ध नहीं करता। इससे अधिकतम संदेह उत्पन्न हो सकता है। तथापि विधि का सिद्धांत स्पष्ट है कि संदेह चाहे कितना ही प्रबल क्यों न हो, वह अभियुक्त को दोषसिद्ध करने हेतु अपेक्षित प्रमाण का स्थानापन्न नहीं हो सकता।

47. हम राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राममूर्ति से इस सीमा तक सहमत हैं कि दांडिक षड्यंत्र का साक्ष्य प्राप्त करना अत्यंत कठिन होता है और अभियोजन के लिए षड्यंत्र सिद्ध करना सदैव दुष्कर होता है, अतः षड्यंत्र का निष्कर्ष परिस्थितियों से ही निकाला जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि विवेकानंदन को इस जगत से समाप्त करने हेतु कोई षड्यंत्र अवश्य था। तथापि पुनः प्रश्न यह रहता है कि क्या जॉन पांडियन (ए-7) को उस षड्यंत्र से जोड़ने हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। यह समझना आवश्यक है कि यदि जॉन पांडियन (ए-7) के साथ कोई संबंध केवल उक्कडम से उसके निवास पर किए गए कुछ दूरभाष कॉल तथा सिवकुमार (ए-2), उबैदुल्ला (ए-4), यूसुफ (ए-5), अब्दुल करीम (ए-6) के कोयम्बटूर से मदुरै और चेन्नई से कोयम्बटूर की यात्राओं तक ही सीमित हो, तो इससे जॉन पांडियन (ए-7) का प्रभावी रूप से संबद्ध होना सिद्ध नहीं होता। हमने कहा है कि यह अधिकतम संदेह का विषय हो सकता है। आगे, अभियोजन द्वारा जॉन पांडियन (ए-7) की पहचान कराने का कोई प्रयास नहीं किया गया, जबकि उसे एम.एल.ए. छात्रावास के कर्मचारियों द्वारा सहज ही पहचाना जा सकता था। किसी अज्ञात कारण से ऐसा नहीं किया गया। ऐसा भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह संकेत मिलता कि उसका कुमार (ए-9), पावुनराज (ए-10) तथा प्रिंस कुमार (ए-11) से कोई संबंध था। इस संबंध में उपलब्ध साक्ष्य भी संतोषजनक से बहुत दूर है। इन परिस्थितियों में, यद्यपि विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय ने जॉन पांडियन (ए-7) को षड्यंत्रकारी माना है, तथापि उसे ऐसा ठहराना अत्यंत कठिन है। अतः हम उसे संदेह का लाभ प्रदान करने के लिए अग्रसर होते हैं।

48. अब हम ए-5, यूसुफ उर्फ़ अब्दुल्ला यूसुफ के प्रकरण पर विचार करते हैं। उसके विरुद्ध ऐसा कोई ठोस साक्ष्य नहीं है जिससे उसे षड्यंत्रकारी ठहराया जा सके। यह कहा गया कि वह अन्य अभियुक्तों, अर्थात् सिवकुमार (ए-2), उबैदुल्ला (ए-4) तथा अब्दुल करीम (ए-6) का मित्र था। उसे केवल इस आधार पर अभियोजन के जाल में लाया गया कि उसका नाम प्रदर्श-पी-14, पी-15, पी-16 तथा पी-17 में पाया गया। जहाँ प्रदर्श-पी-15 में यह दर्शाया गया है कि एक अब्दुल्ला यूसुफ, पुरुष, आयु 25 वर्ष कोयम्बटूर से मदुरै गया, वहीं प्रदर्श-पी-17 में नाम यूसुफ अंकित है। अभियोजन का कथन यह है कि ये चार व्यक्ति, अर्थात् सिवकुमार (ए-2), उबैदुल्ला उर्फ़ तमिल सेलवन (ए-4), यूसुफ (ए-5) तथा अब्दुल करीम (ए-6) साथ-साथ यात्रा कर रहे थे। यह महत्वपूर्ण है कि यह अभियुक्त, अपने अन्य मित्रों सिवकुमार (ए-2), उबैदुल्ला (ए-4) तथा अब्दुल करीम (ए-6) की भाँति, कभी पहचान हेतु प्रस्तुत ही नहीं किया गया। यदि अभियोजन का आरोप था कि वह श्री जानकीराम होटल अथवा ब्लू स्टार होटल में ठहरा था, तो वहाँ के कर्मचारियों से उसकी पहचान कराई जा सकती थी; परन्तु ऐसा नहीं किया गया। यात्राएँ, यदि मान भी ली जाएँ, तो भी वे उसे षड्यंत्र से कदापि नहीं जोड़तीं, क्योंकि वे किसी अन्य प्रयोजन से भी हो सकती थीं। यह भी उल्लेखनीय है कि जिस रेलगाड़ी से वह यात्रा कर रहा था, उसके रेलवे कर्मचारियों से भी उसकी पहचान कराने का कोई प्रयास नहीं किया गया। गोंसालुएज़ (अ. सा.-20) तथा सिरिल राज (अ. सा.-21) ने न्यायालय में भी उसकी पहचान नहीं की। उसके विरुद्ध एकमात्र अन्य साक्ष्य शन्मुगसुंदरम (अ. सा.-30), जो एक विक्रेता था; सब़ीर (अ. सा.-34), जो कोयम्बटूर का एक लघु फल-विक्रेता था; तथा मो. रफ़ी (अ. सा.-39), जो एस.टी.डी. बूथ का स्वामी था—इनके कथनों तक सीमित है। यह कहा गया कि वह अन्य अभियुक्तों, अर्थात् सिवकुमार (ए-2), उबैदुल्ला (ए-4) तथा अब्दुल करीम (ए-6) के साथ अ. सा.-39 मो. रफ़ी के एस.टी.डी. बूथ से दूरभाष करता था। यही समस्त साक्ष्य उसके विरुद्ध है। हम पूर्व में दर्शा चुके हैं कि शन्मुगसुंदरम

(अ. सा.-30) का साक्ष्य विश्वासोत्पादक नहीं है। उसने केवल इतना कहा कि सिवकुमार (ए-2), यूसुफ (ए-5) तथा करीम (ए-6) एस.टी.डी. बूथ पर जाते और दूरभाष करते थे। इसमें कोई संदेहास्पद बात नहीं है; दूरभाष करने के असंख्य अन्य कारण भी हो सकते हैं। उसके इस कथन से भी हम प्रभावित नहीं हैं कि सिवकुमार (ए-2) कुनियामुथुर का द्रविड़ कड़गम का नेता था; इस प्रकार का अतिरंजित कथन अन्य किसी साक्षी ने नहीं किया। यद्यपि अधीनस्थ दोनों न्यायालयों ने उसके साक्ष्य को सत्य माना है, तथापि हम उस दृष्टिकोण को अनुमोदित नहीं करते। इसी प्रकार सब़ीर (अ. सा.-34), जो इस अभियुक्त को जानता था क्योंकि कथित रूप से वह उससे फल खरीदता था — उसने इससे अधिक कुछ नहीं कहा। उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया और उसके प्रति-परीक्षण से भी कुछ प्राप्त नहीं होता। अ. सा.-39 मो. रफ़ी ने भी यह नहीं कहा कि यह अभियुक्त बूथ पर आकर दूरभाष करता था; कॉल-रजिस्टर सिद्ध करने से अधिक उसके साक्ष्य में कुछ नहीं है। इन परिस्थितियों में, षड्यंत्र की अभिवृद्धि में इस अभियुक्त की किसी भूमिका—विशेषतः महत्वपूर्ण भूमिका—का आकलन करना कठिन है, सिवाय इस तथ्य के कि वह अन्य अभियुक्तों के साथ देखा गया। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह सिद्ध हो कि विवेकानंदन को समाप्त करने के तथाकथित षड्यंत्र से उसका कोई संबंध था। उसका विवेकानंदन से कोई वैर भी नहीं था। अन्य अभियुक्तों के साथ उसकी यात्राओं को षड्यंत्र की कड़ी अथवा उसके किसी भाग का प्रमाण नहीं माना जा सकता; वे अन्य अनेक कारणों से भी हो सकती थीं। इस प्रकार के साक्ष्य के आधार पर विचारण न्यायालय तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा उसे षड्यंत्र में लिप्त ठहराने के निष्कर्ष को हम अनुमोदित नहीं करते। श्री राममूर्ति ने उसकी दोषसिद्धि का समर्थन करने का प्रयास किया, किन्तु हम अभियोजन के प्रकरण से कदापि प्रभावित नहीं हैं। अतः वह दोषमुक्ति का अधिकारी है।

49. अब हम ए-6, अब्दुल करीम उर्फ़ करीम, जिसे हरीम भी कहा गया है, के प्रकरण पर विचार करते हैं। पुनः, उसके षड्यंत्र में सहभाग को रेलवे यात्राओं के आधार पर तथा

प्रदर्श-पी-14, पी-15, पी-16, पी-17 में नामोल्लेख से, तथा अ. सा.-20 गोंसालुएज़ और अ. सा.-21 सिरिल राज के साक्ष्य से सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। इस आधार से हम पूर्ववत् ही कदापि प्रभावित नहीं हैं। अ. सा.-23 राम कुमार वह साक्षी था जिसे यह प्रदर्शित करने हेतु परीक्षित किया गया कि यह अभियुक्त जानकीराम होटल में ठहरा था। उसी के माध्यम से प्रदर्श-पी-20, पी-21 तथा पी-22 सिद्ध किए गए। उसने कथन किया कि कोयम्बटूर के एक एन. तमिलसेलवन दिनांक 18.07.1993 को आया और उसके साथ चार अन्य व्यक्ति भी थे, जिन्होंने कक्ष संख्या 409 और 407 लिए। महत्वपूर्ण यह है कि कहा गया कि कक्ष संख्या 409 से स्थानीय दूरभाष क्रमांक 72324, जो जॉन पांडियन (ए-7) का दूरभाष क्रमांक था, पर कॉल किए गए। यदि यह साक्षी न्यायालय में कम-से-कम किसी अभियुक्त—तमिलसेलवन उर्फ़ उबैदुल्ला (ए-4), सिवकुमार (ए-2) अथवा इस अभियुक्त—की पहचान कर देता, तो हम इस साक्ष्य से प्रभावित हो सकते थे। यह भी उल्लेखनीय है कि उसके अनुसार कुल पाँच व्यक्ति थे, किन्तु पाँचवाँ व्यक्ति कौन था, यह सर्वथा स्थापित नहीं हुआ। हमने प्रदर्श-पी-20 और प्रदर्श-पी-21 का अवलोकन किया है; वे किसी प्रकार इस अभियुक्त अथवा सिवकुमार (ए-2) और उबैदुल्ला (ए-4) से भी संबद्ध नहीं करते। इसे इसी प्रकार शन्मुगसुंदरम (अ. सा.-30), सबीर (अ. सा.-34) तथा मो. रफ़ी (अ. सा.-39) के माध्यम से भी फँसाने का प्रयास किया गया; जिनका साक्ष्य हम पूर्व में अस्वीकार कर चुके हैं। अ. सा.-26 रामसुब्रमण्यम ने तमिलसेलवन (ए-4) के ठहरने के संबंध में कथन किया; परन्तु यद्यपि अभियोजन का कथन था कि तमिलसेलवन अन्य अभियुक्तों के साथ था, उसने अन्य किसी के विषय में कुछ नहीं कहा, न ही न्यायालय में तमिलसेलवन की पहचान की। इस अभियुक्त को भी रामसुब्रमण्यम (अ. सा.-26) अथवा राम कुमार (अ. सा.-23) द्वारा पहचान हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके विरुद्ध एकमात्र अन्य साक्ष्य अ. सा.-38 के. वीरासामी का है, जिसने महज़र साक्षी के रूप में कथन किया कि इस अभियुक्त ने ₹18,000/-, दो सॉवरेन स्वर्ण श्रृंखला तथा एक स्कूटर बरामद कराया। उसने प्रदर्श-पी-45

सिद्ध किया; जब्ती ज्ञापन प्रदर्श-पी-48 है। हमारे मत में, ऐसी बरामदगी का कोई महत्व नहीं है जब तक कि बरामद वस्तुएँ किसी प्रकार अपराध से संबद्ध न हों। किसी ने यह नहीं कहा कि इस साक्षी को धन किसने दिया, न ही अभिलेख पर यह लाया गया कि तथाकथित स्वर्ण श्रृंखला और स्कूटर इसी ने क्रय किए; और यदि किए भी हों, तो भी अभियोजन यह प्रदर्शित करने में पूर्णतः विफल रहा कि उसे प्राप्त धन वैंकटरमण (ए-1) से सिवकुमार (ए-2) के माध्यम से ही प्राप्त हुआ था। अतः मात्र बरामदगी के आधार पर इस अभियुक्त को अभियोजित कर उसे षड्यंत्र का सदस्य ठहराना अत्यंत जोखिमपूर्ण होगा। यह कहना होगा कि इन समस्त पक्षों को विचारण न्यायालय तथा अपीलीय न्यायालय ने पूर्वाग्रहपूर्ण दृष्टि से देखा। केवल कुछ बरामदगियों के आधार पर अभियुक्त का अपराध से संबंध स्थापित नहीं होता, और यह कोई उपधारणा नहीं है कि अभियुक्त के पास कुछ वस्तुएँ पाई जाने तथा उसके स्पष्टीकरण न दे पाने मात्र से यह मान लिया जाए कि वह धन और स्वर्ण श्रृंखला उसी धन से प्राप्त हुए जो कथित रूप से उसे षड्यंत्र के सदस्य के रूप में सिवकुमार (ए-2) से मिला था। हमारे मत में यह साक्ष्य उसे षड्यंत्र का सदस्य ठहराने हेतु अपर्याप्त है। इससे अधिकतम संदेह उत्पन्न हो सकता है, पर वह भी औचित्यहीन होगा। अतः इस अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाना आवश्यक है।

50. यूसुफ (ए-5) तथा अब्दुल करीम (ए-6) के विरुद्ध की गई हमारी टिप्पणियाँ समान रूप से उबैदुल्ला उर्फ़ तमिलसेलवन (ए-4) पर भी लागू होती हैं। हम पूर्व में ही यह अभिलिखित कर चुके हैं कि इस अभियुक्त द्वारा अन्य तीन अभियुक्तों, अर्थात् सिवकुमार (ए-2), यूसुफ (ए-5) तथा अब्दुल करीम (ए-6) के साथ की गई यात्राओं से हम प्रभावित नहीं हैं। हमने अ. सा.-20 गोंसालुएज़ (रेलवे अधिकारी), अ. सा.-21 सिरिल राज (रेलवे अधिकारी), अ. सा.-23 राम कुमार (जानकीराम होटल के स्वामी) तथा अ. सा.-26 रामसुब्रमण्यम (ब्लू स्टार होटल के स्वामी) के साक्ष्य पर विस्तृत टिप्पणी की है। इन साक्षियों में से किसी ने भी तमिलसेलवन (ए-4) की पहचान नहीं की। वास्तव में, उस व्यक्ति

के संबंध में, जिसे ब्लू स्टार होटल, तिरुनेलवेली के आगमन पंजिका में प्रविष्टियों का लेखक बताया गया है (प्रदर्श-पी-26), अधिक सुदृढ़ साक्ष्य अपेक्षित था। तथापि, इस अभियुक्त की न तो राम कुमार (अ. सा.-23) द्वारा न्यायालय में पहचान की गई और न ही उसे शिनाख्त परेड हेतु प्रस्तुत किया गया। श्री के. राममूर्ति, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, ने अ. सा.-42 आर. श्रीनिवासन (हस्तलेखन विशेषज्ञ) के साक्ष्य पर अत्यधिक निर्भर करते हुए यह प्रतिपादित किया कि ब्लू स्टार होटल की प्रविष्टियाँ इसी अभियुक्त के हस्तलेख में सिद्ध हुई हैं। मान भी लिया जाए कि ऐसा है, तो भी हस्तलेखन विशेषज्ञ का साक्ष्य अंतिम एवं निर्णायक नहीं होता। जहाँ साक्षी ने अभियुक्त को देखा हो, वहाँ यह अधिक उपयुक्त होता कि उसे शिनाख्त परेड हेतु प्रस्तुत किया जाता और साक्षी द्वारा उसकी पहचान कराई जाती, अथवा कम-से-कम न्यायालय में उसकी पहचान की जाती। वास्तव में उबैदुल्ला उर्फ़ तमिलसेलवन (ए-4) की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री आनंद ने अभियोजन के इस कथन का गंभीरतापूर्वक प्रतिवाद किया कि यह अभियुक्त तमिलसेलवन नाम से भी जाना जाता था। हमें यह समझ में नहीं आता कि उबैदुल्ला, जो स्पष्टतः एक मुस्लिम व्यक्ति है, तमिलसेलवन जैसा नाम क्यों धारण करेगा। अभियोजन की ओर से यह सिद्ध करने हेतु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया कि वह तमिलसेलवन नाम से भी जाना जाता था। अभियोजन कुछ साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता था, परंतु ऐसा नहीं किया गया। जहाँ तक शन्मुगसुंदरम (अ. सा.-30) तथा मो. रफ़ी (अ. सा.-39) के साक्ष्य का संबंध है, उन्हें हम पूर्व में ही अस्वीकार कर चुके हैं।

51. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राममूर्ति ने आगे फ्रांसिस उर्फ़ चेल्लाकिली (अ.सा.-31) के साक्ष्य पर यह प्रतिपादित करने हेतु निर्भर किया कि पुलिस निरीक्षक ने दिनांक 26.07.1992 की कार्यवृत्त पुस्तिका प्रदर्श-पी-30 तथा दिनांक 22.07.1992 की कार्यवृत्त पुस्तिका प्रदर्श-पी-31 के माध्यम से जब्त की थी। इस साक्षी ने स्वयं को द्रविड़र कड़गम जिला युवा प्रकोष्ठ का उपाध्यक्ष बताया तथा कहा कि उक्त संकल्प दिनांक 22.07.1992 और 26.07.1992 द्वारा मदुरै में एक सम्मेलन आयोजित करने तथा पेरियार जयंती की पूर्व संध्या

पर साइकिल रैली निकालने जैसी गतिविधियाँ करने का निर्णय लिया गया था। उसने कहा कि उन संकल्पों पर तमिलसेलवन नामक व्यक्ति के हस्ताक्षर थे। इस साक्षी ने न्यायालय में उबैदुल्ला उर्फ़ तमिलसेलवन (ए-4) की पहचान तक नहीं की। इस अभियुक्त को फ्रांसिस उर्फ़ चेल्लाकिली (अ. सा.-31) के समक्ष शिनाख्त परेड हेतु भी प्रस्तुत नहीं किया गया। उसने अपने प्रति-परीक्षण में स्पष्ट रूप से कहा कि अभियुक्तों में तमिलसेलवन नाम का कोई व्यक्ति नहीं था और जिस व्यक्ति का वह उल्लेख कर रहा था वह वेल्लनूर का निवासी था। वास्तव में, पुनः-परीक्षण में भी उसने यही कहा। अपने पुनः-परीक्षण में उसने सिवकुमार (ए-2) का उल्लेख किया। यह तथ्य कि साक्षी न्यायालय में न तो सिवकुमार (ए-2) और न ही उबैदुल्ला उर्फ़ तमिलसेलवन (ए-4) की पहचान कर सका, उसके साक्ष्य की अत्यंत दुर्बल प्रकृति को दर्शाता है। हम इस कथन से तनिक भी संतुष्ट नहीं हैं।

52. एल.एच. कृष्णन (अ. सा.-55) ने दावा किया कि उसने शिवकुमार (ए-2) तथा उबैदुल्ला उर्फ़ तमिल सेल्वन (ए-4) के नमूना हस्तलेख लिए। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राममूर्ति का कथन है कि उससे "तमिल सेल्वन" शब्द पाँच बार लिखवाया गया। आर. श्रीनिवासन (अ. सा.-42) ने अपने साक्ष्य में तमिल सेल्वन के हस्तलेख का उल्लेख किया और कहा कि टिकट आरक्षण प्रपत्र (प्रदर्श-पी-16) पर कथित रूप से एम. तमिझसेल्वन (तमिल सेल्वन) के हस्ताक्षर हैं। इसी प्रकार की प्रविष्टि जंकिराम होटल के उपस्थिति पंजिका में (प्रदर्श-पी-20) तथा नकद रसीद (प्रदर्श-पी-21) में, साथ ही ब्लू स्टार होटल के उपस्थिति पंजिका (प्रदर्श-पी-26) तथा रसीद की कार्बन प्रति (प्रदर्श-पी-27) में की गई, जिनकी तुलना तमिल सेल्वन के स्वीकृत नमूना हस्ताक्षरों से की गई। उसके मतानुसार प्रदर्श-पी-16 (चिह्नित क्यू-5), प्रदर्श-पी-20 (क्यू-बी), प्रदर्श-पी-21 (क्यू-9), प्रदर्श-पी-26 (क्यू-11) तथा प्रदर्श-पी-27 (क्यू-12) उसी द्वारा लिखे गए थे। शेष के संबंध में यह संभावना व्यक्त की गई कि वही व्यक्ति इन हस्तलेखों का लेखक हो सकता है। इस आधार पर श्री राममूर्ति ने तर्क दिया कि जंकिराम होटल तथा ब्लू स्टार होटल में इस अभियुक्त की उपस्थिति सिद्ध हो जाती है और

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस अभियुक्त ने न केवल यात्राएँ कीं, बल्कि आरक्षण आदि की व्यवस्था भी की और अन्य अभियुक्तों के साथ उन होटलों में ठहरने में सक्रिय भाग लिया। यात्रा के पहलू पर हम पूर्व में टिप्पणी कर चुके हैं, जो हमें बिल्कुल प्रभावित नहीं करता। परंतु यदि यह भी मान लिया जाए कि आरक्षण तमिल सेल्वन ने कराया और वही तमिल सेल्वन था जिसके स्वीकृत हस्तलेख इन प्रविष्टियों से मेल खाते हैं, तो भी इससे अधिकतम यही सिद्ध होगा कि तमिल सेल्वन उन होटलों में उपस्थित था। हमारे मत में यह उसे षड्यंत्र में फँसाने के लिए पर्याप्त नहीं है। स्थापित विधि यह है कि षड्यंत्र सिद्ध करने के लिए अभियोजन जिन प्रत्येक परिस्थितियों पर अवलंबन करता है, उनका उस षड्यंत्र से संबंध सिद्ध होना चाहिए। ठोस साक्ष्य के अभाव में मात्र इस आधार पर कि अभियुक्त अन्य व्यक्तियों के साथ यात्रा कर रहा था और उन दो होटलों में ठहरा, यह नहीं कहा जा सकता कि वह षड्यंत्र को क्रियान्वित करने हेतु था। हम उसके पहचान के संबंध में पहले ही संदेह व्यक्त कर चुके हैं। उसकी पहचान के अभाव में, यदि ये हस्तलेख उसकी उपस्थिति सिद्ध भी करें, तो भी यह अधिकतम संदेह उत्पन्न कर सकता है, जो हमारे मत में पर्याप्त नहीं है। यह कहा गया कि उसने एम.ओ.-11 के रूप में एक टाइटन घड़ी तथा एम.ओ.-12 के रूप में नकद राशि बरामद कराई। हम यह नहीं देखते कि इन भौतिक वस्तुओं का षड्यंत्र से किस प्रकार संबंध स्थापित होता है। अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं लाया गया जिससे यह सिद्ध हो कि उसके पास ₹23,000/- नहीं हो सकते थे। बरामदगी का साक्ष्य पुनः एक दुर्बल प्रकार का साक्ष्य है और इस न्यायालय ने अनेक अवसरों पर केवल बरामदगी के साक्ष्य पर अवलंबन करने से इंकार किया है। अभिलेख पर ऐसा कुछ नहीं है जिससे यह सिद्ध हो कि ये ₹23,000/- उसे वेंकटरामन (ए-1) द्वारा शिवकुमार (ए-2) के माध्यम से दिए गए थे। उसके और जॉन पांडियन (ए-7) अथवा कुमार पुत्र वेल्लैचामी (ए-9), पावुनराज उर्फ़ पावुन (ए-10) तथा प्रिंस कुमार उर्फ़ प्रिंस (ए-11) के बीच भी कोई संबंध स्थापित नहीं हुआ है। इन सभी सामग्रियों के अभाव में उसे षड्यंत्रकारी के रूप में दोषसिद्ध करना अत्यंत जोखिमपूर्ण होगा। यह भी सुझाव

दिया गया कि जंकिराम होटल तथा ब्लू स्टार होटल के आगमन पंजिकाओं (प्रदर्श-पी-20 तथा प्रदर्श-पी-26) में उसने वही गलत पता "तमिल सेल्वन, गांधीपुरम, कोयंबटूर" दिया। हमारे मत में यह परिस्थिति उबैदुल्ला उर्फ़ तमिल सेल्वन (ए-4) को आरोपित करने हेतु अत्यंत दुर्बल है। अतः हम उसे संदेह का लाभ प्रदान करते हैं।

53. अंतिम अभियुक्त शिवकुमार (ए-2) है। इसमें कोई संदेह नहीं कि शिवकुमार (ए-2) का वेंकटरामन (ए-1) से संबंध था, क्योंकि वह उसका कार्यालय सहायक (ऑफिस बॉय) था। उससे लक्ष्मी विलास बैंक, तिरुपुर शाखा से ₹3 लाख का चेक भुनाने के लिए कहा गया था। उसके द्वारा जाकर स्व-चेक को भुनाने में हमें कुछ भी संदिग्ध नहीं दिखता, क्योंकि कार्यालय सहायक के रूप में अपने स्वामी द्वारा दिए गए कार्यों को करना उसका कर्तव्य था। अगला प्रश्न यह है कि क्या यह ₹3 लाख की राशि विवेकानंदन (मृतक) की हत्या के उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु व्यय करने के लिए थी। सामान्यतः जैसा कि होता है, यह अभियुक्त भी अन्य व्यक्तियों के साथ यात्रा करता रहा और गोंसालुएज़ (अ. सा.-20) तथा सिरिल राज (अ. सा.-21) ने उसके नाम से संबंधित रेलवे आरक्षण चार्टों के संबंध में कहा। इसी प्रकार राम कुमार (अ. सा.-23) ने जंकिराम होटल में उसकी उपस्थिति के विषय में कहा, तथा रामासुब्रमण्यम (अ. सा.-26) को यह सिद्ध करने हेतु प्रस्तुत किया गया कि वह ब्लू स्टार होटल में उपस्थित था। जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, राम कुमार (अ. सा.-23) अथवा रामासुब्रमण्यम (अ. सा.-26) अभियुक्त की पहचान करने में सक्षम नहीं हुए। अनबुनाथन (अ. सा.-29) ने इस अभियुक्त के विरुद्ध यह कहकर कुछ कहना चाहा कि घटना से कुछ दिन पूर्व उसने वेंकटरामन (ए-1) को अपनी कार में इस अभियुक्त के साथ देखा था। यह कथन इतना सामान्य है कि स्वीकार्य नहीं है और यदि स्वीकार भी किया जाए तो इससे कुछ सिद्ध नहीं होता। अतः हम अनबुनाथन (अ. सा.-29) के साक्ष्य को अस्वीकार करते हैं।

54. इसी प्रकार का साक्ष्य षण्मुगसुन्दरम (अ. सा.-30), सबीअर (अ. सा.-34) तथा मोहम्मद रफ़ी (अ. सा.-39) द्वारा मोहम्मद रफ़ी (अ. सा.-39) के बूथ से किए गए टेलीफोन

कॉलों के संबंध में प्रस्तुत किया गया। इस साक्ष्य को हम पूर्व में ही अस्वीकार कर चुके हैं। यह सुझाव दिया गया कि आरक्षण पर्चियों पर शिवकुमार (ए-2) की हस्तलिपि सिद्ध है। यहाँ तक कि आर. श्रीनिवासन (अ. सा.-42) की राय में भी उसकी हस्तलिपि क्यू-2 तथा क्यू-3 पर थी, जो प्रदर्श-पी-24 और प्रदर्श-पी-25 हैं। क्यू-3 पर उसकी हस्तलिपि के संबंध में कोई विवाद नहीं हो सकता, क्योंकि वेंकटरामन (ए-1) द्वारा दिए गए चेक को भुनाने के लिए उसी से कहा गया था। परंतु क्यू-1, जो प्रदर्श-पी-14 (रेल आरक्षण प्रपत्र) है, के संबंध में हस्तलिपि विशेषज्ञ स्वयं इतना निश्चित नहीं है, जब वह कहता है कि एक ही व्यक्ति द्वारा क्यू-1, क्यू-2, क्यू-3 तथा एस-1 से एस-7 लिखे जाने की संभावना है। हम केवल हस्तलिपि विशेषज्ञ के साक्ष्य से आश्वस्त नहीं हैं, क्योंकि इस अभियुक्त की पहचान किसी ने नहीं की है। वस्तुतः अन्य अभियुक्तों—उबैदुल्ला उर्फ़ तमिल सेल्वन (ए-4), यूसुफ (ए-5) तथा अब्दुल करीम (ए-6)—की तुलना में इसकी भूमिका अधिक बताई गई, क्योंकि सामान्य साक्ष्य के अतिरिक्त यह कहा गया कि उसकी गिरफ़्तारी के समय उससे ₹1,00,000/- बरामद हुए और तत्पश्चात उसने अपने घर से शेष ₹21,000/- बरामद कराने पर सहमति दी। मात्र धन की बरामदगी का कोई महत्व नहीं है, जब तक अभियोजन यह कथन न करे और प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य न दे कि यह धन उसी राशि का भाग था जो उसने चेक भुनाने के बाद प्राप्त की थी। वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह सिद्ध हो कि उसने वह राशि वापस नहीं की थी। श्री रामामूर्ति, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, ने यह तर्क दिया कि इस नकदी के संबंध में अभियुक्त को कोई स्पष्टीकरण देना चाहिए था। हम इस तर्क से सहमत हैं, परंतु यह तभी लागू होता जब यह प्रदर्शित किया जाता कि अभियुक्त ने यह राशि वेंकटरामन (ए-1) से प्राप्त की थी और वह भी षड्यंत्र की सफलता के उद्देश्य से। अभियोजन इस भार का निर्वहन नहीं कर सका। श्री रामामूर्ति ने यह भी तर्क किया कि यह अभियुक्त वेंकटरामन (ए-1) का विश्वासपात्र व्यक्ति था, क्योंकि वह उसका कार्यालय सहायक था। हमें इस चरण पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि वेंकटरामन (ए-1) एक मिल-स्वामी तथा अत्यंत संपन्न व्यक्ति था, जिसके

पास पर्याप्त साधन उपलब्ध थे। हमारे लिए यह स्वीकार करना अत्यंत कठिन है कि इतना प्रभावशाली व्यक्ति, विवेकानंदन (मृतक) के उन्मूलन जैसे अत्यंत संवेदनशील विषय में, किसी साधारण कार्यालय सहायक की सहायता लेता। यही अभियोजन के प्रकरण की मूल दुर्बलता है। यदि यह मान भी लिया जाए कि जॉन पांडियन (ए-7) ने कुमार पिता- वेल्लैचामी (ए-9), पावुनराज उर्फ़ पावुन (ए-10) तथा प्रिंस कुमार उर्फ़ प्रिंस (ए-11) की सेवाएँ प्राप्त कीं, तब भी वेंकटरामन (ए-1) के पास सीधे संपर्क या सेवाएँ प्राप्त करने के पर्याप्त अवसर थे। ऐसा कुछ भी अभिलेख पर नहीं है जिससे यह सिद्ध हो कि वेंकटरामन (ए-1) और शिवकुमार (ए-2) के बीच मनों का मेल हुआ या शिवकुमार (ए-2) ने षड्यंत्र में भाग लेने पर सहमति दी। षड्यंत्र में उसकी भूमिका सिद्ध करने के लिए ऐसा समझौता अनिवार्य था। इसके अतिरिक्त ऐसा भी कुछ नहीं है जिससे यह सिद्ध हो कि शिवकुमार (ए-2) इतना संसाधन-संपन्न था कि वह जॉन पांडियन (ए-7) की सेवाएँ प्राप्त कर सके। वह केवल एक कार्यालय सहायक था। इसमें संदेह नहीं कि विवेकानंदन (मृतक) के उन्मूलन हेतु एक षड्यंत्र था, परंतु मात्र षड्यंत्र के अस्तित्व से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि शिवकुमार (ए-2) भी षड्यंत्रकारी था। इसके लिए अभियोजन को कुछ ठोस सिद्ध करना आवश्यक था, जो इस वाद में वह सिद्ध नहीं कर सका।

55. इस वाद में विचारण न्यायालय तथा अपीलीय न्यायालय के समवर्ती निर्णय के होते हुए भी, विशेषतः अभियुक्त सं. 2 (शिवकुमार), 4 (उबैदुल्ला), 5 (यूसुफ), 6 (अब्दुल करीम) तथा 7 (जॉन पांडियन) के विरुद्ध, हमें साक्ष्य का पुनः परीक्षण करना पड़ा, क्योंकि हम विचारण तथा अपीलीय स्तर पर साक्ष्य के मूल्यांकन से संतुष्ट नहीं हैं। हमें निर्णय से प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालयों ने पहले षड्यंत्र के अस्तित्व को स्वीकार करने की त्रुटि की और उसी आधार पर आगे बढ़ते हुए साक्ष्य के छोटे-छोटे अंशों को ग्रहण कर यह प्रतिपादित करने का प्रयास किया कि वे अंश अभियुक्तों को षड्यंत्र से षड्यंत्रकारी के रूप में जोड़ते हैं। षड्यंत्र संबंधी विधि का प्रतिपादन इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर किया गया

है। ए.जी. बार्से बनाम बॉम्बे राज्य, ए.आई.आर. 1961 एस.सी. 1762 में, माननीय न्यायमूर्ति सुब्बा राव ने अभिलक्षित किया:

> "अपराध का सार विधि का उल्लंघन करने के लिए किया गया एक समझौता है। ऐसे समझौते के पक्षकार दांडिक षड्यंत्र के दोषी होंगे, भले ही सहमत किया गया अवैध कृत्य किया न गया हो। इसी प्रकार, यह भी अपराध का अवयव नहीं है कि सभी पक्षकार एक ही अवैध कृत्य करने पर सहमत हों।"

हॉल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ इंग्लैंड में षड्यंत्र की परिभाषा इस प्रकार दी गई है :

> "षड्यंत्र दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किसी अवैध कृत्य को करने के लिए, अथवा किसी वैध कृत्य को अवैध साधनों से करने के लिए किए गए समझौते में निहित होता है। यह कॉमन लॉ के अंतर्गत अभियोज्य अपराध है। षड्यंत्र के अपराध का सार तत्व समझौते द्वारा संयोजन का तथ्य है। यह समझौता स्पष्ट, निहित, अथवा आंशिक रूप से स्पष्ट एवं आंशिक रूप से निहित हो सकता है; और यह अपराध तब तक किया जाता रहता है जब तक यह संयोजन बना रहता है, अर्थात् जब तक षड्यंत्रात्मक समझौता उसके क्रियान्वयन की पूर्णता द्वारा, या परित्याग अथवा विफलता द्वारा, या अन्य किसी प्रकार से समाप्त नहीं हो जाता।"

अमेरिकन ज्यूरिसप्रूडेंस, ***द्वितीय संस्करण, खंड 16, पृष्ठ 129*** में षड्यंत्र की निम्नलिखित परिभाषा दी गई है :–

> "षड्यंत्र वह समझौता है, जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किसी दांडिक अथवा अवैध कृत्य को संयुक्त रूप से संपादित करने हेतु, अथवा किसी ऐसे कृत्य को दांडिक या अवैध साधनों द्वारा प्राप्त करने हेतु किया जाता है, जो अपने आप में दांडिक या अवैध न भी हो ... षड्यंत्र का अपराध उसके कार्यान्वयन में नहीं, अपितु उस अवैध समझौते में निहित है; वही इस अपराध का सार या मूल तत्व है।"

अंत में, सुप्रसिद्ध वाद केहर सिंह एवं अन्य बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन), (1988) 3 एस.सी.सी. 609 में माननीय न्यायमूर्ति जगन्नाथ शेट्टी द्वारा यह प्रतिपादित किया गया :–

> "अतः षड्यंत्र के अपराध का सार उस कृत्य के किए जाने में, या उस उद्देश्य की प्राप्ति में जिसके लिए षड्यंत्र रचा गया है, अथवा उन्हें करने के प्रयास में, अथवा अन्य व्यक्तियों को ऐसा करने के लिए उद्दीप्त करने में नहीं, बल्कि पक्षकारों के बीच योजना या समझौते के निर्माण में निहित है। *समझौता अनिवार्य है। मात्र ज्ञान, या योजना पर विचार-विमर्श, अपने आप में पर्याप्त नहीं है।"* (स्व-रेखांकित)

राज्य बनाम नलिनी एवं अन्य [(1999) 5 उच्चतम न्यायालय वाद-पत्र 253] के विख्यात निर्णय में, माननीय न्यायमूर्ति क़ादरी, एस. एम. ने वैन रिपर बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका (13 एफ. 2डी. 961) (द्वितीय परिपथ, 1926) पर अवलंबन करते हुए यह प्रेक्षित किया :

> "जब व्यक्ति किसी विधिविरुद्ध उद्देश्य के लिए किसी करार में प्रवेश करते हैं, तब वे एक-दूसरे के तदर्थ अभिकर्ता बन जाते हैं और अपराध में साझेदारी स्थापित कर लेते हैं।"

षड्यंत्र के प्रश्न पर अन्य विख्यात निर्णय *यशपाल मित्तल बनाम पंजाब राज्य* [1977 (4) उच्चतम न्यायालय वाद-पत्र 540] तथा *हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम कृष्ण लाल प्रधान एवं अन्य* [1987 (2) उच्चतम न्यायालय वाद-पत्र 17] हैं। *मोहम्मद खालिद बनाम पश्चिम बंगाल राज्य* [2002 (7) उच्चतम न्यायालय वाद-पत्र 334] तथा *मोहम्मद उस्मान मोहम्मद हुसैन मनियार बनाम महाराष्ट्र राज्य* [1981 (2) उच्चतम न्यायालय वाद-पत्र 443] में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि षड्यंत्रकारियों के मध्य करार का निष्कर्ष आवश्यक निहितार्थ द्वारा निकाला जा सकता है। इन सभी वादों पर *राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) बनाम नवजोत संधू उर्फ़ अफसान गुरु* [2005 (11) उच्चतम न्यायालय वाद-पत्र 600] में एक साथ विचार किया गया, जहाँ *वी. सी. शुक्ला बनाम राज्य* [1980 (2)

उच्चतम न्यायालय वाद-पत्र 665] के विख्यात निर्णयों पर भी विचार किया गया, जिसमें माननीय न्यायमूर्ति फ़ज़ल अली द्वारा यह प्रेक्षित किया गया :

> *"अधिकांश मामलों में समझौते का प्रत्यक्ष साक्ष्य प्राप्त करना कठिन होगा, परंतु षड्यंत्र का अनुमान उन परिस्थितियों से भी लगाया जा सकता है जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच अपराध करने के लिए हुए समझौते के संबंध में निर्णायक अथवा अपरिहार्य निष्कर्ष उत्पन्न करती हों।"*

56. इस चरण पर *वी.सी. शुक्ला* (उपर्युक्त उद्धृत) में की गई टिप्पणियों का उल्लेख करना महत्वपूर्ण है, जिसमें यह प्रतिपादित किया गया कि दांडिक षड्यंत्र को सिद्ध करने के लिए प्रत्यक्ष साक्ष्य अथवा ऐसी परिस्थितियाँ होना आवश्यक है, जिनसे यह प्रदर्शित हो कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच अपराध करने का समझौता हुआ था। यह भी प्रतिपादित किया गया कि षड्यंत्रकारियों के बीच मस्तिष्कों का अभिसरण होना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप अपराध के संपादन के संबंध में अंतिम निर्णय लिया गया हो; और जहाँ षड्यंत्र के तथ्य का अनुमान लगाया जाना हो, वहाँ भी ऐसी परिस्थितियाँ होनी चाहिए जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच अपराध करने के समझौते के संबंध में निर्णायक अथवा अपरिहार्य निष्कर्ष उत्पन्न करती हों। उक्त पर अवलंबन करते हुए, न्यायमूर्ति पसायत ने *ईश्वर सिंह बनाम आंध्र प्रदेश राज्य* [2004 (11) एस.सी.सी. 585] में अवलोकित किया कि अभियोजन पर यह भार है कि वह अभियुक्त के विरुद्ध आरोप को युक्तिसंगत संदेह से परे सिद्ध करे। किसी वाद में परिस्थितियाँ, जब समष्टिगत रूप से उनके प्रत्यक्ष रूप में ग्रहण की जाएँ, तो वे अवैध कृत्य करने के अभिप्रेत उद्देश्य से, अथवा ऐसे कृत्य को जो स्वयं अवैध न हो, किंतु अवैध साधनों से किया जाना हो, षड्यंत्रकारियों के बीच मस्तिष्कों के अभिसरण को संकेतित करनी चाहिए। यह भी प्रतिपादित किया गया कि अभियोजन जिन बिखरे हुए अंशों पर निर्भर करता है — *यहाँ थोड़ा, वहाँ थोड़ा* — उन्हें दांडिक षड्यंत्र के अपराध के संपादन से अभियुक्त को जोड़ने हेतु पर्याप्त नहीं माना जा सकता। यह प्रदर्शित किया जाना आवश्यक है

कि अपनाए गए सभी साधन तथा किए गए सभी अवैध कृत्य, रचे गए षड्यंत्र के उद्देश्य की पूर्ति में ही किए गए थे। अनुमान निकालने के लिए जिन परिस्थितियों पर अवलंबन किया जाता है, वे कथित षड्यंत्र की पूर्ति में अपराध के वास्तविक संपादन से समय की दृष्टि से पूर्ववर्ती होनी चाहिए।

57. *ईश्वर सिंह वाद* (उपर्युक्त उद्धृत) में इस न्यायालय ने यह धारित किया कि नौ अभियुक्तों के बीच षड्यंत्र सिद्ध हो गया था तथा प्रत्येक अभियुक्त द्वारा निभाई गई क्रमबद्ध भूमिका को उभार कर दर्शाया गया। उक्त निर्णय में न्यायमूर्ति पसायत ने *भगवान स्वरूप लाल बिशन लाल आदि बनाम महाराष्ट्र राज्य* [ए.आई.आर. 1965 एस.सी. 682] पर भी विचार करते हुए अवलोकित किया कि षड्यंत्र के अपराध को सिद्ध करने की विधि और किसी अन्य अपराध को सिद्ध करने की विधि में कोई भेद नहीं है। उक्त निर्णय में *महाराष्ट्र राज्य बनाम सोमनाथ थापा, अजय अग्रवाल बनाम भारत संघ एवं अन्य, तथा मोहम्मद उस्मान (उपर्युक्त) एवं यशपाल मितल (उपर्युक्त)* के निर्णयों पर भी विचार किया गया। अजय अग्रवाल वाद (उपर्युक्त) में प्रतिपादित विधि को पुनः प्रतिपादित करते हुए यह धारित किया गया कि यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक षड्यंत्रकारी योजना के सभी विवरणों से अवगत हो या प्रत्येक चरण में सहभागी हो; आवश्यक यह है कि वे षड्यंत्र की योजना या उद्देश्य के लिए सहमत हों। यह भी प्रतिपादित किया गया कि षड्यंत्र की अवधारणा के तीन तत्व हैं : (1) समझौता; (2) दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच, जिनके द्वारा यह समझौता संपन्न होता है; तथा (3) एक दांडिक उद्देश्य, जो या तो समझौते का अंतिम लक्ष्य हो सकता है, अथवा वह साधन, अथवा उन साधनों में से एक, जिसके द्वारा उस लक्ष्य की सिद्धि की जानी हो। इन निर्णयों पर तत्पश्चात *नवजोत संधू वाद* (उपर्युक्त) में भी विचार किया गया। के.आर. पुरुषोत्तमन बनाम केरल राज्य [2005 (12) एस.सी.सी. 631] में यह विशिष्ट अवलोकन किया गया कि प्रत्येक षड्यंत्रकारी का प्रत्येक षड्यंत्रात्मक कृत्य के संपादन में सक्रिय भाग लेना आवश्यक नहीं है; परंतु मात्र योजना का ज्ञान, यहाँ तक कि उसकी चर्चा भी, षड्यंत्र का

गठन नहीं करती। यह भी अवलोकित किया गया कि प्रत्येक परिस्थिति को युक्तिसंगत संदेह से परे सिद्ध किया जाना चाहिए और इस प्रकार सिद्ध परिस्थितियाँ ऐसी घटनाशृंखला का निर्माण करें, जिससे केवल एक ही अपरिहार्य निष्कर्ष — अर्थात् अभियुक्त का दोष — सुरक्षित रूप से निकाला जा सके और उसके अतिरिक्त किसी अन्य परिकल्पना की संभावना न रहे। हम नवजोत संधू वाद तथा *के.आर. पुरुषोतमन* वाद में प्रतिपादित विधि से सम्मानपूर्वक सहमत हैं।

58. तथापि, जब हम इस वाद के तथ्यों को उपर्युक्त मानदंडों के संदर्भ में परखते हैं, तो यह कहना पड़ता है कि अभियोजन ने जो सिद्ध किया है, वह मात्र कुछ परिस्थितियों के इधर-उधर के तुच्छ अंश मात्र हैं। यह धारण करना संभव नहीं है कि शिवकुमार (ए-2), उबायदुल्ला (ए-4), युसुफ (ए-5), अब्दुल करीम (ए-6) तथा जॉन पांडियन (ए-7) द्वारा, मृतक वेंकटरामन (ए-1) के साथ किए गए कृत्य, तथा तत्पश्चात कुमार (ए-9), पावुनराज (ए-10) तथा प्रिंस कुमार (ए-11) के आचरण ने ऐसी परिस्थितियों की शृंखला का निर्माण किया हो, जो इन अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध षड्यंत्र के अपराध को अपरिहार्य रूप से सिद्ध करती हो। वास्तव में शिवकुमार (ए-2), सुब्रमण्यम (ए-3), उबायदुल्ला (ए-4), युसुफ (ए-5) तथा अब्दुल करीम (ए-6) ने जो किया, वह यह था कि वे कोयम्बटूर और मदुरै के बीच साथ-साथ यात्रा करते रहे और संभवतः अपने प्रथम प्रवास में जंकीराम होटल में ठहरे। इसके पश्चात यह कड़ी लुप्त हो जाती है कि वे तिरुनेलवेली होकर आगे चेन्नई कैसे पहुँचे। अभियोजन का आरोप है कि तत्पश्चात उन्होंने चेन्नई स्थित विधायक छात्रावास में जॉन पांडियन (ए-7) से संपर्क किया और उससे भेंट की। अभियोजन इस बिंदु पर पूर्णतः रिक्त रह गया है। वे यह सिद्ध नहीं कर सके कि जॉन पांडियन वास्तव में विधायक छात्रावास में ठहरा था। विधायक छात्रावास के अभिलेखों में मात्र 'जॉन पांडियन' नाम का उल्लेख अपने-आप में कोई महत्व नहीं रखता, जब तक कि उस जॉन पांडियन की पहचान छात्रावास में किसी व्यक्ति द्वारा न की जाती। यह निस्संदेह संभव था, परंतु अन्वेषण अभिकरण द्वारा ऐसा नहीं

किया गया। अतः यह अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी कि शिवकुमार (ए-2), उबायदुल्ला (ए-4), युसुफ (ए-5) तथा अब्दुल करीम (ए-6) ने वास्तव में विधायक छात्रावास में जॉन पांडियन (ए-7) से भेंट की, सिद्ध नहीं होती। जैसे ही यह कड़ी टूटती है, षड्यंत्र के संबंध में अभियोजन का संपूर्ण सिद्धांत ध्वस्त हो जाता है। यहाँ तक कि यदि यह मान भी लिया जाए कि इन चार व्यक्तियों को वेंकटरामन (ए-1) ने जॉन पांडियन (ए-7) से संपर्क करने के लिए भेजा था, तब भी ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि वेंकटरामन को किसी प्रकार जॉन पांडियन का ज्ञान था या वह उससे संपर्क करना चाहता था; और इसीलिए उसने शिवकुमार (ए-2) को भेजा, जिसने उबायदुल्ला (ए-4), युसुफ (ए-5) तथा अब्दुल करीम (ए-6) की सहायता लेकर जॉन पांडियन से संपर्क किया।

59. यही स्थिति इन अभियुक्त व्यक्तियों के ब्लू स्टार होटल में ठहरने के संबंध में भी है। जंकीराम होटल तथा ब्लू स्टार होटल के कर्मचारियों से इन चार व्यक्तियों की पहचान कराई जा सकती थी कि वे संबंधित तिथियों पर कम से कम वहाँ ठहरे थे; किंतु ऐसा भी नहीं किया गया। श्री राममूर्ति ने अत्यंत आग्रहपूर्वक यह प्रतिपादित किया कि इन अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा यह कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि वे कोयम्बटूर से मदुरै तथा चेन्नई से कोयम्बटूर तक साथ-साथ क्यों यात्रा करते रहे। परंतु अब ऐसे स्पष्टीकरण का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि प्रथम दृष्टया यह सिद्ध ही नहीं किया गया कि ये व्यक्ति वास्तव में यात्रा कर रहे थे। यहाँ तक कि यदि यह मान भी लिया जाए कि वे साथ-साथ यात्रा कर रहे थे, तो भी उससे अभियोजन का कोई लक्ष्य सिद्ध नहीं होता; क्योंकि उनके यात्रा करने के सौ अन्य उद्देश्य भी हो सकते थे। अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा उन यात्राओं का कारण न बताना अपने-आप में उनके विरुद्ध कोई साक्ष्य निर्मित नहीं करता, यद्यपि उनके सहभाग के विचार में वह एक सुसंगत परिस्थिति हो सकती है। इसके अतिरिक्त, यह भी मान लिया जाए कि इन अभियुक्त व्यक्तियों से धनराशि बरामद हुई थी, तब भी अभिलेख पर ऐसा कुछ नहीं है जिससे यह प्रदर्शित हो कि वह धनराशि वेंकटरामन (ए-1) द्वारा अभियुक्त संख्या 2 शिवकुमार को, और

उसके माध्यम से अन्य सभी अभियुक्त व्यक्तियों को दी गई थी। वास्तव में, अभियोजन इस विषय में अत्यंत भ्रमित था कि विवेकानंदन की हत्या के लिए कितनी धनराशि देने का कथित रूप से समझौता हुआ था और कितनी धनराशि वितरित की गई थी। ये सभी तथ्य षड्यंत्र के अभियोजन प्रकरण को पूर्णतः ध्वस्त कर देते हैं, कम से कम जहाँ तक शिवकुमार (ए-2), उबायदुल्ला (ए-4), युसुफ (ए-5), अब्दुल करीम (ए-6) तथा जॉन पांडियन (ए-7) का संबंध है।

60. कथित दूरभाष वार्तालापों के संबंध में हम पूर्व में ही टिप्पणी कर चुके हैं। वहाँ भी अभियोजन पूर्णतः विफल रहा है। ऐसी परिस्थितियों में यह धारित करना अत्यंत कठिन है कि शिवकुमार (ए-2), उबायदुल्ला (ए-4), युसुफ (ए-5), अब्दुल करीम (ए-6) तथा जॉन पांडियन (ए-7) षड्यंत्रकारी थे। इस उद्देश्य से उन्हें संदेह का लाभ दिया जाना आवश्यक है। निस्संदेह यह सत्य है कि शिवकुमार (ए-2)—जो एक साधारण कार्यालय सहायक था—को अपने साथ ₹1,00,000/- की राशि रखते हुए दर्शाया गया। अब यह समझ पाना कठिन है कि शिवकुमार (ए-2) निरंतर ₹2,00,000/- की राशि के साथ स्वयं को क्यों प्रदर्शित करता रहा और उस अवसर पर वह ₹1,00,000/- के साथ कैसे पकड़ा गया। यह उस तथ्य से पृथक है कि शिवकुमार (ए-2) ने यह स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया कि वह राशि उसके पिता की थी, जिन्हें यह सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में प्राप्त हुई थी। हम उस स्पष्टीकरण पर विशेष बल नहीं देते, क्योंकि हमारे मत में उसके पास एक लाख रुपये की मात्र अभिरक्षा अपने-आप में षड्यंत्र के सिद्धांत को आगे नहीं बढ़ाती। इस वाद में अभियोजन के समक्ष एक और कठिनाई है—गणेशन (ए-8), जो वह टैक्सी चालक था जिसकी टैक्सी से विवेकानंदन का छायाचित्र तथा ₹23,000/- की राशि जब्त की गई थी, के संबंध में खंडपीठ द्वारा पारित दोषमुक्ति। दुर्भाग्यवश अभियोजन के लिए, राज्य ने उस दोषमुक्ति को चुनौती देना उपयुक्त नहीं समझा, जिसके परिणामस्वरूप षड्यंत्र की एक अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी टूट जाती है।

61. अतः, संक्षेप में, हम कुमार (ए-9) तथा पवुनराज (ए-10) को दोषी ठहराते हैं और उन्हें दोषसिद्ध करने वाले अपीलीय न्यायालय के निर्णय की आगे पुष्टि करते हैं। तथापि, हम शिवकुमार (ए-2), उबैदुल्ला (ए-4), युसुफ़ (ए-5), अब्दुल करीम (ए-6) तथा जॉन पांडियन (ए-7) द्वारा दायर अपीलों को संदेह का लाभ प्रदान करते हुए स्वीकृत करते हैं और उन्हें दोषमुक्त करते हैं। उन्हें तत्काल स्वतंत्र किया जाएगा, जब तक कि किसी अन्य वाद में उनकी आवश्यकता न हो। चूँकि वेंकटरामन (ए-1) तथा प्रिंस कुमार (ए-11) के मृत होने की सूचना है, अतः उनके द्वारा दायर अपीलों को निष्फल घोषित किया जाता है। पृथक होने से पूर्व, हमें राज्य के अधिवक्ता श्री राममूर्ति तथा प्रतिरक्षा पक्ष के अधिवक्ता के प्रयासों की सराहना करनी चाहिए, जिन्होंने इस वाद के विशाल अभिलेख का अत्यन्त परिश्रमपूर्वक अध्ययन किया और साक्ष्य के मूल्यांकन में हमारी सहायता की।

बी.बी.बी. अपीलों का निस्तारण किया गया।

खंडन (डिस्क्लेमर) - स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।